VISIONIAS

www.visionias.in

PT 365

Classroom Study Material

सामाजिक मुद्दे

JUNE 2016 – FEB 2017

NOTE: March 2017 to 15th May 2017 current affairs for PT 365 Social will be updated on our website on third week of May 2017.

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. जेंडर से संबंधित मुद्दे *7*

1.1. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2016 7

1.2. तीन तलाक (ट्रिपल तलाक) 7

1.3. घरेलू हिंसा अधिनियम में परिवर्तन 8

1.4. हरियाणा में लिंगानुपात 8

1.5. प्रसव पूर्व लिंग चयन पर नियंत्रण हेतु नोडल एजेंसी 9

1.6. धार्मिक स्थलों में महिलाओं को प्रवेश: बॉम्बे हाईकोर्ट 10

1.7. मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2016 10

1.8. वाणिज्यिक सरोगेसी विधेयक 11

1.9. MTPA 1971 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 12

1.10. राष्ट्रीय महिला संसद 12

1.11. सरकारी योजना 12

1.11.1. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 12

1.11.2. जननी सुरक्षा योजना 13

1.11.3. केरल में "पिंक" पहल 13

1.11.4. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) 14

1.11.5. महिला शक्ति केन्द्र 14

1.11.6. महिला पुलिस स्वयंसेवक 15

1.11.7. सखी - वन स्टॉप सेंटर स्कीम 15

1.11.8. प्रेरणा योजना 15

1.11.9. ट्रीड स्कीम 16

1.12. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मुद्दे 16

1.12.1. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार 16

1.12.2. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2016 17

1.12.3. LGBT (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर) समुदाय: सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना 18

2. बच्चों से संबंधित मुद्दे *19*

2.1. दत्तक ग्रहण विनियमन 2017 19

2.2. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 20

2.3. 100 मिलियन के लिए 100 मिलियन अभियान 20

2.4. बाल अधिकार 21

2.5. अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 21

2.6. अंतरराष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं के विधेयक, 2016 22

2.7. यूनिसेफ: स्टेट ऑफ चिल्ड्रन रिपोर्ट 23

VISION IAS

2.8. सरकारी योजना/पहल 23
2.8.1. बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 23
2.8.2. तेजस्विनी परियोजना 24
2.8.3. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 25
2.8.4. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 25
2.8.5. आरम्भ पहल 26
2.8.6. इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान 26
2.8.7. राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम 26
2.8.8. बाल विवाह को समाप्त करने के लिए राजस्थान का अभियान 27

3. वृद्ध/दिव्यांग/कमजोर वर्ग 28

3.1. भारत में वृद्धजन 28
3.1.1. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय अखबार 28
3.1.2. वयोश्रेष्ठ सम्मान 28
3.1.3. बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र 28
3.1.4 माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 29
3.1.5. इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स 29
3.1.6.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 29

3.2. दिव्यांग 29
3.2.1. नया विकलांगता विधेयक 29
3.2.2. सुगम्य भारत अभियान 30
3.2.3. मराकेश संधि लागू 31
3.2.4. शारीरिक रूप से निःशक्त जनों के लिए *यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड* 32
3.2.5. ब्रेल एटलस 32

3.3. अल्पसंख्यक 33
3.3.1. हमारी धरोहर योजना 33
3.3.2. वक्फ सम्पत्ति 33
3.3.3. उड़ान योजना 33
3.3.4. नई मंजिल योजना 34
3.3.5. नई रोशनी योजना 34
3.3.6. यहूदी समुदाय को महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला: 35

3.4. अन्य कमजोर वर्ग 35
3.4.1. सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 35
3.4.2. डिनोटीफाईड, नोमैडिक (ख़ानाबदोश) एंड सेमी-नोमैडिक (अर्ध-ख़ानाबदोश) ट्राइब्स 36
3.4.3. राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवल 37
3.4.4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम 37
3.4.5. संशोधित बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना, 2016 38
3.4.6. जनजातीय मुद्दे 39

4. शिक्षा 40

VISION IAS

4.1. उच्च शिक्षा वित्तीयन एजेंसी (HEFA) 40
4.2. शिक्षा पर सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट 40
4.3 शिक्षा का अधिकार 41
4.3.1. अल्पसंख्यक विद्यालयों के साथ शिक्षा के अधिकार (RTE) की सुसंगति 41
4.3.2 RTE के तहत 'नो डिटेंशन पॉलिसी' (अनुत्तीर्ण नहीं किये जाने की नीति) की समीक्षा 41
4.4. पीसा 41
4.5. कदियाम श्रीहरी समिति 42
4.6.भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 42
4.7. अशोक कुमार रुपनवाल आयोग की रिपोर्ट 42
4.8. भारत के सर्वभौमिक शिक्षा लक्ष्य 43
4.9. विद्यालयी शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा का उपयोग 43
4.10. शिक्षा पर नई दिल्ली घोषणा 43
4.11. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 44
4.12. स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 44
4.13. सरकारी पहल/योजनाएं 45
4.13.1. विद्यांजलि योजना 45
4.14.2. 'शगुन' - सर्व शिक्षा अभियान हेतु एक वेब पोर्टल 45
4.13.3. राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी 46
4.14.4. स्वयं प्रभा 46
4.14.5 पढ़े भारत बढ़े भारत 46
4.14.6 प्रधानमन्त्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 46
5. स्वास्थ्य 48
5.1. स्वास्थ्य परिणामों के प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सूचकांक 48
5.2. नया स्वास्थ्य सूचकांक 48
5.3. केरल में फैट टैक्स 49
5.4 वैश्विक पोषण रिपोर्ट 49
5.5. पोटैशियम ब्रोमेट 50
5.6. दूध में मेलामाइन का पता लगाना 50
5.7 डिजिटल इंडिया पुरस्कार (अवार्ड्स) 2016 50
5.8. औषधियों की ऑनलाइन बिक्री का विनियमन 51
5.9. सार्वजनिक स्वास्थ्य विधेयक 2017 का प्रारूप 51
5.10 ऑटिज्म टूल INCLEN और ISAA 51

VISION IAS

5.11. विश्व स्वास्थ्य संगठन 51
5.11.1. वैश्विक टीबी रिपोर्ट 51
5.11.2 भारत में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या पर W.H.O. की रिपोर्ट 52
5.11.3. भारत को MNTE और याज-मुक्त देश का दर्जा प्राप्त 52
5.11.4. WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO FCTC) 53
5.12. तंबाकू पर सचित्र चेतावनी 53
5.13. दवाओं तक पहुँच पर संयुक्त राष्ट्र के उच्चस्तरीय पैनल की रिपोर्ट 53
5.14. भारत बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित 54
5.15. बढ़ते हेपेटाइटिस के विरुद्ध भारत की लड़ाई 54
5.16. खाद्य विनियमन 54
5.16.1. खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण (फोर्टीफिकेशन) पर प्रारूप विनियम 54
5.16.2. खाद्य कानूनों पर विधि आयोग की अनुशंसाएं 55
5.16.3. स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र 56
5.16.4. कोरोनरी स्टेंट की कीमत की अधिकतम सीमा निश्चित की गयी 56
5.16.5. भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (ASCI) 57
5.17. रोग 58
5.17.1. कुष्ठ रोग 58
5.17.2. पोलियो की पुनरावृति 59
5.17.3 स्क्रब टाइफस 59
5.17.4. ब्रेन डेड के लिए मानदंड 59
5.17.5. युवतियों में हिस्टरेक्टमी के बढ़ते मामले: सर्वेक्षण 60
5.17.6. खुर-पका और मुंह-पका रोग (FMD) 60
5.18. सरकारी योजनाएं/पहल 61
5.18.1. 'मेरा अस्पताल' पहल 61
5.18.2. राष्ट्रीय ई-स्वास्थ्य प्राधिकरण (NeHA) 61
5.18.3. मिशन परिवार विकास 61
5.18.4 जीवन रेखा: ई-स्वास्थ्य परियोजना 62
5.18.5. सभी के लिए आरोग्य रक्षा 62
5.18.6 सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 63
5.18.7. स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम 63
5.18.8. आयुर्वेद के माध्यम से मिशन मधुमेह 64
5.18.9. बंध्यीकरण पहल 65
5.18.10. 'सोलर फॉर हेल्थ केयर' पहल 65
5.18.11. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) 65
5.18.12. माँ (MAA) कार्यक्रम 66
5.18.13. देश भर में इंटेंसिफ़ाइड डायरिया कण्ट्रोल फोर्टनाईट की शुरुआत की गई 66
5.18.14 राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान 66

VISION IAS

6. विविध ____ *68*

6.1 वेतन असमानता पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय ____ 68

6.2. स्वच्छ भारत मिशन: द्वितीय वर्षगांठ ____ 68

6.3. स्मार्ट ग्राम पहल ____ 69

6.4. गिफ़्ट मिल्क स्कीम ____ 69

6.5. निधि आपके निकट कार्यक्रम ____ 70

6.6. खेलो इंडिया योजना ____ 70

6.7. अगले 3 ओलंपिक खेलों के लिए कार्यबल ____ 70

6.8. शराब पर रोक ____ 71

6.9. *वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स* में भारत की रैंक में सुधार ____ 71

6.10. भारतीय सामाजिक विकास रिपोर्ट 2016 ____ 71

6.11 हैदराबाद में तेलंगाना का प्रथम बाल न्यायालय ____ 72

6.12. देवदासी प्रथा ____ 72

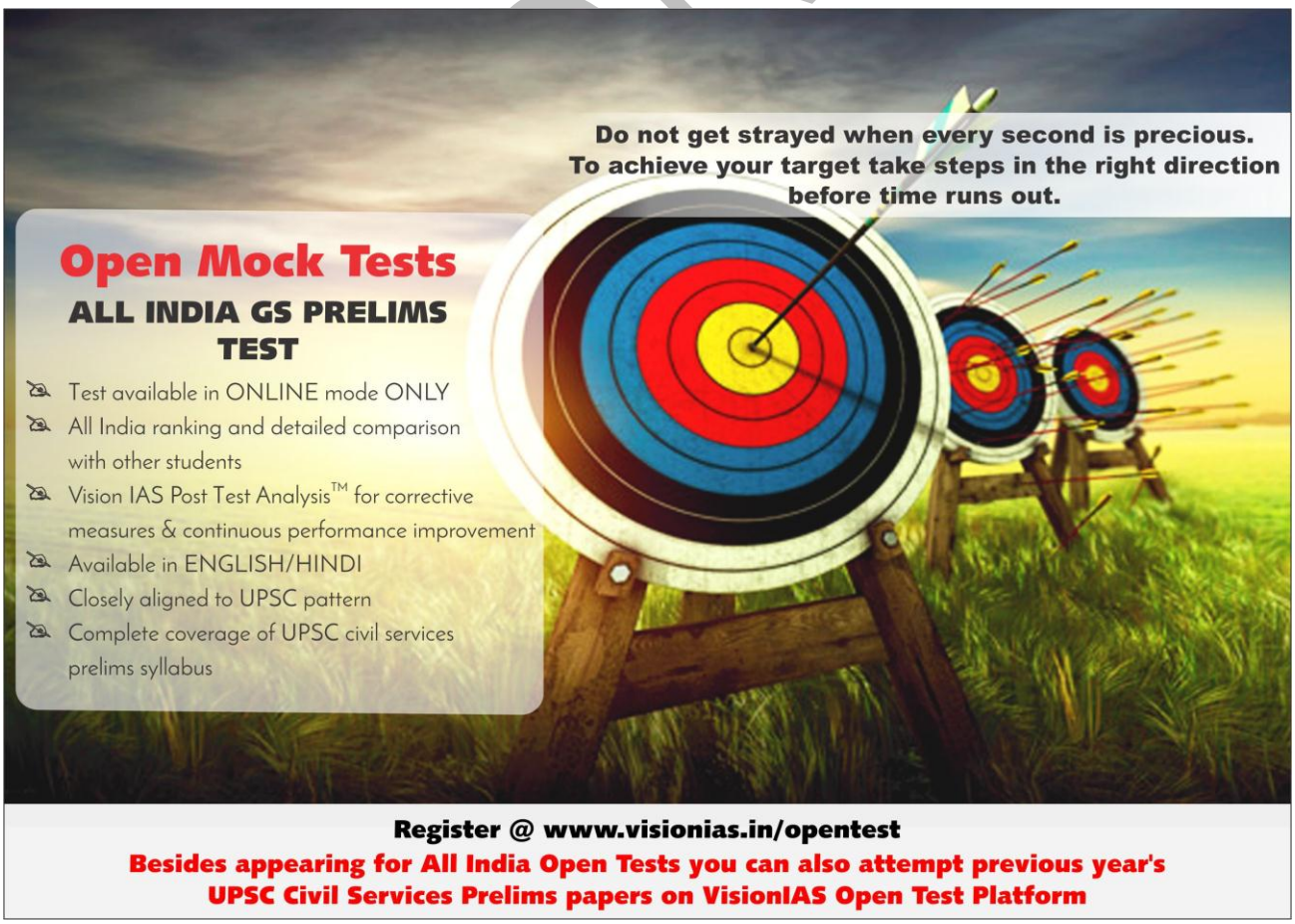

1. जेंडर से संबंधित मुद्दे

(GENDER RELATED ISSUES)

1.1. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2016

(Global Gender Gap Report, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने 1 वर्ष में 108वें स्थान से 87वें स्थान पर पंहुच कर *ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स* की अपनी रैंक में सुधार किया है।

रिपोर्ट के बारे में

- *ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट* वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम (WEF) द्वारा प्रकाशित की जाती है।
- WEF विभिन्न देशों के *जेंडर गैप इंडेक्स* का निर्धारण मुख्यतः चार कारकों को ध्यान में रख कर करती है, जो इस प्रकार है: **अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा राजनैतिक भागीदारी**।
- रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण में कहा गया है कि आर्थिक अवसर के मामले में समता की दिशा में प्रगति नाटकीय रूप से धीमी हुई है। वर्तमान में आर्थिक अवसर के मामले में जेंडर गैप 59% है, जोकि 2008 के बाद से अब तक किसी भी समय सबसे बड़ा अन्तराल है।
- वैश्विक स्तर पर स्कैन्डिनेवियन देश इस बार भी ऊपर के चार स्थानों पर हैं। ये देश क्रमशः आइसलैंड, फ़िनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन हैं।

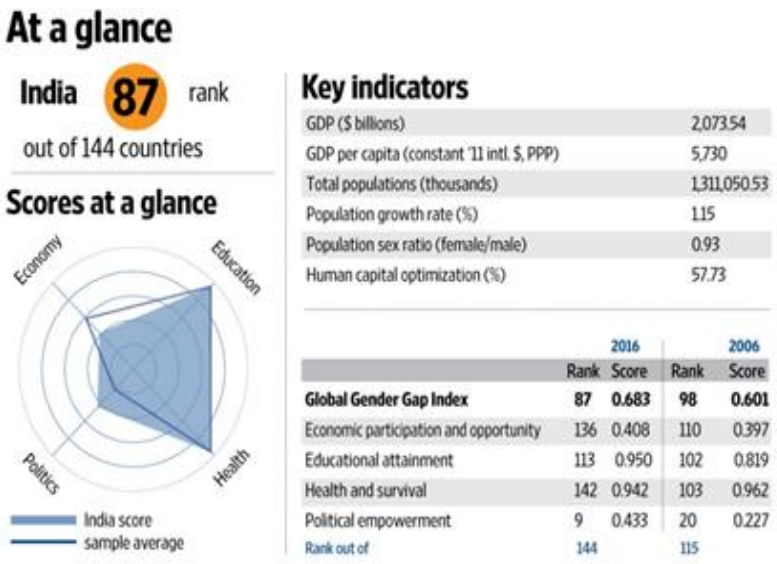

भारत का प्रदर्शन

- भारत ने एक वर्ष में लैंगिक अंतराल को 2% कम किया है। चारों कारकों पर अब यह अंतराल 68% है।
- हालांकि सबसे बड़ा सुधार शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, जहां भारत प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में इस अंतराल को पूर्ण रूप से समाप्त करने में कामयाब रहा है।

1.2. तीन तलाक (ट्रिपल तलाक)

(Triple Talaq)

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय शायरा बानो के मामले पर विचार कर रही है, जिसने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 के सेक्शन 2 की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। यह बहुविवाह, तीन तलाक तथा "निकाह हलाला" को पुष्ट करने और इसे विधिमान्य बनाने से सम्बंधित है।
- न्यायालय द्वारा इस मामले पर केंद्र सरकार से प्रतिक्रिया मांगे जाने के कारण अब केंद्र सरकार भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो गई है।
- सरकार ने अपने शपथपत्र (एफिडेविट) में यह कहते हुए याचिका का समर्थन किया है कि ये प्रथाएं "इस्लाम या अन्य अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं" का अभिन्न अंग नहीं हो सकतीं। इसलिए इनमें महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सुधार करना चाहिए।

तीन तलाक तथा निकाह हलाला

- **तलाक ए बिदत** में एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को एक ही तुह्र (tuhr) (दो मासिक धर्मों के बीच की अवधि) के दौरान एक बार से अधिक तलाक बोल कर तलाक़ ले सकता है; या सम्भोग के बाद वाले तुह्र में; या एक ही बार में वापस न लिया जा सकने वाला एकतरफ़ा तीन तलाक़ बोल कर तलाक़ ले सकता है।

- **निकाह हलाला** अस्थायी विवाह है, जिसमें तत्काल तालक की शिकार महिला को अपने पहले पति से पुनर्विवाह करने के लिए पहले दूसरे पुरुष के साथ विवाह करना पड़ता है। दूसरा विवाह भी शारीरिक संबंध द्वारा पूर्ण (consummate) होना चाहिए।
- इस प्रथा को कई मुस्लिम समूहों सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अमानवीय और असभ्य बताया गया है।
- हालांकि, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने इस प्रथा का समर्थन यह कहते हुए किया है कि यह शादी बचाने का एक तरीका है। यह कहता है कि निकाह हलाला की अनिवार्यता पति को जल्दबाजी में तलाक देने से रोकती है।
- सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि ये प्रथाएँ मूल रूप से इस्लाम से जुड़ी हुई नहीं हैं और कई इस्लामी देशों ने इन्हें समाप्त कर दिया है।
- तत्काल तीन तलाक़ प्रथा को 2002 में ही उच्चतम न्यायालय द्वारा शमीम आरा मामले में अवैध करार दिया गया है। उस निर्णय के अनुसार निकाह हलाला भी अनावश्यक (redundant) हो गया है।

1.3. घरेलू हिंसा अधिनियम में परिवर्तन

(Changes in Domestic Violence Act)

अधिनियम के संबंध में

- सर्वोच्च न्यायालय ने घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान में से "वयस्क पुरुष" शब्द समाप्त कर दिया है, ताकि एक महिला किसी दूसरी महिला पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए उसके विरुद्ध भी शिकायत (परिवाद) दर्ज करा सके।

न्यायालय द्वारा दिए गए कारण

- घरेलू हिंसा की अपराधकर्ता और दुष्प्रेरक, महिलाएँ भी हो सकती हैं, इसलिए उन्हें न्याय प्रकिया से अलग रखने से अधिनियम का प्रयोजन निष्फल हो जाएगा। इस उन्मुक्ति के अंतर्गत महिलाएँ एवं नाबालिग़ घरेलू हिंसा करना जारी रख सकते हैं।
- यह परिवर्तन घरेलू हिंसा को लिंग तटस्थ करार देता है और कानून के प्रयोजन को बेहतर तरीके से प्राप्त करने में मदद करेगा।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 द्वारा महिलाओं का संरक्षण

- इसे 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया था। यह अधिनियम पहली बार "घरेलू हिंसा" की परिभाषा प्रदान करता है।
- यह एक व्यापक परिभाषा है, जिसमें न केवल शारीरिक हिंसा शामिल है, बल्कि हिंसा के अन्य रूप जैसे भावनात्मक / मौखिक, यौन, और आर्थिक शोषण भी सम्मिलित हैं।
- यह एक नागरिक क़ानून है, जिसका अर्थ मुख्य रूप से सुरक्षा आदेशों के लिए होता है, और यह आपराधिक रूप से दंड आरोपित नहीं करता है।
- यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं है, इस राज्य का अपना कानून है।
- मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए विभिन्न प्रकार के आदेश हैं: संरक्षण आदेश, निवास आदेश, मौद्रिक राहत, हिरासत संबंधी आदेश और मुआवजा आदेश।

1.4. हरियाणा में लिंगानुपात

(Sex Ratio in Haryana)

सुर्खियों में क्यों?

- विगत दो दशकों में पहली बार जन्म के समय लिंगानुपात (**Sex Ratio at Birth:** SRB) के मामले में हरियाणा ने 900 के आंकड़े को पार किया। दिसम्बर 2016 में SRB 914 रिकॉर्ड किया गया था।
- SRB प्रति 1000 बालक शिशु पर जन्मी बालिका शिशुओं की संख्या को संदर्भित करता है।

उठाए गए कदम:

- जनवरी 2015 में केन्द्र सरकार द्वारा पानीपत में ***बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ*** **(BBBP:B3P)** अभियान से राज्य में लिंगानुपात की निराशाजनक स्थिति में प्रारम्भिक सुधार और प्रेरणा मिली है।
- जिला स्तर पर सभी विभागों में कन्वर्जेन्स, कोऑपरेशन (सहयोग) और कोआर्डिनेशन (समन्वय) को कठोरता से लागू किया गया।
- कार्यक्रम की नियमित रूप से निगरानी करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष B3P प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी।

- राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि **प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-+नेटल डाइगनोस्टिक टेक्नीक (PCPNDT) एक्ट, 1994** और **मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP)** एक्ट का कठोरता से पालन हो।
- राज्य सरकार ने लिंग-चयन, लिंग-चयनात्मक गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध व्यापक अभियान आरम्भ किए।
- शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में जनता को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित बैठकें, रैलियां और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु **"सेल्फी विथ डॉटर"** जैसा अभियान भी बहुत सफल रहा।
- दीपा मलिक, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, बबिता फोगाट जैसी हरियाणा की बेटियों द्वारा खेलों में देश का गौरव बढ़ाने से इस उद्देश्य को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्राप्त हुआ।
- राज्य सरकार की हाल की कुछ योजनाएं जैसे "**आपकी बेटी हमारी बेटी**", "**हरियाणा कन्या कोष**" इस दिशा मे सही कदम सिद्ध हुए।

हरियाणा: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार

- औसत राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 की तुलना में, यहाँ प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 877 है, जो संपूर्ण देश में न्यूनतम है।
- सभी राज्यों के औसत राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 की तुलना में, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात (0-6 वर्ष) 834 भी यहीं अंकित किया गया था।

हरियाणा सरकार की योजनाएं:

***आपकी बेटी हमारी बेटी* योजना:**

- राज्य में घटते बाल लिंगानुपात की समस्या का सामना करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई थी।
- इस योजना के अनुसार 22 जनवरी 2015 के पश्चात SC और BPL परिवारों में जन्मी पहली बालिका 21000 रूपये प्राप्त करने हेतु पात्र होगी।
- इसी प्रकार से 22 जनवरी 2015 के पश्चात सभी परिवारों में जन्मी दूसरी बालिका को 21000 रूपये प्राप्त होंगे।
- जिन परिवारों में जुड़वां बालिकाएं या इससे अधिक बालिकाएं एकसाथ जन्म लेती हैं तो उन्हें प्रति बालिका 21000 रूपये प्राप्त होंगे।
- यह राशि हरियाणा कन्या कोष से दी जाएगी।

हरियाणा कन्या कोष:

- यह एक विशेष निधि है, जिसे राज्य की बालिकाओं और महिलाओं के कल्याण एवं विकास हेतु स्थापित किया गया है।
- निर्धन और अनुसूचित जातियों के परिवारों की बालिकाओं के लिए इस कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- बालिकाओं के कल्याण हेतु इस निधि में कोई भी व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है।

1.5. प्रसव पूर्व लिंग चयन पर नियंत्रण हेतु नोडल एजेंसी

(Nodal Agency to Check Pre-Natal Sex Selection)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सरकार को ऑनलाइन प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण विज्ञापनों की निगरानी और उन पर शिकंजा कसने के लिए एक नोडल एजेंसी गठित करने का निर्देश दिया।

शिशु लिंग अनुपात में गिरावट पर नियंत्रण की दिशा में पहल

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
- सुकन्या समृद्धि योजना
- PCPNDT अधिनियम (1994)
- आंध्र प्रदेश सरकार की बालिका शिशु सुरक्षा योजना
- हरियाणा सरकार द्वारा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना
- राजस्थान सरकार की आश्रय योजना
- तमिलनाडु सरकार की शिवगामी अम्मैयर मेमोरियल बालिका सुरक्षा योजना
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

VISION IAS

उठाये गए कदमों के विषय में

- यह कदम **PCPNDT अधिनियम (1994),** के भाग के रूप में उठाया गया है जिसमें कहा गया है कि **भारत में किसी को भी लिंग चयन का प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी**।
- नोडल एजेंसी टीवी, रेडियो और अखबारों में विज्ञापन द्वारा प्रचार करेगी, कि अगर किसी को कुछ भी ऐसा दिखता है जहाँ प्रसव से पहले गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण (कि शिशु लड़का है या लड़की) करने का कार्य किया जा रहा है तो उसे नोडल एजेंसी को सूचित किया जाये।
- एक बार ध्यान में लाए जाने के बाद, एजेंसी सर्च इंजन को सूचित करेगी और वे जानकारी प्राप्त करने के बाद 36 घंटे के भीतर इसे हटाने और नोडल एजेंसी को सूचित करने के लिए बाध्य होंगे।

PCPNDT अधिनियम के बारे में

- पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण को प्रतिबंधित कर दिया।
- लिंग चयन में प्रयुक्त तकनीक के विनियमन में सुधार करने के लिए इसका 2003 में संशोधन कर पूर्व गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम के रूप में नामकरण किया गया।

1.6. धार्मिक स्थलों में महिलाओं को प्रवेश: बॉम्बे हाईकोर्ट

(Women Entry to Religious Places: Bombay HC)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- बंबई उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत मुंबई में सूफी दरगाह में मज़ार तक महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी है।

पृष्ठभूमि

- चार वर्ष पहले दरगाह ट्रस्ट ने हाजी अली दरगाह के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी थी।
- ट्रस्ट ने कुरान की आयतों और पैगंबर मोहम्मद का हवाला देते हुये दावा किया कि इस्लाम, दरगाह/मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता।
- ट्रस्ट ने संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत मौलिक अधिकार "अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के लिए" का दावा किया था।

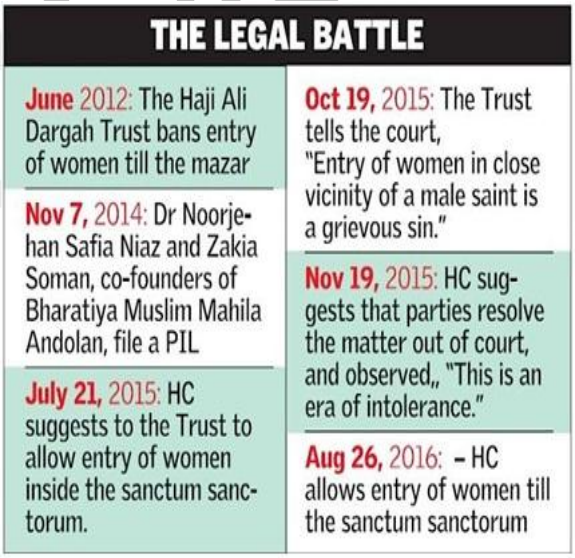

उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

- बंबई उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए प्रतिबन्ध हटा लिया कि यह संविधान का उल्लंघन करता है तथा महिलाओं को "पुरुषों के समान" प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- कोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट संविधान में प्रतिष्ठापित "मौलिक अधिकारों के विपरीत" इस प्रतिबंध को लागू नहीं कर सकते।
  - ✓ **अनुच्छेद 14** (विधि के समक्ष समानता),
  - ✓ **अनुच्छेद 15** (धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध)
  - ✓ **अनुच्छेद 25** (धर्म एवं अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म के प्रचार-प्रसार की स्वतंत्रता)।
- ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार देने के लिए अदालत ने छह सप्ताह के लिए अपने आदेश पर रोक लगा दी।

1.7. मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2016

(The Maternity Benefit [Amendment] Act, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- यह अधिनियम मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधन करता है। यह अधिनियम बच्चे के जन्म की अवधि के दौरान महिलाओं के रोजगार को नियंत्रित करता है और उन्हें मातृत्व लाभ प्रदान करता है।
- अधिनियम मातृत्व अवकाश की अवधि, प्रासंगिकता और अन्य सुविधाओं से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करता है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी संस्थानों पर लागू है।
- **मातृत्व अवकाश की अवधि**: अधिनियम के अनुसार प्रत्येक औरत 12 हफ्तों के मातृत्व लाभ की हकदार होगी। इस अधिनियम में यह अवधि बढ़ाकर **26 सप्ताह** कर दी गई है।
- अधिनियम के तहत, इस मातृत्व लाभ का उपयोग प्रसव की अपेक्षित तारीख से छह सप्ताह से पहले नहीं किया जाना चाहिए। अधिनियम में यह अवधि आठ सप्ताह कर दी गई है।
- ऐसे मामले जिनमें किसी औरत के दो या दो से अधिक बच्चे हैं, में मातृत्व लाभ 12 सप्ताह के लिए दिया जाना जारी रहेगा, जिसका उपयोग प्रसव की अपेक्षित तारीख से छह सप्ताह से पहले नहीं किया जा सकता है।
- **दत्तक और कमीशन माताओं के लिए मातृत्व अवकाश**: अधिनियम के अनुसार निम्न स्थितियों में 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है:

✓ जब कोई औरत कानूनी तौर पर तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है;

✓ जब कोई औरत **कमीशन** माँ हो। **कमीशन** माँ को जैविक मां के रूप में परिभाषित किया गया है जो भ्रूण बनाने के लिए अपने अंडे का उपयोग करती है तथा उसे किसी दूसरी औरत में प्रत्यारोपित करती है।

- **घर से काम करने का विकल्प**: अधिनियम के एक प्रावधान में यह कहा गया है कि नियोक्ता अवकाश अवधि के दौरान भी घर से काम करने के लिए किसी महिला को अनुमति दे सकता है।
- **क्रेच (शिशु गृह) सुविधाएं**: अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाली प्रत्येक संस्था द्वारा एक निर्धारित दूरी के अंदर क्रेच की सुविधा उपलब्ध करवाना आवश्यक है।
- **मातृत्व अवकाश के अधिकार के बारे में महिला कर्मचारियों को सूचित करना**: अधिनियम के एक प्रावधान के तहत संस्था द्वारा महिला कर्मचारी को उसकी नियुक्ति के समय उसके पास उपलब्ध मातृत्व लाभ के बारे में सूचित करना आवश्यक है।

1.8. वाणिज्यिक सरोगेसी विधेयक

(Commercial Surrogacy Bill)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने और केवल बांझ दंपतियों को ही सरोगेट मां द्वारा बच्चा प्राप्त करने की अनुमति देने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की मंजूरी दे दी है।

प्रस्तावित विधेयक के प्रावधान

- अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के कार्ड धारकों को भारत में सरोगेट मदर की मदद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- **दायरे से बाहर:** एकल पुरुष व महिला, विषमलैंगिक जोड़े जो विवाह नहीं करना चाहते, समलैंगिक जोड़े, ट्रांसजेंडर व्यक्ति तथा एकल अभिभावक सरोगेसी के जरिए बच्चा प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
- कानूनी तौर पर विवाहित भारतीय दंपत्ति कानूनी शादी के पांच वर्ष बाद सरोगेट बच्चा प्राप्त सकता है लेकिन इसके लिए उनके बांझपन के सबूत के रूप में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
- विधेयक, सरोगेट मदर के शादीशुदा होने और बच्चा चाहने वाले जोड़े की करीबी रिश्तेदार होने की शर्त को अनिवार्य बनाता है। साथ ही किसी अन्य जोड़े के बच्चे के लिए कोख देने से पहले सरोगेट मदर ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया हो।
- एक औरत केवल एक सरोगेट बच्चे को जन्म दे सकती है।
- कानून का उल्लंघन करने पर 10 वर्ष का कारावास या 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती हैं।
- **कार्यान्वयन की निगरानी हेतु स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड** बनाया जाएगा।
- सरोगेट मदर और सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

VISION IAS

1.9. MTPA 1971 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

(Supreme Court Decision on MTPA 1971)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- एक दुर्लभ आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कथित रूप से बलात्कार पीड़ित एक युवती को कानूनन निर्धारित 20 सप्ताह की अवधि के बाद भी उसके गर्भ को समाप्त करने के लिए अनुमति दी।
- अदालत ने एक मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार किया जिसमें कहा गया था कि भ्रूण में कई जन्मजात विसंगतियों के कारण उसके जीवन को खतरा था।

पृष्ठभूमि

- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971 वस्तुतः **1966 में शांतिलाल शाह समिति** की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर अस्तित्व में आया जिसमें कहा गया था कि गर्भपात और प्रजनन अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करने की आवश्यकता है।
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अनुसार निर्धारित 20 सप्ताह के बाद गर्भपात की अनुमति नहीं है। हालांकि, यदि माँ के जीवन के लिए कोई चिकित्सीय खतरा है तो 24 सप्ताह के बाद भी भ्रूण को समाप्त किया जा सकता है।

1.10. राष्ट्रीय महिला संसद

(National Women's Parliament)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आंध्रप्रदेश विधान सभा और अमरावती के एक शासकीय विद्यालय ने हाल ही में एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय महिला संसद (NWP) का आयोजन किया।

राष्ट्रीय महिला संसद के सम्बन्ध में:

- यह पहली ऐसी पहल है, जिसमें उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की 10,000 बालिकाओं को प्रख्यात महिलाओं से मिलाया जाएगा।
- राष्ट्रीय महिला संसद का विषय था **"महिला सशक्तिकरण – लोकतंत्र सुदृढ़ीकरण (Empowering Women — Strengthening Democracy)।"**
- इसने महिला संसद के विषय पर विविध पृष्ठभूमि के लोगों (सरकारी, NGOs, इत्यादि) को अपने विचार एवं ज्ञान साझा करने हेतु एकत्रित किया। कुल सात सत्रों में निम्नलिखत विषयों पर चर्चा की गयी:
- महिला सशक्तिकरण में सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ।
- महिलाओं की स्थिति और निर्णय-निर्माण।
- भविष्य के लिए अपनी पहचान एवं विजन का निर्माण।

1.11. सरकारी योजना

(Govt Schemes)

1.11.1. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

(Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष पर घोषणा की, कि प्रत्येक गर्भवती महिला को अस्पताल में ठहरने, टीकाकरण और पोषण के लिए 6000 रूपए प्रदान किए जाएंगे।

यह क्या है?

- गर्भवती महिलाओं को यह लाभ इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY) के अंतर्गत प्रदान किया जाता है, जिसे UPA सरकार द्वारा वर्ष 2010 में प्रारम्भ किया गया था।
- यह योजना 53 जिलों में प्रायोगिक रूप से प्रारम्भ की गई थी।

- हालाँकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ने इसकी सार्वभौमिक पहुँच को अनिवार्य बना दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुच्छेद 4(b) में कहा गया है कि प्रत्येक गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिला कम से कम 6000 रूपये के मातृत्व लाभ की अधिकारी है।
- मूल रूप से IGMSY में 4000 रूपये प्रदान किए जाते थे, जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के साथ बढ़ा कर 6000 रूपये कर दिया गया है। नकद हस्तान्तरण की यह योजना 19 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं हेतु दो जीवित बच्चों तक ही लागू होती है।
- सभी गर्भवती महिलाएं इसकी पात्र हैं, जब तक कि उन्होंने पहले से ही अपने नियोक्ताओं (निजी या सरकारी किसी भी क्षेत्र के) से सवैतनिक अवकाश (पेड लीव) या कोई मातृत्व सहायता प्राप्त न की हो।

नए सुधार:

- महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक योजना बनाई है कि 6000 रूपये के इस लाभ को तीन किश्तों मे पहले दो जीवित बच्चों के जन्म के लिए दिया जायेगा।
- राज्य इस लागत का 40% वहन करेंगे और शेष राशि केन्द्र द्वारा प्रदान की जाएगी।
- केन्द्र सरकार ने अपने 2017-18 के बजट में, इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 2700 करोड़ रूपए की राशि आवंटित की है।

1.11.2. जननी सुरक्षा योजना

(The Janani Suraksha Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- एक अध्ययन के अनुसार जननी सुरक्षा योजना (JSY) ने 2004 और 2014 के बीच **महिलाओं द्वारा सरकारी अस्पतालों में प्रसव के मामलों में 22% की वृद्धि** की सफल उपलब्धि प्राप्त की है।

जननी सुरक्षा योजना के संबंध में

- यह योजना **2005 में** प्रारंभ की गयी थी।
- यह विश्व की **सबसे बड़ी सशर्त नकद-अंतरण योजना (conditional cash-transfer) है जिसका उद्देश्य घर पर प्रसव करने के स्थान पर संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना है।**
- इसका **लक्ष्य** भारत की शिशु (CMR) और मातृ मृत्यु दरों (MMR) में सुधार करना है।
- इस योजना के अंतर्गत **अस्पतालों में प्रसव का चयन करने वाली गर्भवती महिलाओं और उन्हें ऐसा निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने वाले कार्यकर्ता को नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता हैं।** इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला को 1400 रु. और आशा कार्यकर्ता को 600 रु. एवं शहरी क्षेत्र में क्रमश: 1,000 रु. और 200 रु. प्राप्त होते हैं।
- **नकद प्रोत्साहनों** का प्रयोजन संस्थागत प्रसव हेतु वित्तीय बाधाओं को कम करना था।

1.11.3. केरल में "पिंक" पहल

('Pink' initiatives in kerela)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केरल के शहरों में महिलाओं द्वारा संचालित पिंक टैक्सियों से प्रेरित होकर केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) तिरुवनंतपुरम में विशेष रूप से महिलाओं के लिए गुलाबी रंग की बसें आरम्भ करेगा।
- इन बसों की चालक एवं परिचालक दोनों महिलाएँ होंगी।
- इसका उद्देश्य बसों में विशेष रूप से अत्यधिक भीड़ होने के दौरान महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन प्रदान करना है।
- इससे पहले, राज्य सरकार ने 2013 में महिलाओं द्वारा संचालित कैब के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए जेंडर पार्क पहल के अंतर्गत "शी-टैक्सी" सेवा लांच की थी।

जेंडर पार्क पहल

- कोझिकोड में अवस्थित यह पार्क, सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार की नवोन्मेषी पहल है।
- विश्व में अपनी तरह के पहले इस पार्क का उद्देश्य क्षेत्र में लिंग आधारित गतिविधियों के लिए प्रमुख सम्मिलन स्थल (कंवर्जेंस पॉइंट) बनना है।

- **शी-टैक्सी सेवा** के अतिरिक्त **जेंडर पार्क** के अंतर्गत की गई अन्य पहलें इस प्रकार हैं:
- **इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर जेंडर एंड डेवलपमेंट (IIGD)**: यह उच्च गुणवत्ता अनुसंधान कार्यान्वित करने, प्रभावी क्षमता विकास कार्यक्रम का प्रारूप बनाने तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं एवं जनता को व्यावहारिक अनुशंसाएँ प्रदान करने हेतु समर्पित है।
- **इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी (ICGE)**: यह पार्क, लैंगिक-न्याय आधारित विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं का अन्वेषण करने के लिए सम्पूर्ण विश्व से विद्वानों, व्यवसायियों, नीति-निर्माताओं और पेशेवरों को एकजुट कर द्विवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करता है।

अतिरिक्त सूचना

- पिछले वर्ष केरल ने सार्वजनिक स्थलों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक पुलिस पेट्रोल (जिसे पिंक बीट पेट्रोल के नाम से भी जाना जाता है) की टीम का शुभारम्भ किया। इसमें केवल विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला पुलिस कर्मी शामिल हैं।
- ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) ने महिलाओं के लिए "शी टॉइलेट" नामक विशिष्ट और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक शौचालय (ई-शौचालयों) का आरम्भ किया है। इनमें स्मार्ट और इकोफ्रेंडली प्रकाश व्यवस्था और फ़्लश प्रणालियाँ होती हैं।

1.11.4. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)

(Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan [PMSMA])

PMSMA के बारे में

- यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा शुरू किया गया है।
- इसका लक्ष्य प्रत्येक महीने की 9 तारीख को सार्वभौमिक तौर पर सभी गर्भवती महिलाओं को सुनिश्चित, व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल मुहैया कराना है।
- इसमें प्रजनन-मातृत्व-नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य (Reproductive Maternal Neonatal Child and Adolescent Health: RMNCH+A) रणनीति के एक भाग के रूप में प्रसव पूर्व देखभाल (Antenatal Care: ANC) सहित निदान और परामर्श सेवाओं की गुणवत्ता और व्यापकता में सुधार की परिकल्पना की गई है।

PMSMA की प्रमुख विशेषताएँ

- निजी चिकित्सकों की भागीदारी: -इस कार्यक्रम में निजी क्षेत्र के साथ अनुबंध हेतु एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया गया है। जिसमें निजी चिकित्सकों को स्वैच्छिक रूप से अभियान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की रणनीति विकसित करने हेतु प्रेरित करना और सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर इस अभियान में भाग लेने के लिए निजी क्षेत्र से अपील करना शामिल है।
- उच्च जोखिम वाले गर्भधारण का पता लगाना और जाँच करना भी इसमें सम्मिलित है। गर्भवती महिलाओं की स्थिति और जोखिम कारक का संकेत देने हेतु प्रत्येक विजिट के लिए MCP कार्ड (मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड) पर एक स्टीकर लगाया जाएगा।
  - ✓ **ग्रीन स्टीकर** - उन महिलाओं के लिए जिनके साथ कोई जोखिम कारक नहीं जुड़ा है।
  - ✓ **लाल स्टीकर** - उच्च जोखिम गर्भधान वाली महिलाओं के लिए।
- निजी / स्वैच्छिक क्षेत्र को इससे जोड़ने एवं उन्हें सुविधा प्रदान करने हेतु PMSMA के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है।

1.11.5. महिला शक्ति केन्द्र

(Mahila Shakti Kendra)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 2017-18 के बजट भाषण में उल्लेख किया गया कि 14 लाख ICDS आंगनवाड़ी केंद्रों में ग्राम स्तर पर **महिला शक्ति केन्द्रों** की स्थापना की जाएगी।

महिला शक्ति केंद्र के संबंध में

- महिला शक्ति केंद्र कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों के साथ ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए वन स्टॉप सामुहिक सहायता सेवाएं प्रदान करेंगे।
- महिला शक्ति केंद्रों से महिलाओं के लिए आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि होगी।

1.11.6. महिला पुलिस स्वयंसेवक

(Mahila Police Volunteer)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ महिला पुलिस स्वयंसेवक पहल को अपनाया गया है। इस स्कीम को करनाल और महेंद्रगढ़ जिलों से आरंभ किया गया है।
- राज्य में 1000 महिला स्वयं सेवकों के पहले बैच की भर्ती की गयी है।

योजना के सम्बन्ध में और अधिक जानकारी:

- महिला पुलिस स्वयंसेवक **महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा केन्द्रीय गृह मंत्रालय** की एक संयुक्त पहल है।
- महिलाओं के लिए **सुरक्षित और समर्थ वातावरण बनाने** के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस पहल को प्रारम्भ किया है।
- इन महिला स्वयंसेवकों का प्राथमिक कार्य उन स्थितियों पर नजर रखना है जहाँ गाँवों में महिलाओं को तंग किया जाता है और उनके अधिकारों का हनन किया जाता है तथा उनके विकास को अवरुद्ध किया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक महिला पुलिस स्वयंसेवक की नियुक्ति की जाएगी।
- महिला पुलिस स्वयंसेवक का चयन एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत उन महिलाओं में से किया जाएगा जो सामाजिक रूप से सशक्त, जागरूक और जिम्मेदार हैं। वे लैंगिकता से जुड़े मामलों तक पुलिस की पहुंच को सम्भव बनाने में सहायक होंगी।

1.11.7. सखी - वन स्टॉप सेंटर स्कीम

(Sakhi – One Stop Centre Scheme)

- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है । यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन की अम्ब्रेला योजना के तहत एक उप-योजना है।
- इसका लक्ष्य निजी या सार्वजनिक स्थल में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता जैसे- बचाव सेवाएँ, चिकित्सा/कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता इत्यादि प्रदान करना है।
- 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों सहित सभी महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु उनकी जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन उन्मुखता/रूचि/रुझान (सेक्सुअल ओरिएंटेशन) या वैवाहिक स्थिति के निरपेक्ष ये वन स्टॉप सेंटर पूरे देश में स्थापित किए जाएंगे।
- सखी सेंटर ग्राह्यता (admissibility) के आधार पर केंद्र प्रशासक के विवेकानुसार अस्थायी आश्रय की सुविधा प्रदान करेगा।
- दीर्घकालीन आश्रय के लिए, उन्हें स्वाधार गृह / *शॉर्ट स्टे होम* (Short Stay Homes) भेजा जाएगा जो NGO या सरकार द्वारा प्रबंधित या मान्यता प्राप्त होंगे।
- राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन तन्त्र इस योजना को 100% केंद्रीय सहायता के साथ क्रियान्वित करेगा। इसमें निर्भया फण्ड द्वरा फंडिंग भी शामिल होगी।

1.11.8. प्रेरणा योजना

(Prerna Scheme)

- यह ज़िम्मेदार अभिभावकत्व से सम्बंधित रणनीति है। इसके तहत बालिकाओं के माता पिता को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा- ताकि लड़कियों की विवाह की आयु को बढाया जा सके और युवा माताओं तथा नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के हित को प्राथमिकता देने हेतु बच्चों के जन्म में अंतर बढ़ाया जा सके।
- यह वित्तीय प्रोत्साहन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय 'जनसंख्या स्थिरता कोष (Jansankhya Sthirtha Kosh) ' द्वारा प्रदान किया जाता है।
- यह सात फोकस राज्यों,नामतः बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान के सभी जिलों में आरम्भ किया गया है।
- यह योजना केवल बी.पी.एल. परिवारों के लिए है । रणनीति में उन विवाहित जोड़ों को चिह्नित करना एवं पुरस्कृत करना शामिल है जो रूढ़िवादी मान्यताओं (स्टीरियोटाइप) को तोड़ चुके हैं: अर्थात्,

✓ 19 वर्ष की आयु के बाद लड़की का विवाह करना

- ✓ विवाह के कम से कम 2 वर्ष बाद पहले बच्चे को जन्म देना
- ✓ पहले बच्चे के कम से कम 3 वर्षों के बाद दूसरे बच्चे को जन्म देना
- ✓ दूसरे बच्चे के जन्म के एक वर्ष के भीतर परिवार नियोजन की स्थायी पद्धति को स्वेच्छा से स्वीकार करना।
- ✓ पुरस्कार की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (NSC) के रूप में प्रदान की जाती है।

1.11.9. ट्रीड स्कीम

(TREAD Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए "व्यापार संबद्ध उद्यमिता सहायता एवं विकास योजना" (Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development: TREAD) का शुभारम्भ किया है।

योजना के बारे में

- योजना में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए व्यापार, उत्पादों, सेवाओं आदि से संबंधित गतिविधियों में उन्हें प्रशिक्षण, सूचना तथा परामर्श दिए जाने का प्रावधान है।
- ऋण देने वाले संस्थानों/बैंकों के आंकलन के आधार पर इस योजना के तहत, भारत सरकार उक्त ऋण/क्रेडिट का 30% तक (अधिकतम 30 लाख रूपए) अनुदान के रुप में उपलब्ध कराएगी।
- ये ऋण देने वाले संस्थान/बैंक महिला समूहों को गैर-कृषि गतिविधियां अपनाने के लिए NGOs के माध्यम से ऋण सहायता उपलब्ध कराएंगे।

1.12. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मुद्दे

(Transgender issues)

1.12.1. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार

(Transgender Rights)

सुर्खियों में क्यों?

- दिल्ली सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण फॉर्म में "ट्रांसजेंडर श्रेणी" भी जोड़ दी गई है।
- एक अन्य विकासक्रम में ईसाई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जल्द ही संपत्ति का समान अधिकार मिल सकता है।
- इसके अलावा, ओडिशा सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे का दर्जा दिया गया है।

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र

- दिल्ली सरकार ने सभी रजिस्ट्रार कार्यालयों को जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र फॉर्म में परिवर्तन करने के लिए नोटिस जारी किया है।
- ट्रांसजेंडर समुदाय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण बहुत कम होता है तथा इसमें से अधिकतर महिलाओं के रूप में पंजीकृत हैं।
- 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी, तत्पश्चात यह इस मामले में पहला कदम है।

ईसाई ट्रांसजेंडर

- भारत के विधि आयोग ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग से सिफारिश मांगी थी।
- दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने ईसाइयों की सलाहकार समिति के साथ विचार-विमर्श किया।
- दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने सुझाव दिया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 44 में संशोधन करके, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति में पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार दिए जाने चाहिए।
- **महत्व**: उत्तराधिकार अधिनियम में 'ट्रांसजेंडर' को शामिल किए जाने के बाद, ट्रांसजेंडर संपत्ति के अधिकार के लिए कानूनी उपायों का सहारा ले सकते हैं।

ओडिशा में ट्रांसजेंडर्स को बीपीएल दर्जा

- इस कदम से ओडिशा के लगभग 22000 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ मिलेगा।

- ओडिशा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बीपीएल का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
- राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाने का भी निर्णय किया है।

1.12.2. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2016

(The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार का संरक्षण) विधेयक, 2016 अगस्त, 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था।

विधेयक के प्रावधान

- ट्रांसजेन्डर व्यक्ति की परिभाषा: विधेयक एक ऐसे व्यक्ति को ट्रांसजेन्डर के रूप में परिभाषित करता है जो (i) न तो पूरी तरह महिला या पुरुष हो; (ii) महिला और पुरुष का संयोजन हो ; या (iii) न तो महिला और न ही पुरुष हो।
- भेदभाव के प्रति निषेध: यह ट्रांसजेंडर को अन्य बातों के साथ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक स्थान, वस्तु और सेवाओं तक पहुंच, कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता, निवास और स्वामित्व के अधिकार के रूप में आवश्यक क्षेत्रों में भेदभाव या वंचित करने से संरक्षित करता है।

✓ परिवार के साथ निवास का अधिकार: प्रारंभ में ही भेदभाव को रोकना महत्वपूर्ण है। यदि परिवार ट्रांसजेन्डर व्यक्ति की देखभाल करने में असमर्थ है तो ऐसे व्यक्ति को एक सक्षम न्यायालय के आदेश पर एक पुनर्वास केंद्र में रखा जा सकता है।

✓ स्वास्थ्य देखभाल: सरकार पृथक HIV निगरानी केंद्र, सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी आदि के साथ ट्रांसजेंडर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए कदम उठाएगी।

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए पहचान का प्रमाण पत्र: यह प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति के आवेदन करने के पश्चात् जारी किया जाएगा। यह सभी आधिकारिक दस्तावेजों में लिंग दर्ज करने हेतु मूल प्रमाणपत्र के रूप में उपयोग किया जाएगा और ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में प्रदत्त अधिकार के लिए भी एक मूल दस्तावेज की तरह कार्य करेगा।
- सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय: सरकार ट्रांसजेंडर के पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार नियोजन आदि के माध्यम से उन्हें समाज के मुख्यधारा में पूर्ण समावेश और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी।
- अपराध और दंड: विधेयक में निम्नलिखित को अपराध के रूप में स्वीकृत किया गया है:

✓ भिक्षावृति, बलात् या बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर करना;

✓ सार्वजनिक स्थान के उपयोग में बाधा पहुँचाना;

✓ घर, गांव, आदि में निवास से वंचित करना;

✓ शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार

✓ इन अपराधों के लिए न्यूनतम छह माह से लेकर अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान

- विधेयक में नेशनल कौंसिल फॉर ट्रांसजेंडर (NCT) के गठन का प्रावधान किया गया है। NCT ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित नीतियों, कानूनों और परियोजनाओं के निर्माण एवं निगरानी के बारे में केंद्र सरकार को सलाह देगी।

नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक मील का पत्थर है। इस निर्णय में ट्रांसजेन्डर लोगों को 'थर्ड जेंडर' घोषित किया गया। इस निर्णय में इस बात की पुष्टि की गई है कि भारत के संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होंगे, और उन्हें पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर के रूप में अपने लिंग के स्व-पहचान का अधिकार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह भी कहा कि चूंकि ट्रांसजेंडर लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाता था, इसलिए उन्हें शैक्षिक संस्थानों और नौकरियों में प्रवेश हेतु आरक्षण दिया जाएगा।

VISION IAS

1.12.3. LGBT (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर) समुदाय: सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना

(LGBT Community: Ensuring Social Justice)

सुर्ख़ियों में क्यों?

11 दिसम्बर को कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तीसरी वर्षगांठ थी। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय को पलटते हुए समलैंगिकता को पुन:अपराध घोषित कर दिया था।

कौशल मामले के निर्णय के बाद की घटनायें

- गुजरात उच्च न्यायालय ने समलैंगिकता का चित्रण करने वाली एक फिल्म को कर छूट प्रदान करने में गुजरात सरकार की विफलता को असंवैधानिक ठहराया।
- NALSA मामले (2014) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच स्थापित करने के लिए ट्रांसजेंडर्स को 'तृतीय लिंग' के रूप में माना जाना चाहिए।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत ट्रांसजेंडर्स 'घर के मुखिया' के रूप में माने जाने के हकदार होंगे।
- रेलवे आरक्षण प्रपत्र, राशन कार्ड के आवेदन प्रपत्र, पासपोर्ट आवेदन प्रपत्र इत्यादि में अब 'तृतीय लिंग' का विकल्प भी उपलब्ध है।

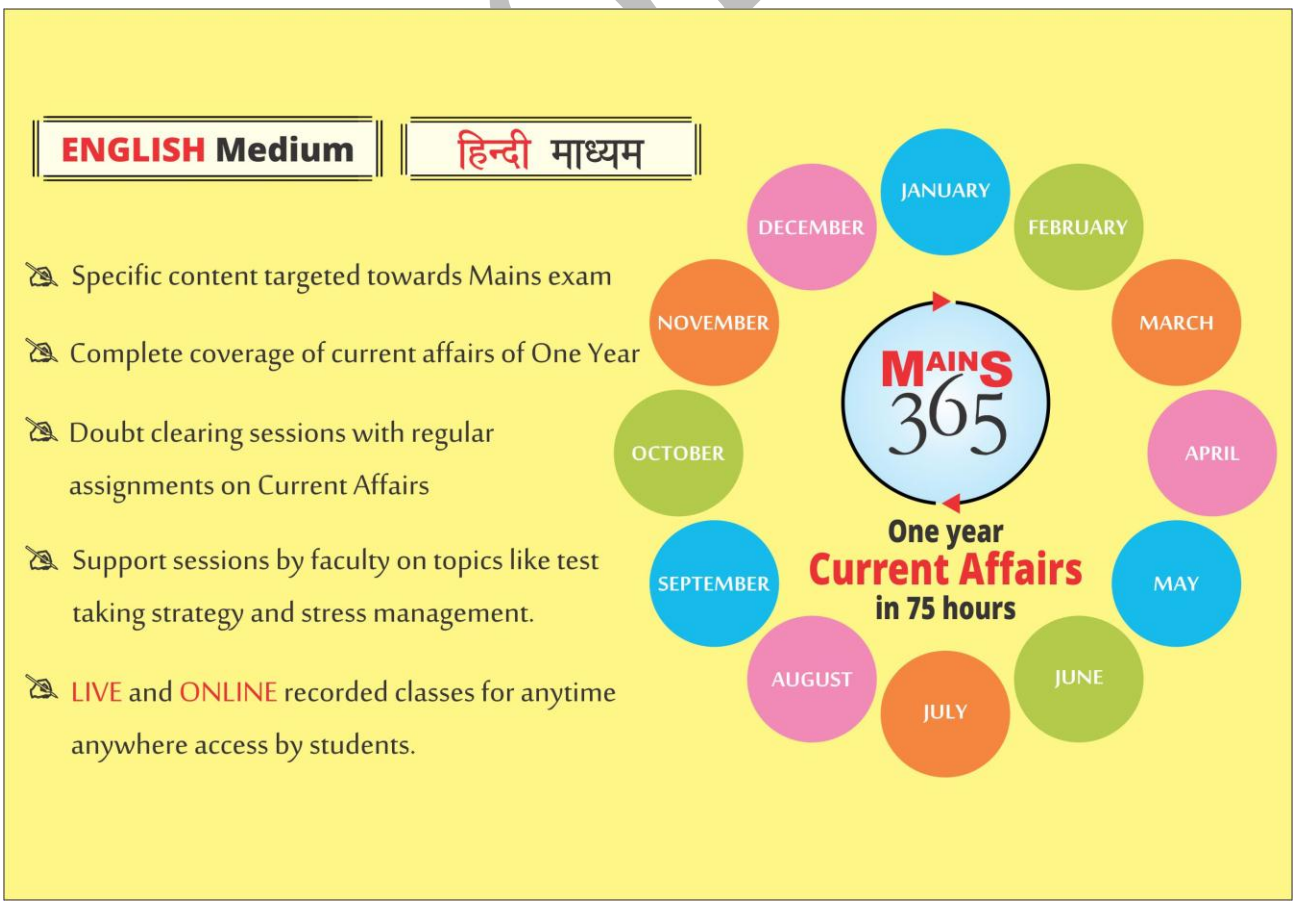

2. बच्चों से संबंधित मुद्दे

(CHILD RELATED ISSUES)

2.1. दत्तक ग्रहण विनियमन 2017

(Adoption Regulations 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority :CARA) द्वारा वर्ष 2015 के दत्तक ग्रहण दिशा-निर्देशों को प्रतिस्थापित करने हेतु गठित दत्तक ग्रहण विनियमन 2017 को अधिसूचित किया।

CARA

- यह किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है।
- यह भारतीय बच्चों के एडॉप्शन (गोद लेना) के लिए नोडल एजेंसी है।
- यह अनाथ, परित्यक्त या सौंपे गए (surrendered) बच्चों के मामलों को देखता है।
- यह हेग कन्वेंशन ऑन इंटर-कंट्री एडॉप्शन, 1993 के अनुसार अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के मामलों को देखता है।

पृष्ठभूमि

- पूर्व में हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 के तहत् केवल हिन्दू समुदाय को ही विधिक रूप से गोद लेने का अधिकार उपलब्ध था।
- अन्य समुदाय केवल अभिभावक और प्रतिपालित अधिनियम, 1890 के तहत् एक कानूनी संरक्षक की भूमिका निभा सकते हैं।
- किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) ने सभी समुदायों हेतु गोद लेने की प्रक्रिया के लिए एक समान संहिता का समर्थन किया।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 68 CARA को निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाती है:

- अंत: देशीय एवं अंतर्देशीय एडॉप्शन को बढ़ावा देना।
- दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विनियम बनाना।
- हेग कन्वेंशन ऑन इंटर-कंट्री एडॉप्शन के अनुसार अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना मार्गदर्शन प्रणाली (सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स इनफार्मेशन गाइडेंस सिस्टम: CARINGS)

- यह बच्चों के दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु ई-गवर्नेंस उपाय है।
- यह दत्तक ग्रहण योग्य बच्चों एवं भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) का केंद्रीकृत डेटा बैंक होगा।
- सभी जिला बाल संरक्षण इकाईयों को CARINGS से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा।

विनियमन क्या कहता है?

- अंतर-देशीय और अंत:देशीय दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
- CARA दत्तक ग्रहण के प्रत्येक मामले को CARINGS के माध्यम से किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत रिपोर्ट करेगा एवं सुविधाजनक बनाएगा।
- सुरक्षा उपायों के लिए, CARA गोद लिए गए बच्चों के रिकॉर्ड को बनाए रखेगा एवं गोद लेने के बाद भी जाँच सुनिश्चित करेगा।
- वर्तमान में सौतेले माता-पिता (step parent) को किसी कानूनी जिम्मेदारी से बाहर रखते हुए **केवल जैविक माता-पिता या दत्तक माता-पिता को मान्यता** प्रदान की जाती है। यह विनिमयन–
- सौतेले माता-पिता को विधिक रूप से परिभाषित करता है।
- गोद लिए गए बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्र पर उनके (गोद लेने वालों के) नाम लिखे जाने की अनुमति प्रदान करता है।
- जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) पेशेवर या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक पैनल संधारित करेगी।
- तीन से अधिक बच्चों वाले दम्पत्ति केवल विशेष आवश्यकताओं को छोड़कर गोद लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

विनियमन का महत्व

- यह संवैधानिक अनुच्छेद 44 के अनुसार समान नागरिक संहिता की दिशा में किए जाने वाले सुधारों का भाग है।
- यह CARA एवं दत्तक ग्रहण एजेंसियों द्वारा दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सुचारु रुप प्रदान करने में सामना की जा रही चुनौतियों का निराकरण करेगा।

VISION IAS

- यह संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों को विधिक उत्तराधिकारी बनाता है।

2.2. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016

[Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2016]

सुर्खियों में क्यों?

लोकसभा ने बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 पारित कर दिया। यह राज्य सभा द्वारा पहले हीं पारित किया जा चूका है।

मुख्य विशेषताएं

- यह विधेयक बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन प्रस्तावित करता है, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को 83 प्रकार के खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है।
- **प्रमुख संशोधन:**

✓ विधेयक में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के रोजगार में नियोजन पर लगे प्रतिबंध का सभी क्षेत्रों में विस्तार किया गया है।

✓ 14-18 वर्ष के किशोरों के खतरनाक व्यवसायों में नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है और

✓ इन प्रावधानों के उल्लंघन पर अधिक कठोर सजा; न्यूनतम छह माह से अधिकतम दो वर्ष तक की कैद और 50,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान।

- विधेयक में पहले से निर्धारित किये गए 83 खतरनाक व्यवसायों की सूची को सिर्फ तीन व्यवसायों तक सीमित कर दिया गया है। इनके तहत खनन, ज्वलनशील पदार्थ तथा कारखाना अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित खतरनाक प्रक्रियाएँ शामिल होंगी जिन्हें केंद्र द्वारा चिन्हित किया जायेगा।
- विधेयक में बच्चों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास कोष निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है। जिसकी स्थापना पहले ही की जा चुकी है।

2.3. 100 मिलियन के लिए 100 मिलियन अभियान

(100 Million for 100 Million Campaign)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- राष्ट्रपति ने कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा आयोजित '100 मिलियन के लिए 100 मिलियन अभियान' को लांच किया।
- 20 नवम्बर को आयोजित यूनिवर्सल चिल्ड्रेंस डे, 2016 का थीम "स्टॉप वाइलेन्स अगेंस्ट चिल्ड्रेन" था।

अभियान के लक्ष्य और उद्देश्य

- इस अभियान का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में बाल-श्रम, बाल-दासता, बच्चों के खिलाफ हिंसा एवं सुरक्षित, स्वतंत्र एवं शिक्षित होने के प्रत्येक बच्चे के अधिकार को प्रोत्साहित करना है। इसका लक्ष्य विश्व भर के वंचित वर्ग के 100 मिलियन बच्चों के अधिकारों हेतु 100 मिलियन युवकों को प्रेरित करना है।

इस अभियान के प्रावधान

- यह अभियान लोगों को संवेदनशील बनाने, जागरूकता फैलाने, जनहित याचिकाएँ दायर करने, सरकारों एवं अंतरराष्ट्रीय समुदायों से मांग करने एवं कारपोरेट क्षेत्र से उनकी आपूर्ति और उत्पादन प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार के बाल श्रम, बाल-दासता या अवैध क्रय-विक्रय के माध्यम से नियोजित युवाओं की संलग्नता न होना सुनिश्चित करने का निवेदन करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करेगा।

संबंधित जानकारी

- 100 मिलियन के लिए 100 मिलियन अभियान के साथ-साथ, "द लौरिएट्स एंड लीडर्स" (**The Laureates and Leaders**) नामक समिट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाल अधिकारों की सुरक्षा और उनके लिए लड़ने को एक जोरदार 'नैतिक शक्ति' तैयार करने पर जोर दिया गया।
- यद्यपि "100 मिलियन के लिए 100 मिलियन अभियान" एक भागीदारी पहल होगी जो विश्वविद्यालयों, युवा छात्र संगठनों एवं शिक्षक संगठनों को वैश्विक नागरिकता का निर्माण करने के लिए संलग्न करेगी। वहीं "द लौरिएट्स एंड लीडर्स" (Laureates and Leaders) अभियान को सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं के सहयोग से आरम्भ किया जाएगा।

VISION IAS

2.4. बाल अधिकार

(Child Rights)

वैश्विक स्तर पर 14 नवंबर से 20 नवंबर तक *इंटरनेशनल चाइल्ड राइट वीक* (International Child Rights Week: ICRW) मनाया गया। बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। यह विश्व भर में *यूनिवर्सल चिल्ड्रन राइट्स डे* (अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस) के रूप में भी मनाया जाता है ताकि लोग अपने बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकें।

पृष्ठभूमि

- 1954 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सिफारिश की थी कि सभी देशों को *यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे* आरम्भ करना चाहिए जिससे विश्व भर के बच्चों के बीच बंधुता और समझ को प्रोत्साहित किया जा सके और साथ ही साथ बच्चों के कल्याण को भी बढ़ावा दिया जा सके।
- 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर घोषणापत्र (Declaration of the Rights of the Child) को तथा 1989 में *कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ चाइल्ड* को अपनाया।

बाल संरक्षण और विकास हेतु सरकार की पहलें

- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (The National Commission for Protection of Child Rights: NCPCR)** - आयोग का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र, भारतीय संविधान और *UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ चाइल्ड* में व्यक्त किये गए बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हैं।
- **समेकित बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services: ICDS)**
- 0-6 आयु वर्ग बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना।
- बच्चे के उपयुक्त मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना।
- मृत्यु दर, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना।
- महिला और बाल विकास के क्षेत्र में सहायता योजना में सामान्य अनुदान।
- **समेकित बाल संरक्षण योजना (Integrated Child Protection Scheme: ICPS)**
- इसका लक्ष्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक वातावरण का निर्माण करना है।
- प्रभावी रणनीति तैयार करने और कार्यान्वन तथा उसके परिणामों को मॉनिटर करने के लिए यह योजना एक बाल संरक्षण डेटा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करती है।
- **किशोरी शक्ति योजना**
- **आरंभिक बाल्यावस्था हेतु बाल शिक्षा नीति (Early Childhood Children Education Policy)**
- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पहल इत्यादि।**

2.5. अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार

(International Children's Peace Prize)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- UAE निवासी किशोर कार्यकर्ता कहकशां बसु को पर्यावरण संरक्षण अभियान हेतु अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, 2016 से सम्मानित किया गया है।
- 2013 में, कहकशन बासु (12 वर्ष की आयु में) ने अपनी संस्था ग्रीन होप की स्थापना की।
- यह संस्था 10 देशों में अपशिष्ट संग्रहण, समुद्र तट की सफाई और जागरूकता अभियान चलाती है।

अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार

- अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार बाल विशेषाधिकार फाउंडेशन द्वारा 2005 में प्रारंभ किया गया।
- यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी बच्चे को विश्व में कहीं भी बाल अधिकारों को बढ़ावा देने में उसके योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।

VISION IAS

2.6. अंतरराष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं के विधेयक, 2016

(The Civil Aspects of International Child Abduction Bill, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) ने अंतरराष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं के विधेयक, 2016 का मसौदा तैयार किया गया है। इसको मंज़ूरी के बाद 16 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे, जिसका **"गलत तरीके से स्थान बदला गया है या दूसरे राज्य में भेजा गया है, जिसका वह अभ्यस्त निवासी नहीं है",** की शीघ्र वापसी सुनिश्चित होगी।
- विधेयक हेग कन्वेंशन के प्रावधान को लागू करने के लिए एक समर्थकारी विधान प्रदान करेगा।

हेग कन्वेंशन के बारे में

- हेग कन्वेंशन का लक्ष्य "बच्चों के गलत तरीके से किये गए अवस्थापन या गलत तरीके से उन्हें रखने के हानिकारक प्रभावों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की रक्षा करना और उनके अभ्यस्त निवास के राज्य में उनकी शीघ्र वापसी सुनिश्चित करना, साथ ही उनके (गृह-राज्य तक) पहुँच के अधिकारों का संरक्षण सुरक्षित करने की प्रक्रियाओं की स्थापना करना है।"
- 94 देश, हेग कन्वेंशन ऑन सिविल आस्पेक्ट ऑफ़ इंटरनेशनल चाइल्ड ऐब्डक्शन के पक्षकार हैं।
- भारत ने हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किया है। कोई देश तब इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बन सकता है जब वहां पर पहले से इस सम्बन्ध में घरेलू कानून लागू हो।

<u>बच्चों से सम्बंधित SDGs</u>

लक्ष्य 2: जीरो हंगर (शून्य भुखमरी)

- भुखमरी को समाप्त करना तथा शिशुओं के लिए वर्ष भर सुरक्षित,पर्याप्त और पौष्टिक अहार सुनिश्चित करना।
- 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में सभी प्रकार के कुपोषण तथा अपूर्ण शारीरिक विकास (*स्टंटिंग* और वेस्टिंग)को पूरी तरह समाप्त करना;।
- किशोरियों की पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना।

लक्ष्य 3: अच्छा स्वास्थ्य तथा कल्याण

- नवजात शिशुओं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की निरोध्य मृत्यु (preventable deaths) को समाप्त करना।
- नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम से कम प्रति हज़ार जीवित जन्म (live birth) पर 12 पर सीमित करना तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को प्रति हज़ार 25 पर सीमित करना।

लक्ष्य 4: गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा

- ✓ प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सभी के लिए निःशुल्क, समतापरक तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। प्रदान की जाने वाली शिक्षा प्रासंगिक और पूर्णतः परिणाम आधारित होनी चाहिए।
- ✓ गुणवत्ता युक्त आरंभिक बाल विकास, देखभाल तथा पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा तक पहुँच ताकि वे प्रारम्भिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें।
- ✓ बच्चों, विकलांगों तथा जेंडर के प्रति संवेदनशील शिक्षा मुहैया कराना और पूर्ववर्ती शिक्षा व्यवस्था का इस हेतु उन्नयन करना।
- ✓ सभी के गुणवत्तायुक्त शिक्षा हेतु सुरक्षित,अहिंसक, समावेशी और प्रभावी परिवेश का निर्माण करना।
- ✓ शिक्षा के सभी स्तरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना। असुरक्षित वातावरण में रहने वाले बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना।

लक्ष्य 5: लैंगिक समानता

- बाल विवाह,कन्या भ्रूण हत्या एवं *फीमेल जेनिटल म्युटीलेशन* जैसी हानिकारक प्रथाओं को पूरी तरह समाप्त करना।

लक्ष्य 8: गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक विकास

- बाल श्रम के सबसे खराब रूपों का निषेध करना और समाप्त करना जिसमें बाल सैनिकों की भर्ती एवं उपयोग भी शामिल है।
- 2025 तक सभी प्रकार के बाल श्रम का उन्मूलन करना।

लक्ष्य 11: सतत शहर (सस्टेनेबल सिटी) तथा समुदाय

- सतत यातायात प्रणालियों के निर्माण में बच्चों की ज़रूरतों पर विशेष ध्यान देना।
- सभी लोगों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराना।

VISION IAS

लक्ष्य 16: शान्ति, न्याय और मज़बूत संस्थाएं

- प्रत्येक स्थान पर हिंसा के सभी रूपों तथा सम्बंधित मृत्यु दर को कम करना।
- बच्चो के साथ होने वाले सभी तरह की हिंसा, शोषण, अत्याचार और तस्करी को समाप्त करना।

2.7. यूनिसेफ: स्टेट ऑफ चिल्ड्रन रिपोर्ट

(UNICEF: State of Children's Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **UNICEF** ने बच्चों से सम्बंधित अपनी वार्षिक फ्लैगशिप **'स्टेट ऑफ चिल्ड्रेन्स' रिपोर्ट (State of Children's Report)** का विमोचन किया।

UNICEF के बारे में

- UNICEF की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को की गई थी।
- इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है
- यह विकासशील देशों में बच्चों और माताओं को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (United Nations Development Group) का सदस्य है।

2.8. सरकारी योजना/पहल

(Governement Schemes/initiatives)

2.8.1. बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016

(National Action Plan for Children, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस आयोजित करने हेतु नेशनल पालिसी ऑफ़ चिल्ड्रेन (NPAC), 2016 लांच की गई थी।

राष्ट्रीय बाल नीति, 2013

- यह 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चे के रूप में मान्यता देती है।
- इसका मानना है कि बच्चे समरूप समूह नहीं हैं तथा उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार की अनुक्रियाओं की आवश्यकता होती है।
- इसका उद्देश्य बच्चे के पालन-पोषण हेतु परिवार को सामाजिक सुरक्षा तंत्र प्रदान करना है।
- इसके अनुसार प्रत्येक बच्चे को सावर्भौमिक, अभिन्न और अविभाज्य मानव अधिकार प्राप्त हैं।
- इसके चार प्राथमिकता क्षेत्र हैं:
- जीवन रक्षा, स्वास्थ्य और पोषण
- शिक्षा और विकास
- बाल संरक्षण
- बच्चे की भागीदारी

संविधान का अनुच्छेद 23 व्यक्तियों (विशेषकर बच्चों को) शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है और इसका संरक्षण राज्य का कर्तव्य है।

पृष्ठभूमि

भारत ने 2013 में उभरते मुद्दों के लिए राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत की और इसे कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना भी प्रस्तावित की।

कार्य योजना के प्रावधान

राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2016 के कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं -

- **बाल जीवन, स्वास्थ्य और पोषण के विषय में**
- यह मातृ और बाल स्वास्थ्य देखभाल को सार्वभौमिक रूप प्रदान कर बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायता करेगी।
- यह सार्वभौमिक टीकाकरण जैसी पहलों के माध्यम से नवजातों की देखभाल पर भी जोर देगी।
- यह माँ और बच्चे की प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसवोत्तर देखभाल के लिए समयोचित उपायों के माध्यम से मानसिक और शारीरिक अक्षमताओं की रोकथाम करेगी।

VISION IAS

- **शिक्षा और विकास के विषय में**
- यह कार्ययोजना छ: वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन: ECCE) के लिए सार्वभौम और न्यायपूर्ण पहुँच प्रदान करेगी।
- यह सभी बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक सस्ती और सुलभ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देगी।
- **बाल संरक्षण के विषय में**
- यह सभी स्तरों पर बाल संरक्षण के लिए विधायी, प्रशासनिक और संस्थागत निवारण तंत्रों को मजबूत बनाने में सहयोग करेगी
- **बाल भागीदारी के विषय में**
- यह योजना सुनिश्चित करेगी कि बच्चे स्वयं से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाने एवं उनके कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लें।

2.8.2. तेजस्विनी परियोजना

(Tejaswini Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में **विश्व-बैंक** ने तेजस्विनी परियोजना के लिए **$63 मिलियन के ऋण** हेतु भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस परियोजना द्वारा **झारखण्ड** राज्य की किशोरियों और नवयुवतियों को सशक्त बनाना है।

तेजस्विनी परियोजना के सम्बन्ध में

- इसका लक्ष्य किशोरियों और नवयुवतियों (14 से 24 वर्ष के बीच) के **बुनियादी जीवन कौशल** का विकास कर उन्हें सशक्त बनाना है तथा इसके साथ ही उन्हें अपनी माध्यमिक शिक्षा को पूरी करने और बाजार संचालित कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है। विश्व-बैंक ने इस कार्यक्रम की स्वीकृति वर्ष 2016 में दी थी।
- परियोजना को **झारखण्ड के 17 जिलों** में कार्यान्वित किया जाएगा और इस कार्यक्रम से लगभग 6.8 लाख किशोरियों और नवयुवतियों के लाभान्वित होने की आशा है।
- भारत में **विश्व-बैंक की यह पहली ऐसी परियोजना** है जिसका पूरा ध्यान किशोरियों और नवयुवतियों के कल्याण पर केन्द्रित है।

तेजस्विनी परियोजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी:

परियोजना की विशेषताएं:

इसके **3 मुख्य घटक हैं:**

- सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक अवसरों का विस्तार करना।
- गहन सेवा वितरण।
- राज्य की क्षमता निर्माण और कार्यान्वयन में सहयोग।

परियोजना का संचालन **दो स्तरों पर** होगा:

- **समुदायिक स्तर:** इसमें समुदाय आधारित मंच जैसे **क्लब/केन्द्रों** में जीवन कौशल शिक्षा और आजीविका समर्थन सेवाओं के लिए नियमित परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे, और किशोरियों एवं नवयुवतियों के लिए प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी का प्रसार किया जाएगा।
- **संस्थागत स्तर:** सहयोगी संस्थाएं लक्षित समूहों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, कारोबारी कौशल प्रशिक्षण और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करेंगी।

जीवन कौशल शिक्षा के चार मुख्य मॉड्यूल हैं:

- **रिज़िल्यन्स एंड सॉफ्ट स्किल**: इसमें संवाद और समस्या-समाधान कौशल, लक्ष्य निर्धारण और कठिन समय में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की तकनीक सम्मिलित हैं।
- **अधिकार और संरक्षण**: इसका सम्बन्ध बाल-विवाह, बाल-श्रम, सुरक्षित प्रवासन, लिंग-आधारित हिंसा और सेवाओं और अधिकारों तक पहुँच से है।
- **स्वास्थ्य और पोषण**: इसमें स्वच्छता और स्वास्थ्य-विज्ञान, स्वयं और बच्चों की पोषण सम्बन्धी आदतें और लैंगिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्मिलित हैं।
- **वित्तीय साक्षरता**: यह मॉड्यूल गणना, बचत, बजट की शिक्षा और ऋण एवं वित्तीय संस्थानों तक पहुंच बनाने में सहायक होगा।
- गैर-सरकारी संगठन बैठकों/सत्रों के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही इस योजना और इसके परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में सामान्य रूप से आम लोगों को और विशेष रूप से किशोर लड़कियों और नव युवतियों को संवेदनशील बनायेंगे।

VISION IAS

2.8.3. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

(National Child Labour Project : NCLP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कैलाश सत्यार्थी ने **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना** के बजट में केवल 8% की वृद्धि पर निराशा व्यक्त की है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)

यह श्रम मंत्रालय की एक परियोजना है। इसका मूल उद्देश्य रोजगार से हटाये गये बच्चों का उपयुक्त पुनर्वास करना है जिससे पहले से ज्ञात बालश्रम के गंभीर क्षेत्रों में बालश्रम की व्यापकता में कमी लाई जा सके।

NCLP निम्नलिखित के लिए प्रयासरत है:

- **सभी प्रकार के बालश्रम** का निम्न उपायों से उन्मूलन:
  - ✓ परियोजना क्षेत्र में बालश्रम की पहचान करना और सभी बच्चों को वहां से हटाना।
  - ✓ काम से हटाये गए बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए तैयार करना।
  - ✓ बच्चों और उनके परिवारों के लाभ के लिए विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना।
- खतरनाक व्यवसायों से सभी **बाल श्रमिकों को हटाना** और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों को सुगम बना कर, वर्तमान कौशल विकास की योजनाओं के माध्यम से उनकी कुशलता का दोहन अन्य उपयुक्त व्यवसायों के लिए करना।
- सभी हितधारकों और लक्षित समुदायों के बीच **जागरूकता बढ़ाना** और 'बाल श्रम' और 'खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में बाल श्रमिकों को काम पर लगाने' के विरुद्ध NCLP और अन्य पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देना।
- **बाल श्रम मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम** का निर्माण।

लक्षित समूह

- पहचान किए गए लक्षित क्षेत्र में **14 वर्ष से कम आयु** के सभी बाल श्रमिक।
- लक्षित क्षेत्र में **खतरनाक व्यवसायों में** काम पर लगाये गये **18 वर्ष से कम आयु** के बाल श्रमिक।
- पहचान किए गए लक्षित क्षेत्र में बाल श्रमिकों के परिवार।

2.8.4. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

(Rashtriya Kishore Swasthya Karyakram)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK)** के एक भाग के रूप में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में किशोरों के लिए "**साथिया संसाधन किट**" और "**साथिया सलाह**" नामक मोबाइल एप लांच किए हैं।

एप के बारे में

- **इस किट को सहकर्मी शिक्षकों की सहायता के लिए प्रारम्भ किया गया है, जो RKSK का एक महत्त्पूर्ण घटक है, किशोरों से संवाद स्थापित करने और उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी प्रश्नों का आरंभिक/ग्राम स्तर पर ही उत्तर देने के लिए प्रारम्भ किया गया है।**
- **सहकर्मी शिक्षकों (1.6 लाख) को "साथिया"** (किशोरों के एक मित्र) के रूप में जाना जाएगा और इन्हें चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।
- संसाधन किट में एक एक्टिविटी पुस्तिका, भ्रान्ति-क्रांति गेम, प्रश्नोत्तरी पुस्तक और एक शिक्षा डायरी सम्मिलित होगी।
- कोई भी किशोर जो लज्जावश या ऐसे किसी भी कारण से सहकर्मी शिक्षक से बातचीत नहीं कर पाते, उनके परिवार के सदस्य "**साथिया-सलाह मोबाइल एप**" या टोल फ्री **साथिया हेल्पलाइन** के माध्यम से उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में (नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोगाम)

- **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** द्वारा इसे किशोरों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के समग्र समाधान हेतु **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन** के अंतर्गत वर्ष 2014 में प्रारम्भ किया गया था।

VISION IAS

2.8.5. आरम्भ पहल

(Aarambh Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यह देश की पहली हॉटलाइन है, जो इंटरनेट के माध्यम से बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए और ऑनलाइन अनावृत चाइल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री हटाने के लिए है।

पहल के बारे में

- **उद्देश्य:** ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी की इस बीमारी को खत्म करना और ऑनलाइन स्पेस में बाल संरक्षण के मुद्दे को आगे बढ़ाना।
- यह देश में बाल संरक्षण पर काम कर रहे व्यक्तियों और संगठनों का एक नेटवर्क है, ब्रिटेन आधारित इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (IWF) ने इसके साथ सहयोग किया है।
- भारत में हॉटलाइन aarambhindia.org पर होस्ट की जाएगी और यह यूज़र्स को बेनाम रहते हुए और एक सुरक्षित वातावरण में बाल यौन शोषण के चित्र और वीडियो रिपोर्ट करने में सक्षम बनाएगी।
- यह एक सरल, सुलभ प्रपत्र (हिन्दी और अंग्रेजी में उपलब्ध) है, जिसका कोई भी जागरूक उपयोगकर्ता, जो सार्वजनिक इंटरनेट पर किसी बच्चे के यौन उन्मुक्त चित्र पाता है, उसे रिपोर्ट करने के लिए उपयोग कर सकता है। बाद में इसे अन्य भाषाओं में भी प्रारम्भ किया जाएगा।

2.8.6. इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान

(India Newborn Action Plan (INAP)

- यह रोकी जा सकने वाली नवजात मौतों और मृत शिशुओं के जन्म (stillbirths) की समाप्ति तथा 2030 तक एक अंकीय नवजात मृत्यु दर और मृत शिशु जन्म दर (stillbirths rate) प्राप्त करने के लिए भारत का विज़न और योजना है।
- पहली बार, INAP मृत प्रसवों को रोकने पर सरकार के विशेष ध्यान को स्पष्ट भी करती है
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के मौजूदा ढांचे प्रजनन (**R**eproductive), मातृ (**M**aternal), नवजात (**N**ewborn), बाल (**C**hild) और किशोर स्वास्थ्य (**A**dolescent health) (**RMNCH + A)** के भीतर INAP को लागू किया जाना है।
- **यह राज्यों के लिए विशिष्ट कार्य योजना विकसित करने हेतु एक फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करेगा।**
- हाल ही में देश भर में जन्मजात विसंगतियों पर मानक डेटा की उपलब्धता का विस्तार करने के लिए 37 मेडिकल कॉलेजों में जन्मजात दोष निगरानी प्रारम्भ की गई है।
- **यह ग्लोबल एवरी न्यूबॉर्न एक्शन प्लान** (GLOBAL EVERY NEWBORN ACTION PLAN-ENAP) **पर भारत की प्रतिबद्ध अनुक्रिया है जिसे** 67 **वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जून** 2014 **में लॉन्च किया गया।**

2.8.7. राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम

(Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakaram)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय** द्वारा मंत्रालय की 8 योजनाओं को मिलाकर एक अम्ब्रेला स्कीम के रूप में एकीकृत कर दिया गया है, जिसे **राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (RYSK)** के रूप में जाना जाता है।

योजना के बारे में:

- यह योजना युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना के रूप में कार्य करेगी।
- इस योजना के तहत् राष्ट्रीय युवा नीति 2014 की "युवा" की परिभाषा के अनुसार 15-29 आयुवर्ग के युवाओं को लाभ मिलेगा।
- मंत्रालय की दो योजनाओं को इस अम्ब्रेला-योजना से बाहर रखा गया है। उनके नाम हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (RGNIYD)।
- योजनाओं का एकीकरण, वर्तमान प्रशासनिक ढांचे के उपयोग द्वारा विभिन्न योजनाओं के बेहतर कार्यान्वन एवं प्रभावकारिता में सुधार करने में मदद करेगा।

VISION IAS

- जो योजनाएं RYSK में एकीकृत हुई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं:
- नेहरु युवा केंद्र संगठन (NYKS)
- राष्ट्रीय युवा कोर (NYC)
- राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (NPYAD)
- यूथ हॉस्टल (YH)
- स्काउटिंग और गाइडिंग संगठनों के लिए सहायता
- राष्ट्रीय अनुशासन योजना (NDS)
- राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम (NYLP)

2.8.8. बाल विवाह को समाप्त करने के लिए राजस्थान का अभियान

(Rajasthan Drive to end Child Marriages)

मुख्य तथ्य

- "साझा अभियान" कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान सरकार, UNICEF एवं UNFPA के साथ मिलकर बाल विवाह के सम्पूर्ण उन्मूलन के लिए राज्य में एक जिला स्तरीय अभियान यात्रा की शुरुआत की है।
- "साझा अभियान" में भागीदार बनकर विविध हितधारक और क्षेत्रक एवं इनके द्वारा हस्तक्षेप एक साथ मिलकर बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करेंगे।
- यह अभियान यात्रा, समुदाय को एक संयुक्त मंच पर लाकर राज्य को बाल विवाह-मुक्त बनाने की दिशा में काम करेगी।

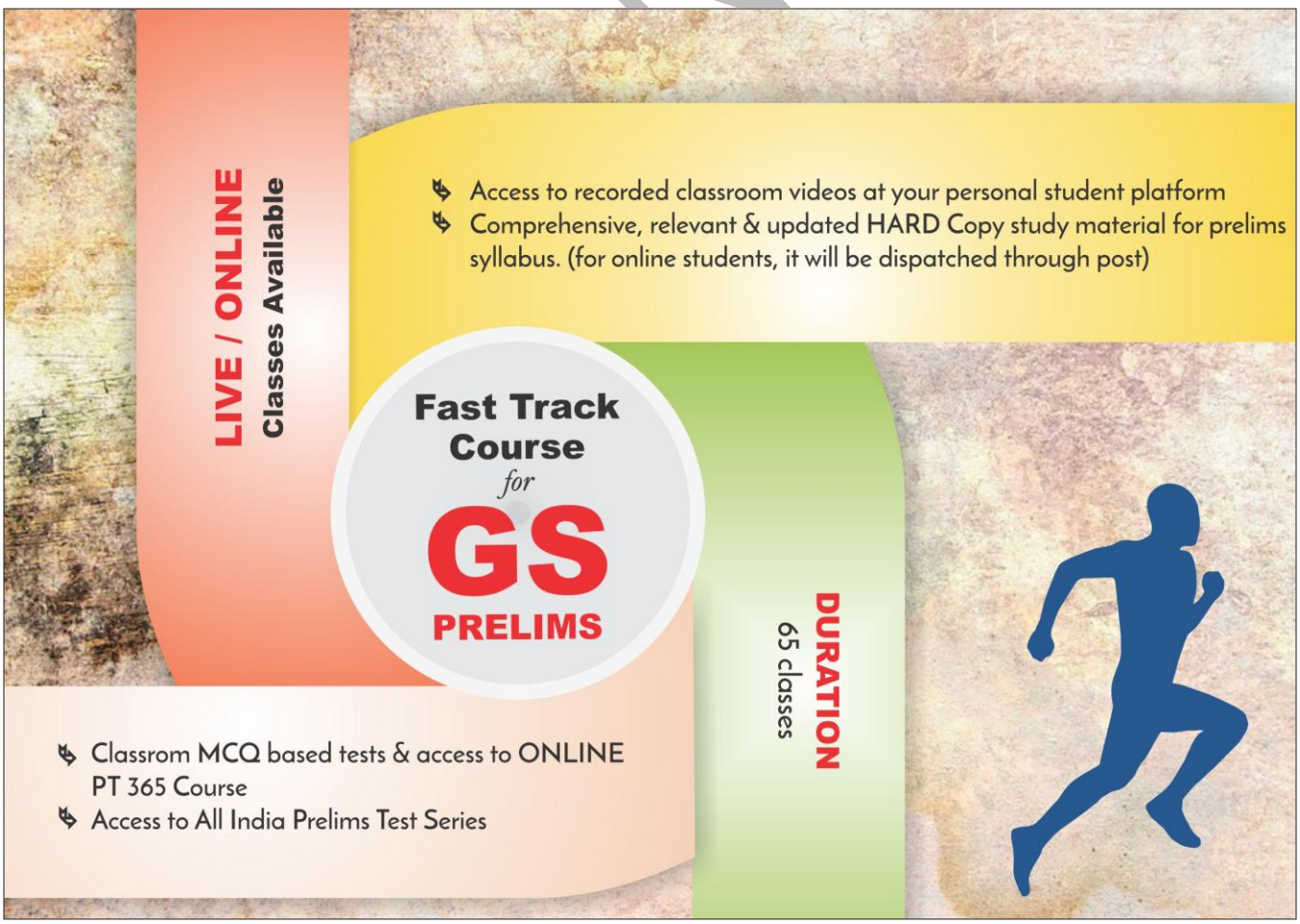

3. वृद्ध/दिव्यांग/कमजोर वर्ग

(OLD AGE/ DISABLED/ VULNERABLE SECTIONS)

3.1. भारत में वृद्धजन

(Elderly in India)

3.1.1. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय अखबार

(National Newspaper for Senior Citizens)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित 'सांझी सांझ' नामक राष्ट्रीय अखबार का प्रथम अंक जारी किया।

समाचार पत्र के बारे में

- यह हिंदी और अंग्रेजी का एक द्विभाषीय अखबार होगा।
- इसे हरिकृत द्वारा प्रकशित किया जाएगा जो बुजुर्गों को समर्पित एक गैर सरकारी संगठन है।
- इसमें प्रेरणादायक खबरों के अतिरिक्त बुजुर्गों से संबंधित महत्त्वपूर्ण और उपयोगी समाचार भी होंगे।
- यह बुजुर्ग आबादी, पुरुष और महिला दोनों की शिकायत निवारण एवं उनका पथ प्रदर्शन करने के, राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (NPHCE) के उद्देश्यों को भी, प्रोत्साहित करेगी।

राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (National programme for Health care of Elderly :NPHCE) 2010

- इसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था।
- यह बुजुर्गों से संबंधित राष्ट्रीय नीति (1999) की एक अभिव्यक्ति है।
- इसका उद्देश्य प्रचार, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। इसी से प्रेरित होकर इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों पर जराचिकित्सा विभाग की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

3.1.2. वयोश्रेष्ठ सम्मान

(Vayoshreshtha Samman)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर केंद्र सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों एवं संस्थानों को 'वयोश्रेष्ठ सम्मान' दिया।

पुरस्कार के संबंध में

- वयोश्रेष्ठ सम्मान, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय (सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग) द्वारा आरम्भिक रूप से 2005 में गठित की गई राष्ट्रीय पुरस्कारों की योजना है।
- इसे 2013 में उन्नत कर राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थिति प्रदान की गई थी।
- अन्य पुरस्कारों के अंतर्गत, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का अनुरक्षण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के कार्यान्वयन एवं वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं एवं सुविधायें प्रदान करने के लिए कर्नाटक को सर्वश्रेष्ठ राज्य का स्थान प्रदान किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के संबंध में

- प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1999 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष का थीम "अ सोसाइटी ऑफ़ आल एजेज" था।

3.1.3. बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र

(National Centre for Ageing)

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में बुजुर्गों के लिए दो नए राष्ट्रीय प्रौढ़ केन्द्रों को मंजूरी दी है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ केन्द्र क्या हैं?

- राष्ट्रीय प्रौढ़ केन्द्र बुजुर्गों की देखभाल के लिए उत्कृष्टता के अति विशिष्ट केन्द्र हैं।
- ये केंद्र घर पर देखभाल के लिए नियमावली बनायेंगे और बुजुर्गों की देखभाल के क्षेत्र में विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देंगे तथा प्रोटोकॉल का गठन करेंगे।

VISION IAS

- इन केन्द्रों को राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत स्थापित किया जाएगा।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केंद्र दिल्ली के AIIMS में और दूसरा चेन्नई के मद्रास मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया जाएगा।

प्रौढ़ देखभाल क्या है?

इसे प्रौढ़ जीवन देखभाल के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्गों और शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले लोगों की देखभाल की योजना बनाई जाती है और समन्वय किया जाता है ताकि वे अपनी दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा कर सकें, अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकें और यथासंभव लंबे समय के लिए अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकें।

3.1.4 माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

(Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007)

- यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों को 'भारत का कोई भी नागरिक जो साठ वर्ष या उससे ऊपर की आयु प्राप्त कर चुका है' के रूप में परिभाषित करता है।
- यह संतानों और रिश्तेदारों द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल को बाध्यकारी बनाता है और ट्रिब्यूनल के माध्यम से इसे प्रवर्तनीय बनाता है।
- यह राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में ओल्डएज होम को स्थापित करने की अनुमति देता है।

3.1.5. इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स

(IPOP)

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 1992 से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स (Integrated programme for Older Persons: IPOP) के रूप में एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) संचालित कर रहा है।
- इसका लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। ऐसा आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके तथा उत्पादक एवं सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित कर किया जाएगा।
- इस योजना के तहत, गैर-सरकारी / स्वैच्छिक संगठनों, पंचायती राज संस्थानों आदि को वृद्धाश्रमों (*ओल्ड एज होम्स*), *रेस्पाइट केयर होम्स* एवं *कंटीन्यूअस केयर होम्स, मल्टी सर्विस सेंटर, मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स , अल्जाइमर/डेमेंशिया* पीड़ित रोगियों के लिए *डे केयर सेंटर*, वृद्धों के लिए फिजियोथेरेपी क्लिनिक इत्यादि के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3.1.6.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

(IGNOAPS)

- वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (**IGNOAPS**) के तहत प्रदान की जाती है जो कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का एक घटक है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- IGNOAPS के अंतर्गत, 60-79 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को 200 रुपए प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500 रुपए प्रति माह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) से संबंधित परिवार के वृद्धों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है।
- राज्य / संघ शासित प्रदेशों से इस योजना के तहत कम से कम इतनी ही राशि का योगदान करने का अनुरोध किया गया है।

3.2. दिव्यांग

(Disabled)

3.2.1. नया विकलांगता विधेयक

(New Disability Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संसद ने विकलांगजन अधिकार विधेयक, 2016 पारित किया। यह विधेयक विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित करेगा।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

भारत, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: UNCRPD) का एक हस्ताक्षरकर्ता है। यह विधेयक विकलांगता कानून, 1995 को UNCRPD के प्रावधानों के अनुवर्ती बनाता है।

मुख्य प्रावधान

- दिव्यांगों की श्रेणियों को वर्तमान में विद्यमान 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है और केंद्र सरकार को विकलांगताओं की और अधिक श्रेणियों को जोड़ने का अधिकार होग।
- विकलांगताहेतु निर्धारित बेंचमार्क वाले कुछ व्यक्तियों या वर्ग के लोगों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में रिक्तियों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% तक कर दिया गया है।
- यह दिव्यांग महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं का विशेष उल्लेख करता है, और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अभिवावकत्व संबधी विशिष्ट प्रावधान करता है।

UNCRPD के बारे में

- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जो दिव्यांग लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करती है।
- कन्वेंशन के हताक्षरकर्ताओं के लिए आवश्यक है कि दिव्यांग लोगों को प्रोत्साहित करें ,सुरक्षा करें तथा मानवाधिकारों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करें तथा कानून के तहत पूर्ण समानता का अधिकार सुनिश्चित करें।
- यह एक स्पष्ट सतत विकास आयाम के साथ एकमात्र UN मानवाधिकार साधन है।
- यह 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदन के बाद अपनाया गया, यह 3 मई 2008 को लागू हुआ।

3.2.2. सुगम्य भारत अभियान

(Accessible India Campign)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- निःशक्त जनों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने हेतु राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय निःशक्तजन दिवस (3 दिसंबर) पर, सरकार ने सुगम्य भारत अभियान का आरम्भ किया।
- सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए यह अभियान तीन अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित करता है- i) निर्मित वातावरण (बिल्टअप एनवायरमेंट), ii) परिवहन पारितंत्र (ट्रांसपोर्टेशन इकोसिस्टम) और iii) सूचना और संचार पारितंत्र (इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन इकोसिस्टम)।
- निःशक्त जनों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2015 की थीम थी - *इन्क्लुजन मैटर्स: एक्सेस एंड एम्पावरमेंट फॉर पीपल ऑफ़ ऑल एबिलिटीज़* (Inclusion matters: access and empowerment for people of all abilities)।

कार्यक्रम का लक्ष्य और उद्देश्य

- इसका उद्देश्य परिवहन, सरकारी भवनों, पर्यटन स्थलों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और इंटरनेट प्रौद्योगिकी को निःशक्त जनों के अनुकूल बनाना है।
- इस अभियान में परिभाषित समयसीमा के साथ महत्वाकांक्षी लक्ष्य शामिल किए गए हैं।
- इसमें IT और सोशल मीडिया का इस्तेमाल अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने और विभिन्न हितधारकों की प्रतिबद्धता प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।
- राष्ट्रीय राजधानी और सभी राज्य की राजधानियों की कम से कम 50% इमारतों, A1, A और B श्रेणी के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे और रेलवे स्टेशन, कम से कम 10% सरकारी परिवहन वाहक और 50% सार्वजनिक दस्तावेज निःशक्त जनों के लिए जल्द ही पूर्णतः एक्सेसेबल (सुगम) बनाए जाएंगे।

VISION IAS

तथ्य और आंकड़े

- विश्व में 1 बिलियन से अधिक लोग अर्थात विश्व के प्रत्येक 7 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के विकलांगता से ग्रस्त हैं।
- इनमें से 100 मिलियन से अधिक दिव्यांग बच्चे हैं।
- दिव्यांग बच्चों को गैर-दिव्यांग बच्चों की तुलना में हिंसा का सामना करने की संभावना लगभग चार गुना अधिक है।
- दिव्यांग लोगों की आबादी का 80% विकासशील देशों में रहती है।
- 50% दिव्यांग व्यक्ति स्वास्थ्य देखभाल नहीं कर सकते हैं।
- 153 देशों ने *कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी* पर हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

- भारत *UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़* (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: UNCRPD) का एक हस्ताक्षरकर्ता है।
- निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995, के अनुसार राज्यों द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है :
- सार्वजनिक भवनों में रैंप
- व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए शौचालय की व्यवस्था
- लिफ्ट्स या एलिवेटर्स में ब्रेल चिह्न और श्रवण संकेत
- अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य पुनर्वास केंद्रों में रैंप

3.2.3. मराकेश संधि लागू

(Marrakesh Treaty comes into Force)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के सदस्यों द्वारा 2013 में अपनाई गई मराकेश संधि 29 सितंबर को 22 देशों द्वारा अंगीकृत करने के बाद लागू हो गई।

मराकेश संधि क्या है?

- मराकेश संधि या मराकेश VIP संधि जिसे औपचारिक रूप से माराकेश संधि के रूप में जाना जाता है प्रिंट डिसेबिलिटी से ग्रस्त व्यक्तियों या नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए प्रकाशित साहित्य के उपयोग को सुसाध्य बनाता है।
- इसको **"बुक्स फॉर ब्लाइंड"** संधि भी कहा जाता है।

संधि की मुख्य विशेषताएं:

- यह संधि कॉपीराइट अपवाद की अनुमति देता है ताकि कॉपीराइट के अधीन आने वाली पुस्तकों और अन्य कार्यों का दृष्टिबाधित लोगों के लिए सुलभ संस्करण एवं प्रारूप का सृजन, निर्यात और आयात, साझाकरण, एवं अनुवाद किया जा सके।
- WHO के अनुसार यह उम्मीद है कि संधि द्वारा इस तरह की विकलांगता से पीड़ित 300 मिलियन लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले "पुस्तकों के अकाल" को कम किया जा सकेगा।

संधि का कार्यान्वयन

- WIPO संयुक्त राष्ट्र संघ का जेनेवा में स्थित एक प्रभाग है, यह मराकेश संधि का प्रशासन करता है और निजी तथा सार्वजनिक भागीदारों के एक्सेसिबल बुक्स कंसोर्टियम (ABC) के गठबंधन का नेतृत्व करता है।
- ABC ने दुनिया भर के दृष्टिबाधित लोगों के लिए विभिन्न पुस्तकालयों द्वारा सृजित पुस्तकों का एक निःशुल्क केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस स्थापित किया है। यह एक पुस्तकालय-से-पुस्तकालय (library- to-library) सेवा है।

भारत और मराकेश संधि

- भारत जुलाई 2014 में पहला देश बना जिसने मराकेश संधि को अंगीकार कर अन्य देशों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया।
- WHO के अनुसार, भारत में 63 मिलियन दृष्टिबाधित लोग हैं, जिनमें से 8 लाख नेत्रहीन हैं।
- भारत ने एक बहु हितधारक दृष्टिकोण के साथ मराकेश संधि का कार्यान्वयन शुरू किया है, जिसमें सभी प्रमुख हितधारकों यथा सरकार के मंत्रालयों, स्थानीय चैंपियन जैसे भारत का DAISY फोरम, और निजी क्षेत्रक के बीच सहयोग शामिल है।

VISION IAS

- मराकेश संधि के अनुगमन में, भारत ने सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign) का शुभारंभ किया और सुगम्य पुस्तकालय की स्थापना की, जिसमें 2000 पुस्तकें हैं।

(नोट: इसे मराकेश समझौता समझ कर भ्रमित नहीं होना चाहिए मराकेश समझौता वह है जिस पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हेतु विचार विमर्श के उरुग्वे दौर के अंत में हस्ताक्षर किए गए थे।)

सुगम्य पुस्तकालय

(Sugamya Pustakalaya)

- "सुगम्य पुस्तकालय" वस्तुतः दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के लिए **निःशक्त जन सशक्तिकरण विभाग** (Department of Empowerment of Persons with Disabilities: DEPwD) द्वारा सुगम्य भारत अभियान के तहत प्रारम्भ एक ऑनलाइन पुस्तकालय है।
- इस ऑनलाइन पुस्तकालय को नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ विजुअली हैंडीकैप्ड (NIVH) और डेज़ी फोरम ऑफ़ इंडिया (DFI) के सहयोग से तैयार किया गया है, जिसे TCS Access द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- भारत में 52 लाख लोग (2011 की जनगणना) दृष्टि विकलांगता के शिकार हैं तथा मुद्रित ग्रंथों का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
- यह पुस्तकालय देश भर से सभी सुलभ सामग्री के एकल ऑनलाइन पुस्तकालय प्रणाली में संग्रहण पर ध्यान देगा।
- यह ई-लाइब्रेरी प्लेटफ़ॉर्म विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, जैसे- 'Bookshare' और 'Accessible Books Consortium' के सहयोग से काम करेगा; जिससे पूरी दुनिया से सुलभ पुस्तकें भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो सकें।
- दृष्टि विकलांग व्यक्ति, स्कूल/कॉलेज/पुस्तकालय, प्रकाशक/सरकारी विभाग/पाठ्यपुस्तक प्रोडक्शन हाउस,गैर सरकारी संगठन, कॉर्पोरेट क्षेत्र आदि इस ऑनलाइन पुस्तकालय के उपयोगकर्ता हो सकते हैं।

3.2.4. शारीरिक रूप से निःशक्त जनों के लिए *यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड*

(Universal Identity Cards for Physically Challenged)

- निःशक्त जनों के लिए सार्वभौमिक पहचान पत्र (यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड) शीघ्र ही जारी किए जाएंगे
- राज्य सरकारें अपने संबंधित राज्यों में व्यक्तियों की पहचान कर रही हैं, ताकि डेढ़ साल में सभी निःशक्त जनों को सार्वभौमिक पहचान पत्र मिल सके।
- यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में किया जा रहा है।
- ये कार्ड आधार कार्ड से जुड़े होंगे तथा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा ताकि सरकारी योजनाएँ और आरक्षण प्राप्त करने में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

3.2.5. ब्रेल एटलस

(Braille Atlas)

- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय** ने हाल ही में अपने तरह के पहले **ब्रेल एटलस** की शुरुआत की है, जिससे विशेष रूप से नेत्रहीन लोगों को मानचित्रों के अध्ययन के लिए प्रेरित किया जा सके।
- **नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग आर्गेनाइजेशन** द्वारा स्वदेश में ही विकसित **सिल्क-स्क्रीन पेंटिग तकनीक** द्वारा इस एटलस को हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में विकसित किया गया है।
- एटलस में भौतिक, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं जैसे नदी प्रणाली, फसल पैटर्न, प्राकृतिक वनस्पति, फसलों, सड़कों और रेलवे आदि के विभिन्न विषयों पर **20 मानचित्र** शामिल हैं।
- इसमें उभरे हुए मानचित्र हैं जिनमें अलंकृत सरल रेखाओं और बिंदु प्रतीकों का उपयोग किया गया है, ताकि उपयोगकर्ता आकृति और बनावट के सन्दर्भ में किसी क्षेत्र और उसकी व्यापकता को सरलता से समझ सकें।
- प्रत्येक मानचित्र के मार्गनिर्देशन में सहायता के लिए **ब्रेल लिपि** में एक किंवदंती/कथा और सन्दर्भ भी है।
- भारत में पहला ब्रेल मानचित्र वर्ष **1997** में बनाया गया था।

नेशनल एटलस एंड थीमैटिक मैपिंग आर्गेनाइजेशन (NATMO), कोलकता

- इसकी स्थापना **वर्ष 1954** में भारत के राष्ट्रीय एटलस संकलन के लिए **राष्ट्रीय एटलस संगठन** के रूप में की गई थी।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के अंतर्गत यह एक प्रमुख संस्था है और मुख्य रूप से विभिन्न **विषयक (थीमैटिक) मानचित्र** और **एटलस** तथा राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर और अन्य कई मोनोग्राम बनाने का कार्य करता है।

VISION IAS

3.3. अल्पसंख्यक

(Minorities)

3.3.1. हमारी धरोहर योजना

(Hamari Dharohar Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **"हमारी धरोहर योजना"** के अंतर्गत **सांस्कृतिक सद्भाव सम्मेलन समिति** की पहली बैठक कुछ समय पूर्व आयोजित की गई थी।
- इस समिति का गठन ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किया गया था, जो भारत की अल्पसंख्यक संस्कृति और धरोहर के सम्बन्ध में जागरूकता के प्रसार में सहायक हों।

हमारी धरोहर

- **अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2014 में** अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध धरोहर को समग्र भारतीय संस्कृति की अवधारणा के अंतर्गत संरक्षित करने के लिए एक **केन्द्रीय क्षेत्र की योजना** की शुरुआत की थी।
- इस योजना के क्रियान्वयन से यह उम्मीद है कि अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृति और धरोहर से सम्बन्धित जागरूकता में वृद्धि होगी और देश की सामाजिक सरंचना सशक्त बनेगी।
- **प्रदर्शनियाँ, साहित्य/दस्तावेजों का सरंक्षण, सुलेखन को प्रोत्साहन और R&D** जैसी कुछ गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992** में छह अल्पसंख्यक समुदायों को अधिसूचित किया जाना है। वे इस प्रकार हैं: **मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध ,जैन और पारसी**।
- अल्पसंख्यकों को लाभान्वित करने के लिए ***पढ़ो प्रदेश* और *नई रोशनी*** जैसी अन्य योजनाओं को भी प्रारंभ किया गया है।

3.3.2. वक्फ सम्पत्ति

(WAQF Properties)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय देशभर में वक्फबोर्ड की भूमि के वाणिज्यिक और संस्थागत उपयोग की योजना बना रहा है **जिसमें भवन, मॉल,** स्कूल, हॉस्टल और कार्यालय सम्मिलित होंगे, ।

न्यायमूर्ति जी आर भट्टाचार्य आयोग की सिफारिशें

- वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को विकेंद्रित करना और राज्य भर में सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध संपत्तियों के संजाल के प्रबंधन हेतु जिला वक्फ बोर्डों का गठन करना।
- वक्फ बोर्ड के सदस्यों और वक्फ आयुक्त में शक्ति के केन्द्रीकरण को रोका जाए और जिम्मेदारियों से बचने के मार्गों को बंद किया जाय।
- सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाए और किसी को भी एक से अधिक अवधि के लिए पद धारण करने से रोका जाए। वक्फ संपत्ति के हस्तांतरण और लेनदेन में एक सदस्य या उनके करीबी रिश्तेदारों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- पट्टे और किरायेदारी के संबंध में कानूनों और नियमों को बदला जाना चाहिए।
- शीघ्र संभव समय में वक्फ संपत्तियों का पूर्ण सर्वेक्षण और नामांकन।
- अनधिकृत बिक्री के खिलाफ वक्फ संपत्तियों के न्यासियों को अदालत तक जाने के लिए सशक्त बनाना।
- बोर्ड की अनुमति के बिना वक्फ संपत्तियों की कोई बिक्री पंजीकृत नहीं होगी।

3.3.3. उड़ान योजना

(UDAAN scheme)

वर्तमान में उड़ान नाम से दो योजनाएं विद्यमान हैं:

अल्पसंख्यकों के लिए उड़ान योजना

- जम्मू-कश्मीर के लिए कौशल प्रदान करने और युवाओं के रोजगार की क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (कॉर्पोरेट्स और MoHA के साथ साझेदारी में) द्वारा लागू की गई एक पहल है।
- इस योजना में स्नातक, स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों को शामिल किया जाएगा।

VISION IAS

- इसका उद्देश्य पांच वर्षों की अवधि में जम्मू-कश्मीर के 40,000 युवाओं को कवर करना है।

लड़कियों के लिए UDAAN योजना

- यह इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्राओं के कम नामांकन की समस्या के मुद्दे को संबोधित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन में CBSE द्वारा आरम्भ किया गया एक प्रोजेक्ट है।
- यह प्रोजेक्ट तीन स्तरों पर इन मुद्दों को संबोधित करेंगा - पाठ्यक्रम डिजाइन (curriculum design), लेनदेन (transaction) और मूल्यांकन (assessments)।
- इस कार्यक्रम के तहत, विद्यार्थियों को *वर्चुअल वीकेंड कांटेक्ट क्लासेज* और कक्षा 11 तथा कक्षा 12 के लिए अध्ययन सामग्री के माध्यम से मुफ्त ऑफ़लाइन / ऑनलाइन संसाधन प्रदान किए जाएंगे।
- कोर्स के दौरान छात्रा द्वारा एकत्रित रिवॉर्ड पॉइंट्स की संख्या के आधार पर वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है।

3.3.4. नई मंजिल योजना

(Nayi Manzil Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में केन्द्र सरकार और विश्व बैंक के मध्य नई मंजिल योजना के लिए 50 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- इसे हाल ही में जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया है।

योजना की विशेषताएं

- यह योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा अगस्त 2015 में प्रारंभ की गई थी।
- योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के साथ ही उन्हें स्व उद्यम स्थापित करने में सहायता देना भी है।
- यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय की शैक्षिक एवं जीविकोपार्जन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के युवाओं की, क्योंकि यह समुदाय अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से शैक्षिक उपलब्धियों के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है।
- यह योजना मदरसे में अध्ययन कर रहे छात्रों के अतिरिक्त 17 से 35 वर्ष के सभी अल्पसंख्यक युवाओं को सहायता हेतु समाहित करेगी।
- यह योजना प्रशिक्षुओं के लिए सेतु पाठ्यक्रमों (bridge-course) का संचालन करेगी तथा उन्हें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कक्षा बारह और कक्षा दस का प्रमाणपत्र प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए-विनिर्माण, इन्जीनियरिंग, सेवा और साफ्ट स्किल जैसे चार पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।
- अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए सभी पाठ्यक्रमों में न्यूनतम 30 प्रतिशत सीटें सुरक्षित रखी जाएंगी।
- इसके अंतर्गत 9 से 12 माह का गैर आवासीय आधारभूत सेतु पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा जो कक्षा आठ व कक्षा दस से संबंधित होगा। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से युवा अपनी स्थानीय आजीविका अर्जित करने में सफल होंगे।
- यह योजना पूरे देश में क्रियान्वित की जाएगी।

3.3.5. नई रोशनी योजना

(Nayi Roshni Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नीति आयोग ने वर्ष 2015-16 में नई रोशनी योजना के लिए एक मूल्यांकन अध्ययन किया था जिसकी रिपोर्ट जून 2016 में प्रस्तुत की गई थी।

योजना के सम्बन्ध में:

- नई रोशनी योजना एक **नेतृत्व विकास योजना** है, जिसे **अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय** ने वर्ष 2012-13 में आरम्भ किया था।
- इस योजना का कार्यान्वयन **गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक संगठनों और सरकारी** संस्थाओं द्वारा किया जाता है।
- इस योजना में शैक्षणिक, स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वच्छ भारत, वित्तीय साक्षरता, जीवन कौशल, महिलाओं के वैधानिक अधिकार, डिजिटल साक्षरता तथा सामाजिक और व्यावहारिक बदलाव भी सम्मिलित हैं।
- अल्पसंख्यक महिलाएं ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए भी आवेदन कर सकती हैं।
- प्रशिक्षण मोड्यूल सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

✓ यह योजना विभिन्न सामाजिक कलंकों जैसे निर्धनता से लड़ने में सहायता प्रदान करती है।

VISION IAS

✓ यह अल्पसंख्यक महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए सशक्त बनाती है।

अध्ययन के सम्बन्ध में:

- इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य, योजना का अल्पसंख्यकों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के साथ-साथ योजना के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों की पहचान करना है।
- इस अध्ययन में असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, केरल, राजस्थान, उत्तरप्रदेश जैसे 8 राज्यों के 15 जिलों, 30 ब्लाक, 87 गाँव और 27 गैर-सरकारी संगठनों को सम्मिलित किया गया है।
- इस अध्ययन के अनुसार, यह योजना अल्पसंख्यक महिलाओं में विश्वास जगाने और नेतृत्व कौशल प्रदान करने में सफल रही है।
- प्रशिक्षित महिलाएं अपने ज्ञान का उपयोग अपने परिवारों और पड़ोसियों को विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों में अपनी आवश्यक मांगों और अधिकारों को प्राप्त में सहायता प्रदान कर रही हैं।

3.3.6. यहूदी समुदाय को महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला:

(Jews Get Minority Status in Maharashtra)

- महाराष्ट्र सरकार ने **'महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग कानून, 2004'** के अंतर्गत यहूदी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया है।
- इस प्रावधान के बाद यहूदी समुदाय को अल्पसंख्यकों को प्राप्त समस्त सुविधाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
- यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा राज्य बन गया है।

3.4. अन्य कमजोर वर्ग

(Other Vulnerable sections)

3.4.1. सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना

(SECC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने निर्धनता से प्रभावी रूप से निपटने के लिए अयोग्य लाभार्थियों के निष्कासन का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार अब सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने में निर्धनता रेखा विधि के बजाय SECC 2011 का उपयोग करेगी।
- सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC) का उपयोग अब मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि जैसी योजनाओं में लाभार्थियों की पहचान करने और JAM (जनधन-आधार-मोबाइल) ट्रिनिटी पर आधारित अपनी योजना के एक भाग के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का विस्तार करने के लिए किया जाएगा।
- SECC पर सुमित बोस की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह ने हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- सुमित बोस पैनल की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्य से की गई थी -

✓ SECC हेतु संसाधनों के आवंटन के लिए मापदंडों का अध्ययन करना।

✓ SECC के आंकड़ों का उपयोग करके विभिन्न गरीबोन्मुख कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करना।

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (2011)

- SECC का आयोजन देश के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवारों के सामाजिक-आर्थिक एवं जाति सम्बंधित आंकड़ों का संग्रह करने के लिए किया गया था।
- इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय एवं राज्य सरकारों द्वारा किया गया था।
- इसने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न समितियों की कार्य पद्धतियों का उपयोग किया –
- एन.सी. सक्सेना समिति (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) – इसकी स्थापना निर्धनता रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की जनगणना के नए प्रारूप का सुझाव देने के लिए की गयी थी। इसने घरों के तीन प्रकार के वर्गीकरण की अनुशंसा की-

✓ अपवर्जित (Excluded)- इन घरों की पहचान परिसंपत्तियों एवं आय के आधार पर की जाएगी तथा इन्हें सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले कल्याणकारी लाभों से बाहर रखा जाएगा।

- ✓ स्वत: सम्मिलित – चरम सामाजिक अभाव का सामना करने वाले घरों को सम्मिलित किया जाएगा और वे सरकारी लाभों के लिए स्वत: सम्मिलित कर लिए जाएंगे।
- ✓ अन्य – उनका श्रेणीकरण विविध अभाव संकेतकों के आधार पर किया जाएगा और वे श्रेणीकृत लाभ प्राप्ति हेतु पात्र होंगे। उदाहरण के लिए, सक्षम तथा शिक्षित वयस्क की उपस्थिति आदि।

- एस. आर. हाशिम समिति (शहरी क्षेत्रों के लिए)–
- ✓ इसने भी एन.सी. सक्सेना की भांति भारतीय त्रि-चरणीय दृष्टिकोण का अनुपालन किया।
- ✓ अंतर केवल इतना है कि दोनों समितियों ने अलग-अलग मापदंडों का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्रों में चार से अधिक कमरों वाले घर को, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तीन या उससे अधिक कमरों वाला घर अपवर्जित किया गया था।

- SECC के प्रमुख निष्कर्ष- अभी तक केवल ग्रामीण SECC के आंकड़ों को सार्वजनिक रुप से जारी किया गया है।
- भारत की ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 19% भाग अभाव के सात सामाजिक-आर्थिक मापदंडों में से कम से कम एक धारण करता था।
- 30% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं तथा हस्तचालित (मैनुअल) या आकस्मिक श्रम से अपनी आय प्राप्त करते हैं।
- अभाव का दूसरा सबसे बड़ा सामान्य रूप शिक्षा था, इस मापदंड पर 23.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई शिक्षित वयस्क सदस्य नहीं था।

निर्धनता रेखा विधि की तुलना में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना बेहतर क्यों है?

- निर्धनता रेखा निर्धारण विधि निर्धनों की संख्या की पहचान करती है, जबकि SECC यह पहचान करती है कि वास्तव में निर्धन कौन है। इसलिए यह अधिक लक्ष्य केन्द्रित और सटीक है।
- यह अयोग्य उम्मीदवारों, विशेष रूप से संपन्न लोगों, को अलग करके लाभार्थियों की सूची को अधिकाधिक सुस्पष्ट करने तक में भी सहायता करेगी और इस प्रकार यह जालसाजी एवं दोहराव के मुद्दे का समाधान करती है।
- निर्धनता रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों (BPL) संबंधी दृष्टिकोण संकीर्ण था क्योंकि यह आय और उपभोग व्यय पर ध्यान केन्द्रित करता था दूसरी ओर SECC ने समग्र और सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया ।
- निर्धनता रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों (BPL) की विधि का द्विआधारी दृष्टिकोण परिवारों को या तो सम्मिलित करता है या पूर्ण रूप से बाहर कर देता है लेकिन यदि SECC का आधार उपयोग किया जाएगा तो प्रत्येक परिवार को विभिन्न अभाव (वंचन) कारकों पर मानचित्रित किया जाएगा और अभावग्रस्त (वंचित) पाए जाने पर वह उस विशिष्ट योजना के लिए पात्र हो जाएगा। उदाहरण के लिए कुछ घर-परिवार खाद्य सब्सिडी हेतु पात्र हो सकते हैं जबकि अन्य एलपीजी सब्सिडी के लिए पात्र हो सकते हैं। तो इस प्रकार SECC न केवल निर्धनता अपितु विभिन्न प्रकार के वंचनों को समाप्त करने में सहायता करेगी।

3.4.2. डिनोटीफाईड, नोमैडिक (ख़ानाबदोश) एंड सेमी-नोमैडिक (अर्ध-ख़ानाबदोश) ट्राइब्स

(Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes)

सुर्खियों में क्यों?

- डिनोटीफाईड, नोमैडिक (ख़ानाबदोश) एंड सेमी-नोमैडिक (अर्ध-ख़ानाबदोश) ट्राइब्स पर गठित राष्ट्रीय आयोग ने 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- जहां इनमें से कुछ समुदाय SCs/STs और OBCs के अंतर्गत मान्यता चाहते हैं, वहीं कुछ अन्य DNTs/NTs के रूप में मान्यता चाहते हैं।

पृष्ठभूमि:

- औपनिवेशिक शासनकाल में, यदि किसी स्थानीय सरकार को यह विश्वास हो जाता था कि कोई जनजाति समूह **"व्यवस्थित रूप से गैर-जमानती अपराध करने का आदी है"** तो उसको **आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871** के अंतर्गत एक **आपराधिक जनजाति** के रूप में पंजीकृत कर दिया जाता था।
- **आपराधिक जनजाति** के आवगमन पर प्रतिबंध लगाए जाते थे और उस समुदाय के वयस्क पुरुष सदस्यों को नियमित रूप से पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ता था।

VISION IAS

- इसके पश्चात् **आपराधिक जनजाति अधिनियम (CTA), 1924** अधिनियमित किया गया। इसके अंतर्गत स्थानीय सरकारें सुधार विद्यालयों की स्थापना कर सकती थीं, जिसमें वे आपराधिक जनजाति के बच्चों को उनके माता-पिता और सरंक्षकों से अलग कर इन विद्यालयों मे भर्ती कर सकती थीं।
- वर्ष 1949 में CTA को निरस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर **आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1951** लाया गया।
- वर्ष 2002 में न्यायमूर्ति वेंकटचेलैया आयोग ने DNTs के आर्थिक और शैक्षणिक विकास के कार्यक्रमों को सशक्त बनाने की संस्तुति की। इस आयोग ने DNTs की आवश्यकताओं और शिकायतों के समाधान के लिए एक विशेष आयोग के गठन की संस्तुति भी की।
- इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2005 में एक **नेशनल डिनोटीफाईड, नोमैडिक एंड सेमी-नोमैडिक ट्राइब कमीशन** की स्थापना की गई।

डिनोटीफाईड, नोमैडिक और सेमी-नोमैडिक ट्राइब में अंतर:

- "अनुसूचित जनजाति" शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान में किया गया। अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजातियों को "ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय या इनमें सम्मिलित जनजाति समुदाय के भाग या समूहों को संविधान के प्रयोजनों हेतु अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां माना गया है" पारिभाषित किया गया है।
- उन्हें अनुसूचित इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उन्हें संविधान की एक अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।
- नोमैडिक और डिनोटीफाईड ट्राइब दोनों ही CTA के अंतर्गत आपराधिक जनजाति माने जाते थे।
- नोमैडिक ट्राइब का शाब्दिक अर्थ है: जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं।

3.4.3. राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवल

(National tribal carnival)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 25 अक्टूबर 2016 को प्रधान मंत्री ने प्रथम राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवल का उद्घाटन किया।

कार्निवल के बारे में

- इसका उद्देश्य आदिवासी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन एवं प्रचार कर आदिवासियों के मध्य समावेशन की भावना को बढ़ावा देना है।
- राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवल, समस्याओं के बावजूद उत्साहपूर्ण जीवन जीने, सामुदायिक जीवन जैसे जनजातीय आदर्शों को बढ़ावा देगा।
- आदिवासी विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
- यह आय-उत्पादक गतिविधियों और आदिवासी आजीविका को बढ़ावा देने हेतु वस्त्र, पेंटिंग आदि जैसे आदिवासी उत्पादों के विपणन के लिए संभावनाओं के द्वार भी खोलेगा।

3.4.4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(NBCFDC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (National Backward Classes Finance & Development Corporation: NBCFDC) का रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया।

NBCFDC के बारे में

- यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार का एक उपक्रम है।
- इसका उद्देश्य पिछड़े वर्ग के लाभ के लिए आर्थिक और विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना है तथा साथ ही यह कौशल विकास और स्वरोजगार उद्यमों हेतु पिछड़े वर्ग के निर्धन लोगों की सहायता करता है।
- यह निगम राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामांकित, स्टेट चैनलाइसिंग एजेंसीज (SCA) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

- यह निगम विभिन्न क्षेत्रों में आय सृजन उद्यमों (income generating ventures) हेतु सहायता प्रदान करता है जैसे-
- कृषि और संबद्ध गतिविधियां
- लघु व्यवसाय
- शिल्पकार और पारंपरिक व्यवसाय
- टेक्निकल एंड प्रोफेशनल ट्रेड्स/ कोर्सेज
- परिवहन और सेवा क्षेत्र आदि।

3.4.5. संशोधित बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना, 2016

(Revamped Bonded Labour Scheme, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए **केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना** को सरकार ने एक नये रूप **"बँधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय योजना 2016"** के नाम से पुनर्जीवित किया है।

ILO सन्धिपत्र 1954 (धारा 2) के अनुसार बंधुआ श्रम की परिभाषा:

किसी व्यक्ति से डरा-धमका कर या किसी दंड के फलस्वरूप करवाए जाने वाले वे सभी कार्य या सेवाएं जो व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं करता है।

पृष्ठभूमि:

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 23** के विशेष प्रावधानों के अनुसार, मानव व्यापार, बेगार और बँधुआ मजदूरी के अन्य प्रकारों को दंडनीय अपराध बना दिया गया है।
- उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 पारित किया गया था।
  - ✓ इस अधिनियम में स्वतंत्र किये गये बंधुआ श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास और इससे बलपूर्वक निष्कासित व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रावधान किये गये हैं।
  - ✓ यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है की वह बंधुआ श्रमिकों की पहचान कर उन्हें मुक्त कराये और उनका पुनर्वास करे।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ:

- संशोधित योजना **केन्द्रीय क्षेत्र की योजना** है (पहले यह **केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना** थी)। इसलिए राज्य सरकार को नकद पुनर्वास सहायता हेतु इस प्रकार के किसी योगदान की आवश्यकता नहीं है।
- **सर्वेक्षण:** प्रत्येक जिले में बंधुआ श्रमिकों के सर्वेक्षण के लिए 4.50 लाख रूपये प्रदान किये जायेंगे।
- **वित्तीय सहायता:**
  - ✓ प्रत्येक वयस्क पुरुष लाभार्थी के लिए एक लाख
  - ✓ विशिष्ट श्रेणी के लाभार्थियों जैसे अनाथ बच्चे, महिलाएं इत्यादि के लिए दो लाख।
  - ✓ बंधुआ या बलपूर्वक श्रम में लगाये गये अत्यंत वंचित या सीमान्त वर्ग के लोगों जैसे ट्रांसजेंडर या वेश्यालयों से मुक्त कराई गयी महिलाओं या बच्चों को तीन लाख।
- पुर्नवास सहायता का जारी होना दोषियों को दोष-सिद्ध किए जाने से जुड़ा है।
- **बंधुआ श्रमिक पुनर्वास कोष:** प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर न्यूनतम दस लाख की एक स्थायी राशि जिलाधिकारी को उपलब्ध होगी, जिसका उपयोग कर वह मुक्त किये गये बंधुआ श्रमिकों को तात्कालिक सहायता प्रदान कर सकेंगे।
- **निधीयन का स्रोत:** श्रम तथा आजीविका मंत्रालय, *डिस्ट्रिक्ट नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट सोसायटी* को राशि जारी करेगा, जो पुनः उस राशि को जिला प्रशासन सहित सभी कार्यान्वयन संस्थाओं को जारी करेगी।
- उपरोक्त निर्धारित लाभ, अन्य योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाले सभी लाभों के अतिरिक्त होंगे।

- ऑस्ट्रेलिया के *वाक फ्री फाउंडेशन* के वैश्विक दासता सूचकांक 2016 के अनुसार, भारत में आधुनिक दासता से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 18.35 लाख है जो की विश्व में सर्वाधिक है।
- अधिकांश बंधुआ श्रमिक सामाजिक और आर्थिक रूप से निर्बल वर्गों जैसे SC, ST, निर्धन आदि वर्गों से सम्बंधित हैं।

VISION IAS

3.4.6. जनजातीय मुद्दे

(Tribal Issues)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन पर ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम का कथित उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।

वन अधिकार अधिनियम क्या है?

- 'अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम' या 'वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम; 2006 में अस्तित्व में आया तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय इस अधिनियम हेतु नोडल मंत्रालय है।
- इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वनवासियों जो पीढ़ियों से इन वनों में रह रहे हैं किन्तु जिनके अधिकारों को मान्यता नहीं दी जा सकी है, के वन अधिकारों और उपजीविका को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है।
- इस अधिनियम के अनुसार वन भूमि का अन्य किसी प्रयोजन हेतु उपयोग करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
- इसके अतिरिक्त आजीविका के लिए स्वयं कृषि कार्य करने के अधिकार, लघु वनोपज पर अधिकार, निस्तार (छपेजंत) जैसे सामुदायिक अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है।

वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन

- इस संवैधानिक योजना के तहत गैर-आदिवासी लोगों को जनजातीय क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं है परन्तु आदिवासी क्षेत्रों में खनन की प्रकृति शोषणपूर्ण है क्योंकि उस क्षेत्र के आदिवासी लोगों को इस खनन कार्य के लाभ प्राप्त नहीं होते हैं।
- हालांकि, यह आरोप लगाया जाता है कि वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत आदिवासियों के 60 प्रतिशत दावों को सरकार ने अस्वीकार कर दिया है।
- आदिवासियों को विस्थापित कर औद्योगिक उद्देश्य के लिए वन भूमि का हस्तांतरण।
- विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए '*ग्राम सभा क्लॉज़*' की उपेक्षा करना।
- आदिवासियों को वनभूमि से अलग करना, देश में वामपंथी चरमपंथ को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारणों में से एक है।

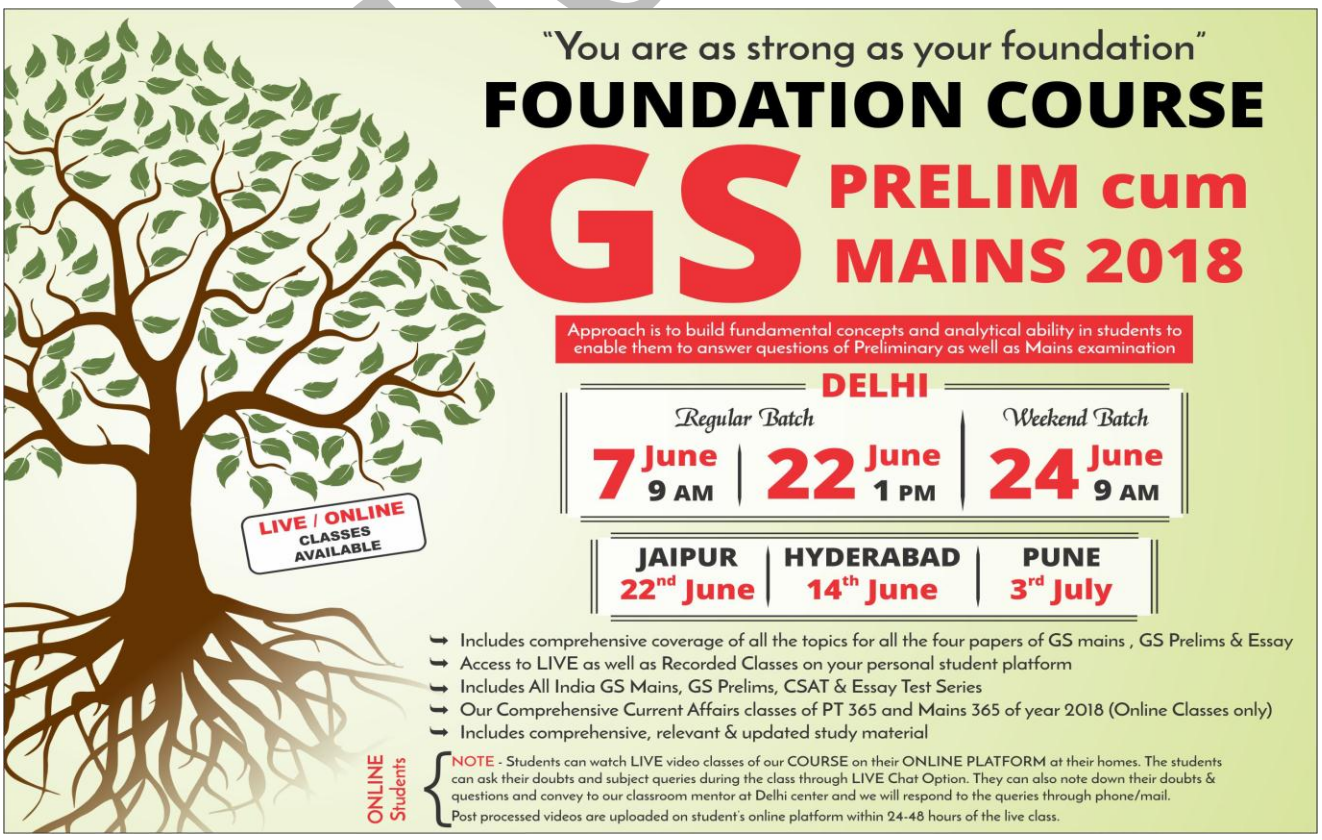

4. शिक्षा

(EDUCATION)

4.1. उच्च शिक्षा वित्तीयन एजेंसी (HEFA)

(Higher Education Finance Agency [HEFA])

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना के निर्माण को बढ़ावा देने हेतु उच्च शिक्षा वित्तीयन एजेंसी (हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी: HEFA) के गठन को मंजूरी दे दी है।

HEFA के बारे में

- इसे कुछ चिन्हित प्रमोटर्स और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
- इसे एक PSU बैंक या सरकार के स्वामित्व वाली NBFC (प्रमोटर) के अंतर्गत एक SPV के रूप में गठित किया जाएगा। यह इक्विटी द्वारा 20,000 करोड़ रुपये का कोष जुटाएगा। इस कोष का उपयोग IIT/ IIM/ NIT और इस तरह के अन्य संस्थानों में विश्व स्तरीय प्रयोगशालायें (लैब्स) के विकास संबंधी परियोजनाओं और अवसंरचना विकास का वित्तपोषण होगा।
- यह CSR के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / कॉर्पोरेट्स से भी धन जुटाएगा, इस धन को अनुदान के आधार पर इन संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु जारी किया जाएगा।
- यह 10 वर्ष की अवधि के ऋण के माध्यम से सिविल और प्रयोगशाला अवसंरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण करेगा।
- ऋण का मूलधन संस्थानों के 'आंतरिक स्रोतों' (शुल्क प्राप्तियों के माध्यम से अर्जित किया गया धन, अनुसंधान उपार्जन आदि) के माध्यम से चुकाया जाएगा। सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान नियमित योजनागत सहायता के माध्यम से किया जाएगा।
- सदस्यों के रूप में शामिल होने के लिए, संस्था को अपने आंतरिक स्रोतों से एक विशिष्ट राशि को 10 वर्षों की अवधि के लिए HEFA में जमा (escrow) करने के लिए सहमत होना होगा। बाजार से धन जुटाने के लिए HEFA इसके सुरक्षित भविष्य के लिए प्रतिभूतिकरण करेगा।
- सभी केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शैक्षिक संस्थान HEFA की सदस्यता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

महत्व

- HEFA, भारत में बाजार से संबद्ध शिक्षा वित्तपोषण संरचना के आरम्भ तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के वित्तपोषण की पारंपरिक अनुदान आधारित प्रणाली के समापन का प्रतीक है।
- ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यह एजेंसी सरकार पर पड़ रहे वित्तीय दबाव को कम करेगी। वर्तमान में ऐसे संस्थानों को एकमात्र आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करती है।

4.2. शिक्षा पर सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट

(Subramanian Committee Report on Education)

सुर्ख़ियों में क्यों

- हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार के लिए टी. एस. आर. सुब्रमण्यम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- इससे पहले 1968 में इंदिरा गांधी तथा 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में शिक्षा पर दो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' 1986 को वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था।

UGC के बारे में

- भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। यह केंद्र सरकार द्वारा UGC अधिनियम 1956 के तहत गठित संस्था है।
- देश की सम्पूर्ण छात्र संख्या को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों और संवादों को आरम्भ करने हेतु UGC को अधिदेशित किया गया है।
- UGC के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
- भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को प्रदान किए जाने वाले अनुदान के वितरण की देखरेख।

- लाभार्थियों को छात्रवृत्तियां / फैलोशिप प्रदान करना, और
- इसके विनियमों का विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, इसकी निगरानी करना।

4.3 शिक्षा का अधिकार (RTE)

4.3.1. अल्पसंख्यक विद्यालयों के साथ शिक्षा के अधिकार (RTE) की सुसंगति (Harmonising RTE with Minority Schools)

- केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE एक्ट) की धारा 16 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू होती है। इस धारा के अनुसार, विद्यालय किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले नही रोक सकते हैं।
- न्यायालय ने यह दायित्व, अधिनियम के आधार पर नही बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के आधार पर आरोपित किया है। अनुच्छेद 21 जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है।
- न्यायालय ने निर्णय दिया कि नो-डिटेंशन पॉलिसी (NDP) बच्चे के "सर्वाधिक हित" में है तथा स्वतंत्र रूप से इसे मूल अधिकार समझा जा सकता है।

RTE अधिनियम के बारे में

- यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया था। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
- 1 अप्रैल 2010 को जब अधिनियम लागू हुआ तो भारत उन 135 देशों में से एक बन गया, जहाँ शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है।

4.3.2 RTE के तहत 'नो डिटेंशन पॉलिसी' (अनुत्तीर्ण नहीं किये जाने की नीति) की समीक्षा (Review of No Detention Policy under RTE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के जवाब में कम से कम 18 राज्य सरकारों ने इस धारा को निरस्त करने की मांग की।
- हाल ही में, शिक्षा नीति पर सुझाव देने हेतु नियुक्त टी. एस. आर. सुब्रमण्यम पैनल ने भी सरकार को छठी कक्षा से पास-फेल सिस्टम को पुनः वापस लाने की सिफारिश की थी। अर्थात स्कूलों में नो डिटेंशन पॉलिसी की नीति पांचवीं कक्षा तक ही लागू होनी चाहिए।

'नो डिटेंशन पॉलिसी' क्या है?

- RTE अधिनियम की धारा 16 के तहत, आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को स्वतः ही अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है भले ही वे अगली कक्षा में प्रवेश करने हेतु आवश्यक अंक प्राप्त कर पाए अथवा नहीं।
- यह प्रावधान RTE अधिनियम के तहत बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) की प्रक्रिया के तहत किया गया था।

4.4. पीसा (PISA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **मानव विकास संसाधन मंत्रालय** ने वर्ष 2021 से **PISA (*प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट*)** में फिर से भाग लेने का निर्णय लिया है।

PISA क्या है?

- यह वर्ष 2000 में **OECD (आर्गेनाइजेशन फॉर इकनोमिक कारपोरेशन एंड डेवलपमेंट**) द्वारा प्रारम्भ की गई वैश्विक आंकलन व्यवस्था है।

- यह किशोर विद्यार्थियों (**15 वर्ष तक के**) के **पढने कि क्षमता, गणित और विज्ञान** में उनके सीखने के स्तर का परीक्षण करता है।
- यह परीक्षण **प्रत्येक तीन वर्षों** में किया जाता है।
- PISA के आंकड़ों के उपयोग से भारत की विद्यालय व्यवस्था में सुधार कर उसे वैश्विक मानकों के समकक्ष लाया जा सकता है।

4.5. कदियाम श्रीहरी समिति

(Kadiyam Srihari Committee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बालिकाओं की शिक्षा से सम्बन्धित विषयों की जाँच-पड़ताल के लिए **कदियाम श्रीहरी** की अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ एडवाइजरी एजुकेशन (CABE) की एक उप-समिति का गठन किया है।

CABE:

- शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए यह सर्वोच्च परामर्शदात्री संस्था है।
- **केन्द्रीय मानव विकास संसाधन मंत्री** इसके प्रमुख हैं तथा **लोकसभा व राज्यसभा** के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति इसके नामित सदस्य होते हैं।
- CABE का प्रमुख कार्य समय-समय पर शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना, केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा शिक्षा नीति को कैसे और किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है, इसका मूल्यांकन करना और उन्हें इस विषय पर उपयुक्त परामर्श देना है।

4.6.भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017

(Indian Institute of Management Bill, 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में कैबिनेट ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 को मंजूरी दी है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

- IIMs को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (सांविधिक स्थिति) के रूप में घोषित किया जाएगा ताकि वे अपने छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकें।
- वर्तमान में IIMs, सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकृत एक पृथक स्वायत्त निकाय हैं। इस प्रकार, वे डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, केवल डिप्लोमा या फेलो प्रोग्राम प्रदान कर सकते हैं।
- इन संस्थानों को पर्याप्त जवाबदेही के साथ पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी। इस प्रकार बोर्ड, संस्थान के अध्यक्ष और निदेशक का चयन करेगा।
- 33 सदस्यी *कोआर्डिनेशन फोरम ऑफ़ IIMs* को एक सलाहकार निकाय के रूप में गठित किया जाएगा- यह सभी संस्थानों के प्रदर्शन को सुधारने हेतु अनुभवों, विचारों और चिंताओं को साझा करना सुगम बनाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री इस मंच के संयोजक (convener) नहीं होंगे।

4.7. अशोक कुमार रुपनवाल आयोग की रिपोर्ट

(Ashok Kumar Roopanwal Commission Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में **रोहित वेमुला की मृत्यु की घटना की जाँच** करने और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए इस एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था।

रिपोर्ट की सिफारिशें :

- पेशेवर सलाहकारों के साथ **परामर्श केंद्र** स्थापित किए जाने चाहिए।
- विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ होने वाली ज्यादतियों के विरुद्ध अपील करने के लिए विश्वविद्यालय को एक **अपीलीय तंत्र विकसित** करना चाहिए।
- छात्रों द्वारा अध्ययन किए जाने वाले विषयों से सम्बन्धित मुद्दों पर मार्गदर्शन के लिए एक **निगरानी समिति के गठन की आवश्यकता है**। गम्भीर मुद्दों को तुरंत ही कुलपति के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

- **UGC (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता प्रोत्साहन) 2012** के नियमों के अनुसार, **एक एंटी-डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर** की अगुवाई में **एक समान अवसर सेल (Equal opportunity cell)** को क्रियाशील बनाना चाहिए।
- UGC (शिकायत निवारण) 2012 नियमों के अनुसार **ओम्बड्समैन (लोकपाल) की अगुवाई में एक शिकायत निवारण समिति** को प्रभावी बनाना चाहिए और उसके द्वारा प्रति सप्ताह शिकायतों का निवारण किया जाना चाहिए।
- बाहर से आये छात्रों के लिए एक **सशक्त प्रेरण कार्यक्रम**, एक **स्थानीय अभिभावक की व्यवस्था** तथा आने वाले नए छात्रों के बेहतर अनुकूलन एवं उनको सहज बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों के एक उपयुक्त स्वयंसेवी समूह द्वारा मदद की जानी चाहिए।
- अकादमिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण की व्यवस्था।
- छात्रावास के आवंटन और प्रबन्धन में प्रवेश के नियमों और **निर्देशों का सख्ती से अनुपालन**।

4.8. भारत के सर्वभौमिक शिक्षा लक्ष्य

(Universal Education Goals of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- यूनेस्को ने अपनी **वर्ष 2016 की वैश्विक निगरानी रिपोर्ट** में यह दावा किया है कि भारत निम्नलिखित लक्ष्यों को पूरा कर लेगा:

✓ वर्ष 2050 तक भारत में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा।

✓ वर्ष 2060 तक सार्वभौमिक उच्च प्राथमिक शिक्षा (भारत के लिए कक्षा 6-8 तक)।

✓ वर्ष 2085 तक सार्वभौमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा (भारत के लिए कक्षा 9-12 तक)।

- यूनेस्को ने यह भी सूचित किया है कि यह पूर्वानुमान **भारत में शिक्षा की पूर्व प्रवृतियों** के आधार पर किये गये हैं और भारत के HRD मंत्रालय की इस पूर्वानुमान में कोई भूमिका नहीं है।

UNESCO के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; यूनेस्को) संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेषीकृत एजेंसी है तथा इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है।
- इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर में घोषित मौलिक स्वतंत्रता के साथ न्याय, कानून का शासन, और मानवाधिकारों के सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सुधारों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति और सुरक्षा में योगदान करना है।
- इसमें 195 सदस्य देश (member state) और 9 सहयोगी सदस्य (associate members) हैं।
- यह 5 प्रमुख कार्यक्रमों: शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान (नेचुरल साइंसेज), सामाजिक / मानव विज्ञान, संस्कृति और संचार / सूचना के माध्यम से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है।

4.9. विद्यालयी शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा का उपयोग

(Mother Language as Medium of Instruction in School)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कुछ समय पूर्व कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार के समक्ष इच्छा प्रकट की थी कि संविधान में संशोधन द्वारा राज्य सरकारों को प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा को अनिवार्य बनाने की शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए।
- भारतीय संविधान की धारा 350A जो भाषाई अल्पसंख्यकों हितों से सम्बन्धित है। इस अनुच्छेद के अनुसार, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के विद्यार्थियों हेतु शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

4.10. शिक्षा पर नई दिल्ली घोषणा

(New Delhi Declaration on Education)

सुर्ख़ियों में क्यों?

BRICS देशों के शिक्षा मंत्रियों की चौथी बैठक नयी दिल्ली में आयोजित हुई ।इस बैठक में शिक्षा पर 'नई दिल्ली घोषणा' को अपनाया गया।

SDG लक्ष्य 4: सभी के लिए समावेशी और गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने तथा आजीवन सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने से सम्बन्धी लक्ष्य।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य उद्देश्य समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना तथा सभी के लिए जीवन भर सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है।
- BRICS देशों के बीच अनुसंधान में सहयोग तथा ज्ञान के हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए एक समर्थकारी ढांचे का विकास करना।
- शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने, शिक्षण-अधिगम(teaching-learning) प्रक्रिया की गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षक विकास और शैक्षिक योजना और प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करना।
- SDG4 तथा इससे सम्बद्ध लक्ष्यों के व्यापक दायरे के भीतर देश-विशिष्ट लक्ष्य तैयार करने के लिए कार्रवाई आरंभ करना।
- BRICS देशों के विश्वविद्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से शिक्षा में सहयोग, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में BRICS देशों में प्रचलित सर्वोत्तम परम्पराओं को साझा करना।

4.11. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा

[National Eligibility Cum Entrance Test (NEET)]

- लोकसभा ने विवादास्पद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) विधेयक को पारित करने के द्वारा विधेयक को कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। यह अगले शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगा।
- इस कदम की पृष्ठभूमि में निहित मुख्य उद्देश्यों में, अलग-अलग परीक्षाओं को समाप्त करना, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा और गैर-शोषक प्रक्रिया को अपनाना शामिल है।
- विधेयक भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम-1956 और दंत चिकित्सक अधिनियम-1948 में संशोधन प्रस्तावित करता है। इसके कानूनी रूप प्राप्त करने अर्थात अधिनियम बन जाने के पश्चात इसी सत्र में एनईईटी परीक्षा को संचालित करने के संबंध में सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश भी प्रतिस्थापित हो जाएगा।

4.12. स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक

(School Education Quality Index, SEQI)

- नीति आयोग ने स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (SEQI) पर पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन स्कूली बच्चों में सीखने के परिणाम (learning outcome) में सुधार लाने के लिए किया गया।

SEQI के बारे में

- SEQI एक मिश्रित सूचकांक है, जो शिक्षा की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण डोमेन (क्षेत्रों) में राज्यों के द्वारा किये जाने वाले वार्षिक सुधार की जानकारी देगा। इसकी परिकल्पना नीति आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है।
- सूचकांक का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि राज्यों का ध्यान केवल योजनाओं को प्रारंभ (इनपुट) करने पर ही ना रहे बल्कि वे इसके परिणामों (आउटकम) पर भी ध्यान केन्द्रित करे। इसके अतिरिक्त निरंतर वार्षिक सुधार के लिए वस्तुनिष्ठ बेंचमार्क (objective benchmark) प्रदान करना तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के नेतृत्व में नवाचारों को प्रोत्साहित करना।सूचकांक के माध्यम से ऐसे परिवेश का निर्माण हो सकेगा जिसमें राज्यों के बीच सर्वोत्तम परम्पराओं की साझेदारी संभव हो पायेगी।
- सम्पूर्ण भारत में शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए, SEQI को दो श्रेणियों में बांटा गया है- 1. परिणाम (Outcomes) और 2. शासन एवं प्रबंधन (Governance & management)।
- यह सूचकांक परिणामों (आउटकम) को तीन डोमेन (लर्निंग, पहुँच और इक्विटी) में तथा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट को (शासन प्रक्रियाओं और ढांचागत सुधारों) दो डोमेन में विभाजित करता है। वर्तमान में सूचकांक में 34 संकेतक और 1000 अंक हैं, जिसमें अधिकतम वेटेज(weightage) सीखने के परिणामों (लर्निंग आउटकम) को (1000 में से 600 अंक) दिया गया है।

4.13. सरकारी पहल/योजनाएं

(Government initiatives/Schemes)

4.13.1. विद्यांजलि योजना

(Vidyanjali Scheme)

- सरकारी विद्यालयों में शिक्षा प्रणाली को सशक्त करने के लिए हाल ही में 'मानव संसाधन मंत्रालय ने विद्यांजलि योजना का उद्घाटन किया, इसके अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में स्वयंसेवी अध्यापकों द्वारा शिक्षा देने का कार्य किया जाएगा।
- इस योजना के लिए उपयुक्त तथा इच्छुक स्वयंसेवी सरकार के पोर्टल www.mygov.in पर जाकर आवेदन कर सकता है।
- यह योजना विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों के स्थान को प्रभावित नहीं करती है।जहां पाठ्यक्रम को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व नियमित शिक्षकों का ही होगा वहीं स्वयंसेवी शिक्षकों का उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना होगा।
- स्वयंसेवियों का उपयोग विद्यार्थियों में कौशल विकास जैसे-रचनात्मक लेखन, गायन, नृत्य, भाषण की कला आदि विधाओं के लिए किया जाएगा। अपने पहले चरण में यह परियोजना 21 राज्यों के 2200 विद्यालयों में क्रियान्वित की जाएगी। इसके बाद इसे धीरे-धीरे समस्त सरकारी विद्यालयों में इसे लागू किया जाएगा।

योग्यता और चयन

- इस योजना के लिए किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं है, विदेशी नागरिक भी अपने 'ओ सी आई' कार्ड के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत आने वाले आवेदनों की समीक्षा का कार्य करने की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी (Block Development Officer) को दी गई है।

4.14.2. 'शगुन' - सर्व शिक्षा अभियान हेतु एक वेब पोर्टल

('ShaGun' – A Web-Portal for Sarva Shiksha Abhiyan)

- 'शगुन' सर्व शिक्षा अभियान के लिए एक वेब पोर्टल है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा आरम्भ किया गया।
- इसका लक्ष्य फ्लैगशिप योजना- सर्व शिक्षा अभियान (SSA) की निरंतर निगरानी करना तथा सीखने के परिणामों (learning outcomes)का कोडीफिकेशन करना है ।इस प्रक्रिया के जरिए विकसित प्रमुख मापदंडों पर राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करना।
- राज्य सरकार अपनी सामग्री का चयन, अपलोड और प्रबंधन करेगी।

SSA के बारे में

- यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करती है।
- इसके समग्र लक्ष्यों में शामिल हैं-

✓ सार्वभौमिक पहुँच और प्रतिधारण (retention)

✓ लैंगिक और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को भरना

✓ बच्चों के सीखने के स्तर में वृद्धि

SSA के तहत किये जाने वाले प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्कूलों में अवसंरचना निर्माण
- शिक्षकों तथा उनके प्रशिक्षण के लिए प्रावधान
- बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के नाम लोकप्रिय आवासीय विद्यालय
- विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान
- समुदाय आधारित संगठनों के साथ मिलकर स्थानीय स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करना।

4.13.3. राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी

(National Academic Depository)

- मानव संसाधन विकास मंत्री ने शैक्षणिक पुरस्कारों की एक डिजिटल डिपॉजिटरी, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी (NAD) का उद्घाटन किया।
- इसका लक्ष्य वित्तीय सुरक्षा डिपॉजिटरीज(financial securities depository) के डिजिटलीकरण और डीमैटेरियलाइजेसन (dematerialization) की प्रक्रिया के समान व्यवस्था को शैक्षिक पुरस्कारों के क्षेत्र में भी अपनाना है।
- डिजिटल डिपॉजिटरी से पुरस्कार सत्यापित, प्रमाणीकृत, तथा पुनर्प्राप्त किये जाएंगे।
- यह पारदर्शिता और प्रामाणिकता बढ़ाने के लिए एक कदम है।
- NAD सभी शैक्षिक संस्थानों में सभी शिक्षा प्रमाण पत्रों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो का विकास करेगा जिन्हें रोजगार, उच्च शिक्षा और ऋण के लिए आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है।
- NAD बोर्ड प्रमाण पत्र जारी करने वाले विश्वविद्यालयों से सीधे एकीकृत होगा जो करते हैं, जिस से प्रमाण पत्र अभिलेखों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी।

4.14.4. स्वयं प्रभा

(Swayam Prabha)

- यह शिक्षा के मानकों में एकरूपता लाने के उद्देश्य सेउच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री प्रदान करने हेतु एक परियोजना है। यह 32 DTH (डायरेक्ट टू होम) टेलीविजन चैनलों के माध्यम से संचालित की जाने वाली विशेषज्ञों द्वारा तैयार परियोजना है।
- यह सभी के लिए उपलब्ध होगी और प्रतिदिन 6 बार, 4 घंटे की नई सामग्री प्रसारित की जाएगी। इससे छात्र पाठ्यसामग्री को अपनी सुविधानुसार देख सकेंगे।
- यह परियोजना अलग-अलग भाषाओं में शिक्षा के सभी स्तरों के विभिन्न विषयों को कवर करेगी (प्रारंभ में यह केवल अंग्रेज़ी में होगा तथा बाद में अन्य भाषाओं में इसका विस्तार किया जाएगा)।
- छात्र अपने संदेह तथा समस्याओं को एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से पूछ सकते हैं जो भास्काचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन और जियो इंफॉर्मेटिक्स (BISAG) द्वारा अपलिंक्ड किया जाएगा।

4.14.5 पढ़े भारत बढ़े भारत

(Padhe Bharat Badhe Bharat)

- यह सर्व शिक्षा अभियान का एक उप कार्यक्रम है। यह *अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन* (ERWC) और *अर्ली मैथमैटिक्स* (EM) जैसे दो विशिष्ट प्रयासों के माध्यम से भाषा विकास में सुधार तथा गणित में रुचि पैदा करने पर विशेष ध्यान देता है।
- प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में पढ़ने की आदत (habit of reading) विकसित करने और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा इस मूलभूत कार्यक्रम के लिए एक अनुवर्ती कार्यक्रम (फॉलो अप) , '*नेशनल रीडिंग इनिशिएटिव* भी आरम्भ किया गया है।

4.14.6 प्रधानमन्त्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

(Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 14 से 60 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को कवर करने वाले 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' को मंजूरी दी। यह 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को कवर करेगा।

PMGDISHA के बारे में

- PMGDISHA के **विश्व में सबसे बड़े डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों** में से एक बनने की उम्मीद है।
- इस योजना के तहत, 25 लाख लोगों को वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रशिक्षित किया जाएगा; वित्तीय वर्ष 2017-18 में 275 लाख; और वित्तीय वर्ष 2018-19 में 300 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

VISION IAS

- **एकसमान भौगोलिक पहुंच** सुनिश्चित करने के लिए 2,50,000 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक द्वारा औसतन 200-300 अभ्यर्थियों को रजिस्टर करने की उम्मीद है।
- इस योजना का कार्यान्वयन, राज्यों / संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्राधिकृत उनकी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों तथा जिला ई-गवर्नेन्स सोसाइटी (DeGS) आदि के साथ सक्रिय सहयोग के द्वारा किया जायेगा । योजना का पर्यवेक्षण सम्पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा किया जायेगा।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रारंभ किए गए PMGDISHA द्वारा डिजिटली साक्षर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ परिवारों कवर किया जाएगा।
- इस योजना का उद्देश्य डिजिटल डिवाइड के अंतराल को भरना है। यह SC, ST, अल्पसंख्यक वर्ग, BPL, महिलाओं, विकलांग जन और अल्पसंख्यकों जैसे समाज के हाशिए पर विद्यमान वर्गों सहित ग्रामीण आबादी को विशेष रूप से लक्षित करती है।

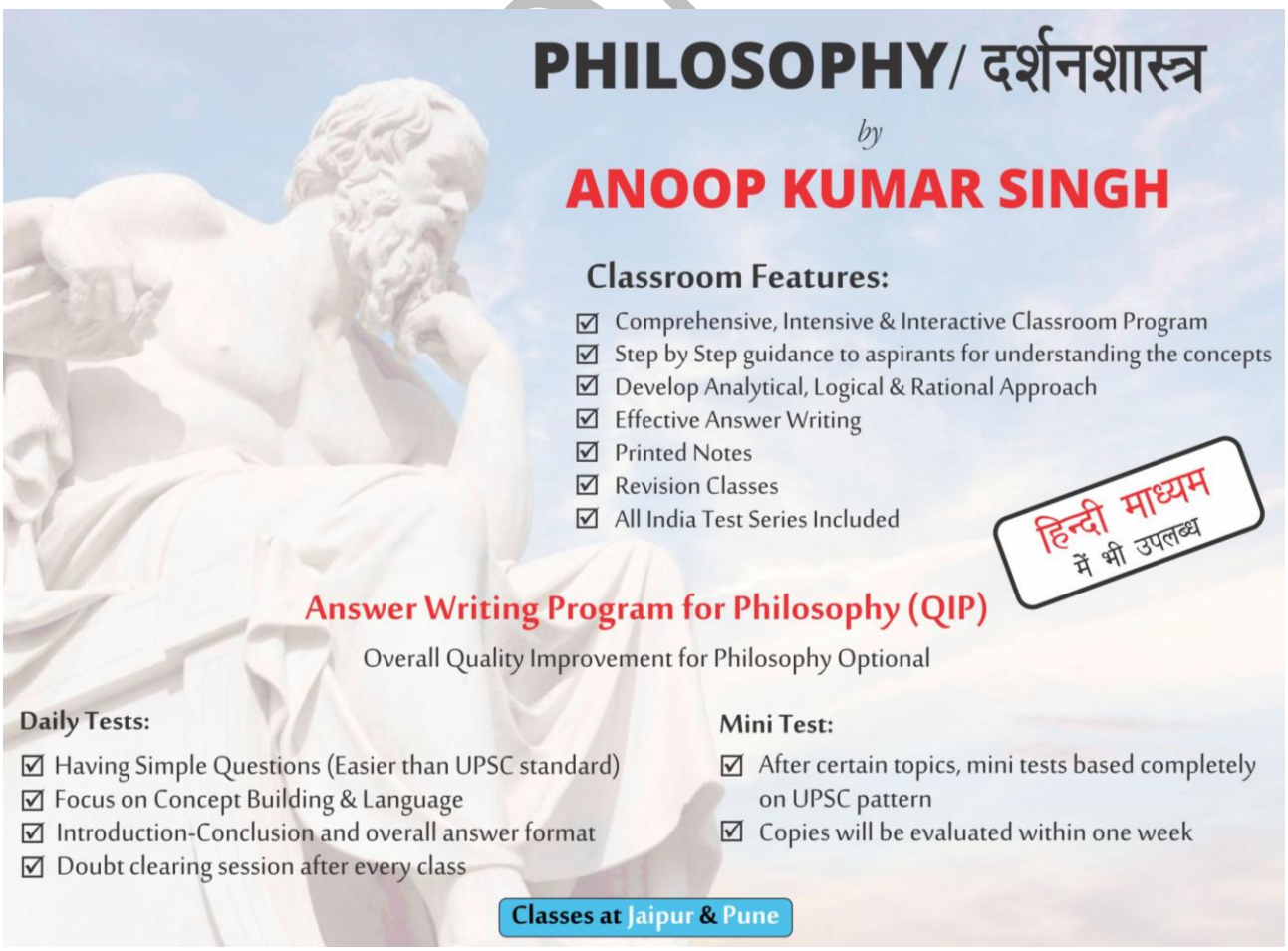

5. स्वास्थ्य

(HEALTH)

5.1. स्वास्थ्य परिणामों के प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सूचकांक

(National Index for Performance of Health Outcomes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नीति आयोग ने "स्वास्थ्य परिणामों के प्रदर्शन" पर आधारित सूचकांक जारी किया है।
- इस सूचकांक का विकास विश्व बैंक से प्राप्त तकनीकी सहायता से किया गया है।
- यह राज्यों को मापने योग्य स्वास्थ्य मानकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने में सहायता करेगा।

इस सूचकांक की प्रमुख विशेषताएँ

- यह **स्वास्थ्य परिणामों, शासन एवं सूचना** तथा **प्रमुख इनपुट/प्रक्रियाओं** इत्यादि में समूहीकृत प्रासंगिक डोमेन (क्षेत्रों) एवं उप-डोमेन (क्षेत्रों) के समुच्चय को सम्मिलित करता है।
- सर्वाधिक वेटेज मापने योग्य **स्वास्थ्य परिणामों** को प्रदान की जाती है।
- संकेतकों का चयन डेटा की निरंतर उपलब्धता के आधार पर किया गया है।
- संयुक्त सूचकांक (Composite index) का परिकलन किया जाएगा एवं सूचकांक में आधार वर्ष की तुलना में संदर्भ वर्ष में हुआ कोई परिवर्तन उस राज्य की स्थिति में हुए क्रमिक सुधार को प्रदर्शित करेगा।
- यह विभिन्न राज्यों को मापने योग्य स्वास्थ्य संकेतकों जैसे शिशु मृत्यु दर, जन्म के समय लिंग अनुपात एवं 24x7 सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों की उपलब्धता के संबंध में उनके प्रदर्शन के आधार पर श्रेणीबद्ध करेगा।
- संकेतकों का चयन SRS इत्यादि वर्तमान डेटा स्रोतों से उनकी आवधिक(periodic) उपलब्धता के आधार पर किया गया है।
- इस सूचकांक का लक्ष्य सामाजिक क्षेत्रक के परिणामों में सुधार लाना है, जो भारत में आर्थिक विकास की गति से तालमेल बनाए नहीं रख सके हैं।
- इन पहलों को संरेखित करने के उद्देश्य से निगरानी किए जाने योग्य उन संकेतकों को सम्मिलित किया गया है जो स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्यों के एक भाग का निर्माण करते हैं।
- आँकड़ों को दर्ज किया जाएगा एवं परिणामों का प्रकाशन नीति आयोग द्वारा प्रवर्तित वेब पोर्टल पर किया जाएगा।
- इस सूचकांक का प्रयोजन ऐतिहासिक उपलब्धियाँ प्राप्त करने पर ध्यान केन्द्रित करने के स्थान पर, राज्यों द्वारा वार्षिक रूप से क्रमिक सुधारों के लिए प्रोत्साहित करना है।

5.2. नया स्वास्थ्य सूचकांक

(New Health Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सतत विकास लक्ष्य (SDG) के स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों पर विभिन्न देशों के प्रदर्शन का आकलन करने वाले पहले वैश्विक विश्लेषण को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक विशेष समारोह में जारी किया किया गया और इसका ऑनलाइन प्रकाशन 'The Lancet' पत्रिका में हुआ।
- स्कोर द्वारा उन देशों को रैंकिंग प्रदान की गई जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब हैं।

रैंकिंग कैसे की गई थी?

- यह अध्ययन "ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिजीज (GBD)" पर एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्वारा किया गया था। इसमें एक समग्र SDG सूचकांक स्कोर के निर्माण द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक देश की प्रगति का विश्लेषण किया गया था।
- GBD (अर्थात रोगों के वैश्विक बोझ) तथा चोटों और जोखिम कारकों के 1990 और 2015 के बीच किये गए अध्ययन के डेटा का उपयोग करके, स्वास्थ्य से संबंधित 47 संकेतकों में से 33 की वर्तमान स्थिति का अनुमान किया गया।

VISION IAS

- तुलना को आसान बनाने के लिए स्वास्थ्य से संबंधित SDG सूचकांक 0-100 की रेटिंग पर तैयार किया गया है । इस सूचकांक को 33 स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है ।इसके आधार पर पर 1990 और 2015 के बीच 188 देशों की प्रगति को मापा गया है ।
- **भारत का प्रदर्शन:** 42/100 के स्कोर के साथ 188 देशों की सूची में भारत को 143वां स्थान दिया गया है। भारत पाकिस्तान से छह स्थान आगे किन्तु श्रीलंका (79), चीन (92) जैसे देशों से काफी पीछे भी है।दृष्टव्य है की भारत युद्धग्रस्त सीरिया (117) और इराक (128) से भी काफी पीछे है।

5.3. केरल में फैट टैक्स

(SC Sets Deadline for Blocking Online Sex Selection Ads)

केरल ने ब्रांडेड रेस्टोरेंटस द्वारा बेचे जाने वाले जंक फ़ूड आइटम जैसे पिज़्ज़ा एवं बर्गर पर 14.5% फैट टैक्स लागू किया है|

फैट टैक्स **क्यों**?

इस कर का लक्ष्य लोगो को खाद्य चयन के प्रति और अधिक सचेत करना है एवं मोटापे को रोकना है| राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार पंजाब के बाद केरल में ही सर्वाधिक लोग मोटापे से पीड़ित है|

5.4 वैश्विक पोषण रिपोर्ट

(Global Nutrition Report)

India Rankings

- 38.7% Stunting (वृद्धि अवरुद्धता) के मामलों के साथ भारत 132 देशों की सूची में 114 वें स्थान पर है।
- Wasting (बल और पेशियों का क्रमिक रूप से कमजोर होना) (15.1 %) की दृष्टि से भारत 130 देशों की सूची में 120वें स्थान पर है,
- प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता (48.1 %) की दृष्टि से भारत 185 देशों की सूची में 170वें स्थान पर है।

मुख्य बिन्दु

- पिछले दशक की तुलना में हाल के 10 वर्षों में भारत में Stunting की कमी की दर दोगुनी हो गई है। ध्यातव्य है कि भारत में दुनिया के एक तिहाई से अधिक stunted (वृद्धि अवरुद्ध) बच्चे रहते हैं।
- भारत को लोगों में वजन वृद्धि की बढ़ती दर पर और विशेष रूप से मधुमेह पर ध्यान देना चाहिए।

केवल छह भारतीय राज्यों में एक स्वतंत्र राज्य पोषण मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है, उनमें से केवल दो राज्यों में पोषण परिणामों में सुधार के लिए स्पष्ट और समयबद्ध लक्ष्य का निर्धारण किया गया है।

- पोषण मिशन के लक्ष्यों के पूर्ण नहीं हो पाने का एक कारण यह है कि वे आम तौर पर राज्य के स्वास्थ्य विभाग या महिला एवं बाल विकास विभाग तक ही सीमित रह जाते हैं। जबकि अन्य विभागों के तहत आने वाले ऐसे मामलों को उक्त मिशन/योजना में शामिल नहीं किया जाता है।
- इसलिए, बहु-क्षेत्रक मिशन या एजेंसियों की जरूरत है जो स्पष्ट रूप से परिभाषित और निर्धारित लक्ष्यों के क्रियान्वयन की सभी क्षेत्रों में निगरानी कर सकें।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रमुख तथ्य :

- वैश्विक पोषण रिपोर्ट दुनिया में पोषण की स्थिति की एक स्वतंत्र और व्यापक वार्षिक समीक्षा है।
- यह एक बहुपक्षीय पहल है जो अंतर-सरकारी पोषण लक्ष्यों को पूरा करने में हमारी सफलताओं और असफलताओं के लिए एक दर्पण का कार्य करती है।
- यह वैश्विक मंच पर की गई प्रतिबद्धताओं के संबंध में हुई प्रगति का दस्तावेज तैयार करती है और प्रगति में तेजी लाने के लिए कार्रवाई की सिफारिश करती है।
- इस वर्ष की रिपोर्ट SMART प्रतिबद्धताओं के निर्धारण और संबंधित प्रगति के मापन पर केन्द्रित है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट 2030 तक अपने सभी रूपों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदमों की पहचान पर भी आधारित है।

5.5. पोटैशियम ब्रोमेट

(Potassium Bromate)

- सरकार ने पोटैशियम ब्रोमेट को खाद्य योगज के रूप में उपयोग किये जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने अपने एक अध्ययन में पाया था कि इसका ब्रेड में उपयोग कैंसरकारक है।
- जहाँ तक पोटेशियम आयोडेट का संबंध है, इसे एक वैज्ञानिक पैनल को सौंप दिया गया है।
- पोटेशियम आयोडेट का उपयोग भी खाद्य योगज के रूप में किया जाता है और इसे भी कैंसरजन्य माना जा रहा है। इसलिए इसे एक वैज्ञानिक पैनल को सौंपा गया है।
- CSE ने अपने अध्ययन में यह उल्लेख किया है कि पाव और बन्स सहित पूर्व पैक ब्रेड के सामान्य रूप से उपलब्ध 38 प्रकार के ब्रांडों में से 84 प्रतिशत में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट पॉजिटिव तौर पर पाए गए हैं।
- ये दो खाद्य योगज कई देशों में प्रतिबंधित हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए "खतरनाक" श्रेणी के रूप में सूचीबद्ध हैं।

CSE के अनुसार पोटैशियम ब्रोमेट आम तौर पर गुथे हुए आंटे की गुणवत्ता को बढ़ाता है जो बेक्ड उत्पादों को फुलाता है तथा अंतिम रूप से सुन्दर स्वादिष्ट उत्पादों के निर्माण में सहायक होता है। पोटेशियम आयोडेट एक आटा उपचारक एजेंट है।

5.6. दूध में मेलामाइन का पता लगाना

(Detecting melamine in milk)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- दूध में मेंलामाइन का पता लगाने के लिए IISc, बैंगलोर द्वारा एक हैंडहेल्ड डिवाइस विकसित किया गया है। यह डिवाइस प्रक्रिया को अत्यंतसरल , त्वरित और सस्ती बना देता है।

डिवाइस के बारे में

- सामान्य रूप से पाए जाने वाले एक पौधे पार्थेनियम की पत्तियों के सत्त्व का सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रयोग कर इसका पता लगाया जाता है।
- यह सेंसर कच्चे दूध में 0.5 ppm से कम सांद्रता में उपस्थित मेलामाइन का भी पता लगा सकता है।
- इन्फैंट फार्मूले में 1 से अधिक ppm की मेलामाइन सामग्री और अन्य खाद्य पदार्थों में 2.5 ppm से अधिक मेलामाइन को FSSAI के मानकों के अनुसार मिलावट के रूप में देखा जाता है।
- मेलामाइन का पता लगाने से पहले, वसा और प्रोटीन को हटाने के लिए दूध को प्रसंस्कृत किया जाता है क्योंकि वे इसके संसूचन में हस्तक्षेप करते हैं।
- मेलामाइन की अनुपस्थिति में चांदी के नैनोकण लालीयुक्त पीला रंग प्रदर्शित करते हैं, जबकि मेलामाइन की मौजूदगी में यह लगभग बिना रंग के हो जाते हैं।

5.7 डिजिटल इंडिया पुरस्कार (अवार्ड्स) 2016

(Digital India Awards 2016)

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, 2016 की वेब रत्न श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता।
- नवोन्मेषी ई-गवर्नेंस पहलों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
- यह व्यापक वेब उपस्थिति, मात्रा, गुणवत्ता, नवाचार, उपयोगकर्ता की संतुष्टि इत्यादि के मामले में जवाबदेही जैसे मापदंडों के आधार पर दिया जाता है।
- डिजिटल इंडिया पुरस्कारों को पहले वेब रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था जिसे भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के तत्त्वावधान में स्थापित किया गया था।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट UUU ट्राइलॉजी (UUU trilogy) के अनुरूप है, पूर्णतः द्विभाषी है , नेत्रहीन उपयोगकर्ता के लिए यूज़र फ्रेंडली है तथा *गाइडलाइन्स फॉर इंडियन गवर्मेंट वेबसाइट्स* (GIGW) के अनुरूप होने के साथ साथ *कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम* (CMS) के माध्यम से नियमित रूप से अपडेट होने के साथ ही सुरक्षित भी है।

5.8. औषधियों की ऑनलाइन बिक्री का विनियमन

(Regulating Online Sale of Medicines)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- औषधियों की ऑनलाइन बिक्री का परीक्षण करने के लिए औषध परामशदात्री समिति द्वारा गठित उप-समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

औषधि परामर्शदात्री समिति (Drugs Consultative Committee)

- यह औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा गठित सांविधिक निकाय है।
- यह पूरे भारत में इस अधिनियम की एकरूपता पर केंद्र, राज्य सरकारों को सलाह देती है।
- इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं।

5.9. सार्वजनिक स्वास्थ्य विधेयक 2017 का प्रारूप

(Draft Public Health Bill 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य (महामारी, जैव-आतंकवाद और आपदा का निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन) विधेयक, 2017 (Public Health (Prevention, Control and Management of Epidemics, Bio-Terrorism and Disasters) Bill, 2017) का ड्राफ्ट जारी किया है।

उद्देश्य: इस विधेयक का उद्देश्य निम्नलिखित का निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन करना है:

- महामारी;
- आपदाओं से उपजे सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी परिणाम, और
- जैव आतंकवादी घटनाएं या इसके खतरे।

5.10 ऑटिज्म टूल INCLEN और ISAA

(Autism Tools INCLEN and ISAA)

- हाल ही में ऑटिज्म टूल्स पर नेशनल ट्रस्ट द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई। यह टूल्स हैं: *इंटरनेशनल क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी नेटवर्क* (International Clinical Epidemiology Network: INCLEN) और *इंडियन स्केल ऑफ़ असेसमेंट ऑफ़ ऑटिज्म* (Indian Scale of Assessment of Autism: ISAA)।
- इसका आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया था।
- इसका उद्देश्य बाल रोग विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक जैसे स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को मास्टर चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षित करना और उन्हें सशक्त बनाना है।
- ऑटिज्म जीवनपर्यंत रहने वाला एक न्यूरो-डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसका कोई निश्चित इलाज नहीं है। अतः इसके प्रभाव को कम करने के लिए इसकी जल्दी पहचान किये जाने और इस सम्बन्ध में आवश्यक चिकित्सकीय हस्तक्षेप का महत्व बढ़ जाता है।
- **नेशनल ट्रस्ट के बारे में**
- यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत निःशक्त जन (दिव्यांग) सशक्तिकरण विभाग के तहत एक सांविधिक निकाय है।
- यह ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और कई विकलांगताओं से ग्रस्त लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा है।

5.11. विश्व स्वास्थ्य संगठन

(World Health Organization)

5.11.1. वैश्विक टीबी रिपोर्ट

(Global TB report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2016 जारी की गई, जिसमें भारत में टीबी (TB) रोगियों के आंकलन से पता चलता है कि इनकी संख्या में वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट के बारे में

- WHO 1997 से हर वर्ष वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट जारी करता आ रहा है।
- रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य टीबी महामारी के रोकथाम, रोग की पहचान एवं वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्र के स्तर पर रोग के उपचार का व्यापक और अद्यतन मूल्यांकन प्रदान करना है।

सम्बंधित तथ्य

- टीबी का कारण माइकोबैक्टीरियम टीबी जीवाणु है।
- TB के बैक्टीरिया सांस द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी रोगी के खांसने, बात करने, छींकने या थूकने के समय बलगम व थूक की बहुत ही छोटी-छोटी बूंदें हवा में फैल जाती हैं, जिनमें उपस्थित बैक्टीरिया कई घंटों तक हवा में रह सकते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में सांस लेते समय प्रवेश करके रोग पैदा करते हैं।
- जब से एंटीबायोटिक दवाओं का टीबी के इलाज में इस्तेमाल किया जाने लगा है, कुछ स्ट्रेंस (strains) ड्रग रेसिस्टेंट हो गए हैं।
- जब एक एंटीबायोटिक सभी लक्षित जीवाणुओं को समाप्त करने में असफल होती है एवं जीवित बैक्टीरिया एक ही समय में किसी खास एंटीबायोटिक और दूसरों के खिलाफ प्रतिरोध उत्पन्न कर लेता है तब मल्टीड्रग रेसिस्टेंट टीबी (MDR-TB) उत्पन्न होता है।

5.11.2 भारत में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या पर W.H.O. की रिपोर्ट

(WHO Report on the Health Workforce in India)

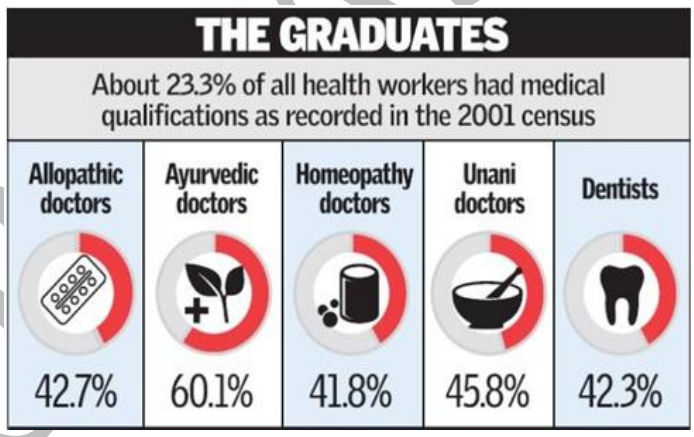

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में, WHO ने 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत के स्वास्थ्य कार्यबल की स्थिति पर **'भारत में स्वास्थ्य कार्यबल' (द हेल्थ वर्कफ़ोर्स इन इंडिया)** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- वर्ष 2001 में 1.02 अरब की आबादी के लिए, भारत में सिर्फ 20 लाख स्वास्थ्य कर्मी थे।
- कुल डॉक्टरों में, 77.2% एलोपैथिक और 22.8% आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या यूनानी (आयुष) डॉक्टर थे।
- 57% चिकित्सकों के पास कोई भी चिकित्सा योग्यता नहीं थी ।
- एलोपैथिक डॉक्टरों में से लगभग एक तिहाई डॉक्टर कक्षा 12 तक ही शिक्षित थे।
- 67.1% नर्स और दाईयां केवल माध्यमिक विद्यालय स्तर तक शिक्षित थीं।
- यह पाया गया कि केवल 18.8% स्वास्थ्य कर्मियों के पास ही चिकित्सा योग्यता थी।
- सभी स्वास्थ्य कर्मियों में से 59.2% शहरी क्षेत्रों (जहाँ भारत की केवल 27.8% आबादी निवास करती है) में कार्यरत थे और केवल 40.8% ग्रामीण क्षेत्रों (जहाँ शेष 72.2% आबादी निवास करती है) में कार्यरत थे।

5.11.3. भारत को MNTE और याज-मुक्त देश का दर्जा प्राप्त

(MNTE & Yaws-Free Status to India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत आधिकारिक तौर पर याज-मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में भारत ने WHO और यूनीसेफ से याज (YAWS) मुक्त होने का आधिकारिक प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया है। भारत ने WHO के वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2020 से पहले ही याज-मुक्त देश का दर्जा प्राप्त कर लिया है जो एक बड़ी उपलब्धि है।

याज क्या है?

- याज मुख्य रूप से त्वचा, हड्डी और उपास्थि को प्रभावित करने वाला एक दीर्घकालिक संक्रमण (chronic infection) है।
- यह रोग मुख्य रूप से गर्म, नम एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले गरीब समुदायों में होता है।

- यह मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है।
- यह **Treponema pallidumm** जीवाणु के कारण होता है और त्वचा से संपर्क के माध्यम से संचारित होता है।
- याज भीड़-भाड़ वाले समुदायों में होता है, जहाँ स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ जल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं तक सीमित पहुँच होती है।

MNTE (Maternal and Neonatal Tetanus Elimination) क्या है?

- प्रसव के दौरान अस्वच्छता की स्थिति और अपर्याप्त गर्भनाल देखभाल माता और बच्चे में बीमारी के प्रमुख कारण हैं। यह क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी (Clostridium Tetani) जीवाणु के कारण होता है।
- लाक्जॉ (lockjaw), मांसपेशियों में ऐंठन, बुखार, तेज हृदय गति, पसीना आना और उच्च रक्तचाप आदि इसके लक्षण हैं।
- टीकाकरण तथा गुणवत्तापूर्ण मातृ और नवजात शिशु देखभाल को बढ़ाना, बीमारी के उन्मूलन हेतु महत्वपूर्ण हैं।

5.11.4. WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO FCTC)

(WHO Framework Convention on Tobacco Control: WHO FCTC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल के कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज के सातवें सत्र अर्थात् CoP7 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।

WHO FCTC के बारे में

- WHO FCTC एक साक्ष्य-आधारित संधि है, जो स्वास्थ्य के सर्वोच्च मानक तक सभी लोगों के अधिकार की पुष्टि करता है।
- WHO FCTC को तम्बाकू महामारी के वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया स्वरुप विकसित किया गया था।

5.12. तंबाकू पर सचित्र चेतावनी

(Pictorial Warnings on Tobacco)

- भारत तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर 85 फीसदी सचित्र चेतावनी के कार्यान्वयन के संदर्भ में विश्व स्तर पर 205 देशों में तीसरे स्थान पर है।
- शीर्ष दो देशों में नेपाल और वानुआतू हैं।
- भारत ने सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर 85 फीसदी सचित्र चेतावनी लागू कर वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया है।

5.13. दवाओं तक पहुँच पर संयुक्त राष्ट्र के उच्चस्तरीय पैनल की रिपोर्ट

(United Nations High Panel Report on Access to Medicines)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र ने ऊंची कीमतों के कारण दवाओं तक पहुँच न होने पर चिंता जताते हुए दवाओं के उपयोग पर अपने उच्च स्तरीय पैनल की रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- रिपोर्ट में सरकारों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाने का आग्रह किया गया है:
  - ✓ स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी नवाचार में निवेश के अपने वर्तमान स्तर में "अविलंब" वृद्धि करना।
  - ✓ अनुसंधान एवं विकास लागत से दवाओं की कीमतों को डी-लिंक (असंबद्ध) करना।
  - ✓ इबोला और ज़िका जैसे संक्रामक रोगों की उपचार संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। इन रोगों के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र इन पर अनुसंधान को वैश्विक स्तर पर प्राथमिकता प्रदान करना।
- पैनल ने दवा की कीमतों को उपभोक्ताओं और सरकारों दोनों के लिए पारदर्शी बनाने की सिफारिश की है।
- रिपोर्ट मानव अधिकारों को बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) पर वरीयता दिए जाने की सिफारिश करती है, ताकि सभी देश सस्ती दवाओं का उपयोग करने के TRIPS के तहत प्रदान किए गए लचीलेपन का उपयोग करने में सक्षम हो सकें।

- रिपोर्ट में TRIPS के इस लचीले प्रावधान के तहत दवा पेटेंट के उल्लंघन के संदर्भ में कमजोर देशों को धमकी देने के लिए शक्तिशाली देशों की आलोचना की गई है।

5.14. भारत बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित

(India Declared Free from Bird Flu)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत ने स्वयं को अत्यधिक संक्रामक एवियन इन्फ्लूएंजा अथवा बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया है।
- बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) इन्फ्लूएंजा वायरस के स्ट्रेंस (strains) के कारण होने वाली एक बीमारी है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करती है।

कारण

- बर्ड फ्लू, इन्फ्लूएंजा वायरस के स्ट्रेंस के कारण होता है, जिन्होंने एवियन कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए विशेष रूप से अनुकूलन विकसित कर लिया है। इन्फ्लूएंजा के तीन मुख्य प्रकार हैं: A, B, और C।
- वह वायरस जो बर्ड फ्लू का कारण बनता है इन्फ्लूएंजा A टाइप है जिसमें आठ RNA स्ट्रैंड हैं जो इसके जीनोम का निर्माण करते हैं।
- इन्फ्लुएंजा वायरस को वायरस की सतह के दो प्रोटीनों का विश्लेषण करके पुनः वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें प्रोटीन hemagglutinin (H) और प्रोटीन neuraminidase (N) कहा जाता है।
- hemagglutinin और neuraminidase प्रोटीन भी कई अलग-अलग प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में पाए गए रोग जनक बर्ड फ्लू वायरस में टाइप 5 hemagglutinin और टाइप 1 neuraminidase था। इस प्रकार, इसका नामकरण "H5N1" इन्फ्लूएंजा A वायरस किया गया।

5.15. बढ़ते हेपेटाइटिस के विरुद्ध भारत की लड़ाई

(India's Fight Against Growing Hepatitis)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम ने 2013 में तीव्र वायरल हैपेटाइटिस के 2,90,000 मामलों की अधिसूचना प्राप्त की थी।
- हेपेटाइटिस, वायरस A, B, C, D और E की वजह से यकृत में होने वाली सूजन/जलन है। ये वायरस संचरण के प्रमुख माध्यम जैसे जल या रक्त के आधार पर पहचाने जा सकते हैं और यह अपने एपिडीमीआलजी (महामारी विज्ञान), प्रस्तुति, रोकथाम और नियंत्रण में महत्वपूर्ण असमानता प्रदर्शित करते हैं।

महत्वपूर्ण विशेषताएं

- हैपेटाइटिस के नए मामलों को उत्पन्न होने से रोकने के लिए सिरिंज सुरक्षा को बढ़ाना।
- नाई की दुकानों में रोगाणुहीन उस्तरे का प्रयोग, पेडीक्योर और मैनीक्योर के लिए नए उपकरणों का उपयोग और रोगियों के लिए डिस्पोजेबल सीरिंज के उपयोग पर जागरूकता अभियान।
- सरकार, राजनेता, मीडिया और विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों की भागीदारी।
- मिस्र ने अपना पहला हेपेटाइटिस सर्वेक्षण 1996 में किया और नवीनतम 2015 में। भारत द्वारा अभी तक इस तरह का सर्वेक्षण किया जाना शेष है।
- मिस्र ने नए संक्रमण को रोकने के लिए अब जन्म-खुराक (birth-dose) नीति प्रारंभ की है।

5.16. खाद्य विनियमन

(Food Regulations)

5.16.1. खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण (फोर्टीफिकेशन) पर प्रारूप विनियम

(Draft Regulations on Fortification of Foods)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ के लिए खाद्य पदार्थों में फूड फोर्टीफिकेशन (खाद्य सुदृढ़ीकरण) की अनुमति देने के लिए मसौदा विनियमों को जारी किया है।

फूड फोर्टीफिकेशन

- यह चावल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों की पोषण सामग्री में सुधार करने के लिए उनमें लोहा, आयोडीन, जिंक, विटामिन A, D जैसे विटामिन और खनिजों का संयोजन है।
- ये पोषक तत्व प्रसंस्करण से पहले खाद्य पदार्थों में मूल रूप से उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
- इससे सूक्ष्म पोषक तत्वों (विटामिन और खनिज) की कमी को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।
- इससे न तो वर्तमान खाद्य पैटर्न, आदतों में परिवर्तन आता है, न ही व्यक्तिगत अनुपालन में।

FSSAI

- FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार सांविधिक निकाय है।
- FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है।
- इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित सभी विषयों के लिए संदर्भ बिंदु की स्थापना करना है।

बायो-फोर्टीफिकेशन

- बायो-फोर्टीफिकेशन से कृषि पद्धतियों, पारंपरिक पादप प्रजनन, या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य फसलों की पोषणात्मक गुणवत्ता में सुधार आता है।
- पारंपरिक फोर्टीफिकेशन में फसल प्रसंस्करण के दौरान मैनुअल साधनों से फसल में पोषक तत्वों का स्तर बढ़ाया जाता है जबकि इसके विपरीत बायो-फोर्टीफिकेशन पादप वृद्धि के चरण के दौरान ही फसलों में पोषक तत्वों का स्तर बढ़ा देता है।

इस विनियम का महत्व

- यह विनियम खाद्य पदार्थों के फोर्टीफिकेशन को बढ़ाने में FSSAI की विशिष्ट भूमिका के लिए प्रावधान करता है।
- यह वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार स्वास्थ्य गंभीरता के आधार पर खाद्य पदार्थों का फोर्टीफिकेशन अनिवार्य बनाने की अनुमति देता है।
- पहली बार फोर्टीफिकेशन के लिए एक लोगो होगा जिससे उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी ।
- यह प्रच्छन्न भूख (hidden hunger) अर्थात मानव शरीर में महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों के अभाव की समस्या हल करने में सहायता करेगा।
- यह खाद्य सुरक्षा के स्थान पर पोषणात्मक सुरक्षा (nutritional security) प्राप्त करने की दिशा में ध्यान केंद्रित करता है।

5.16.2. खाद्य कानूनों पर विधि आयोग की अनुशंसाएं

(Law Commission Recommendation on Food Laws)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अपनी 264वीं रिपोर्ट में भारतीय विधि आयोग ने ऐसे व्यापारियों, कारोबारियों और दुकानदारों के लिए आजीवन कारावास की अनुशंसा की है जो अपने ग्राहकों को जानबूझकर मिलावटी या "हानिकारक" खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री करके उनकी मृत्यु के दोषी पाए जाते हैं।

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण

- भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 272 और 273 के तहत खाद्य अपमिश्रण के लिए दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं।
- खाद्य अधिनियम अधिकतम आजीवन कारावास के दण्ड का प्रावधान करता है।
- खाद्य अधिनियम की तुलना में, भारतीय दंड संहिता अधिकतम 6 महीने की कैद या एक हजार रुपए के जुर्माने या दोनों का प्रावधान करती है।
- उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य दण्ड को बढ़ाकर आजीवन कारावास करने और साथ ही जुर्माना भी बढ़ाने के लिए IPC में संशोधन हेतु कानून लेकर आए हैं।

वर्तमान कानूनी ढांचा

- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (खाद्य अधिनियम) पिछले सभी खाद्य कानूनों का समेकन करने के लिए लाया गया था, इस प्रकार यह खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित सभी विषयों के लिए एकल संदर्भ बिंदु का निर्माण करता है।

- यह एक स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकरण - खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (खाद्य प्राधिकरण) की स्थापना करता है, जिसके निम्नलिखित कार्य हैं-

✓ खाद्य सामग्रियों के लिए वैज्ञानिक मानक निर्धारित करना।

✓ मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करना।

विधि आयोग की अनुशंसाएं

- IPC की धारा 272 और 273 के दंडात्मक ढांचे में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि इसे खाद्य अधिनियम और राज्यों द्वारा IPC में लाए गए संशोधनों में उल्लिखित वर्तमान दंड योजना के अनुरूप बनाया जा सके।
- मिलावटी खाद्य और पेय पदार्थ के उपभोग के कारण उपभोक्ता को हुई हानि के अनुपात में दण्ड निर्धारित किया जाना चाहिए।
- खाद्य अपमिश्रण के कारण मृत्यु के प्रकरण में अधिकतम दण्ड के रूप में आजीवन कारावास का प्रावधान करने हेतु IPC में संशोधन किया जाना चाहिए।

5.16.3. स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र

(Swacch Swasth Sarvatra)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- यह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है।
- इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित दो योजनाओं की उपलब्धियों को प्रकट करना तथा उनको और आगे बढ़ाना है।

✓ पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का **स्वच्छ भारत मिशन।**

✓ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय का **कायाकल्प मिशन।**

- इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में एक और संयुक्त पहल **स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत** का भी आरम्भ किया गया है।

विशेषताएँ:

- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 700 ब्लॉक्स को **खुले में शौच से मुक्त (Open Defecation Free:ODF)** घोषित कर दिया है। देश के **ODF** ब्लॉक्स के **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (Community Health Centres:CHCs)** को सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए दस लाख रूपये प्राप्त होंगे।
- **कायाकल्प** के अंतर्गत, प्रत्येक जिले में सफाई और स्वच्छता सहित सभी गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले एक **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (Primary Health Centre:PHCs)** को पुरस्कृत किया जायेगा।
- जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले PHC को पुरस्कृत किया जायेगा उसका उल्लेख किया जायेगा और उसे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ODF बनाया जायेगा।

5.16.4. कोरोनरी स्टेंट की कीमत की अधिकतम सीमा निश्चित की गयी

(Coronary Stent Price Capped)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority-NPPA) ने कोरोनरी स्टेंट की अधिकतम कीमत उसकी वर्तमान बजार दर से 40 प्रतिशत कम निश्चित की है।
- यह भारत में बेची जाने वाले सभी स्टेंट के लिए मान्य है - चाहे वे घरेलू हों या आयातित।

स्टेंट क्या है?

- यह नलिका के आकार की युक्ति है। इसे अवरुद्ध रक्त वाहिका में डाला जाता है।
- यह रक्तवाहिनी में अवरोध को दूर करने में सहायता करता है। अवरोध हटाने के लिए कभी-कभी इसका उपयोग बिना दवा के किया जाता है (Bare Metal stent), लेकिन प्रायः इसके माध्यम से अवरुद्ध रक्तवाहिनी में धीमी दर से दवा डिलीवरी करके अवरोध को हटाया जाता है (Drug eluting stents)।
- स्टेंट जितना अधिक पतला होता है इसे उतना ही परिष्कृत और मंहगा माना जाता है।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- 2016 में, कोरोनरी स्टेन्ट को आवश्यक औषिधियों की राष्ट्रीय सूची (2015) में सम्मिलित किया गया था।
- आगे चलकर औषध विभाग (Department of Pharmaceuticals) ने इसे 'अनुसूचित फॉर्मूलेशन (scheduled formulation)' बनाते हुए कोरोनरी स्टेन्ट को औषधि कीमत नियंत्रण आदेश, 2013 की अनुसूची I में सम्मिलित कर दिया।

आवश्यक औषिधियों की राष्ट्रीय सूची (NLEM)

- WHO के अनुसार, जनसंख्या की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आश्यकताएं पूरी करने वाली औषिधियां आवश्यक औषिधियां हैं।
- NLEM 2015 में 376 औषधियां सम्मिलित हैं।
- इस सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु मानदंडों में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति, लागत प्रभावी औषधि आदि सम्मिलित हैं।
- स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित कोर कमेटी NLEM में सम्मिलित औषधियों की समीक्षा और संशोधन करती है।

मूल्य सीमा की आवश्यकता

- वर्तमान में भारतीयों द्वारा स्वास्थ्य पर किए जाने वाले उच्च व्यय का लगभग दो-तिहाई औषधियों पर खर्च होता है।
- लैंसेंट अनुसंधान से चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के तर्कहीन उपयोग में वृद्धि का पता चला है। इसमें हृदय संबंधी स्टेंट और घुटने का प्रत्यारोपण सम्मिलित है।
- भारतीय स्टेंट बाजार लगभग 500 मिलियन डॉलर का है। उच्च रक्तचाप और मधुमेह की घटनाओं में वृद्धि के कारण इसमें आगे वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है।
- भारत में कोरोनरी धमनी का रोग बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन रहा है। इसलिए यह कीमत नियंत्रण के अंतर्गत लाया जाने वाला पहला चिकित्सकीय उपकरण बन गया है।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति 2012

- किसी भी वस्तु की कीमत की सीमा निर्धारित करने के लिए मानदंड की गणना उस विशिष्ट उत्पाद के उन सभी ब्रांडों के साधारण औसत के रूप में की जाती है, जिनकी कम से कम 1 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी होती है।

इस आदेश का महत्व

- इस आदेश से स्टेन्ट जैसे चिकित्सीय उपकरणों की कीमतों में होने वाले 'अनैतिक मार्कअप' में कमी आएगी। इससे स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं अधिक सस्ती होंगी।
- NPPA की रिपोर्ट से पता चला है कि तर्कहीन तरीके से चिकित्सा उपकरणों की कीमतें बढ़ाकर 'अनैतिक मुनाफाखोरी' की जाती थी। इस आदेश से इस व्यवहार पर अंकुश लगेगा।
- यदि निगरानी पर्याप्त नहीं होगी तो स्टेंट के गुणवत्ता स्तर में गिरावट आ सकती है।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

- यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषध विभाग के अंतर्गत स्वतंत्र निकाय है।
- इसके कार्य हैं:
- नियंत्रित थोक औषधियों की कीमतें और फॉर्मूलेशन को नियत / संशोधित करना।
- औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995/2013 के अंतर्गत औषधियों की कीमतें और उपलब्धता प्रवर्तित करना।
- नियंत्रित औषधियों के लिए निर्माता द्वारा उपभोक्ताओं से वसूली गई अधिक राशि को वापस प्राप्त करना।
- विनियंत्रित औषधियों की कीमतों को उचित स्तर पर बनाये रखने के लिए उनकी कीमतों की निगरानी करना।

5.16.5. भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (ASCI)

[Advertising Standards Council of India (ASCI)]

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (ASCI) तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मध्य एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुआ। यह समझौता ज्ञापन वस्तुतः खाद्य तथा पेय पदार्थों के क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की जाँच से संबंधित है।

समझौता ज्ञापन (MoU) के मुख्य बिंदु

- MoU के तहत ASCI को FSSAI द्वारा स्वतः (*suo moto*) जांच के लिए अधिदेश प्रदान किया गया है, ताकि वह FSSAI से प्राप्त शिकायतों के साथ-साथ खाद्य व पेय पदार्थों के भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में मिली शिकायतों के संबंध में कार्यवाही कर सके।
- यह भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक कानून, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों का भी निरीक्षण करेगा, साथ ही भ्रामक तथा अप्रमाणित या गलत दावे करने वाले विज्ञापनों का भी विनियमन करेगा।
- ASCI भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक क़ानून, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन ना होने की स्थिति में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

ASCI के बारे में

- विज्ञापन के क्षेत्र में ASCI नामक स्व-नियामक संस्था का गठन 1985 में किया गया था।
- विज्ञापन उद्योग के तीन प्रमुख घटकों विज्ञापन दाता, विज्ञापन एजेंसियों तथा मीडिया ने संयुक्त रूप से इस स्वतंत्र गैर सरकारी संस्था का गठन किया।
- इस संस्था का प्रमुख लक्ष्य विज्ञापनों के प्रति आम लोगों के विश्वास को बनाये रखना तथा उसे और अधिक बढ़ाना है। ASCI के अधिदेश के अंतर्गत इसे यह सुनिश्चित करना है कि समस्त विज्ञापन सामग्री सत्यपरक, कानूनी रूप से मान्य तथा अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार हो व भ्रामक ना हो। इसके अलावा यह संस्था यह भी सुनिश्चित करती है कि विज्ञापन मर्यादित हो, महिलाओं को वस्तुपरक नजरिये से प्रस्तुत ना करता हो तथा उपभोक्ताओं विशेषत: बच्चों के लिए उपयुक्त हो व इसके साथ ही अपने प्रतिद्वन्दी के प्रति भी उदार हो।
- यह संस्था किसी विज्ञापन के विरुद्ध की गई किसी भी प्रकार की शिकायत को ASCI के मानकों तथा अन्य कानूनों के प्रकाश में विचार करती है।

5.17. रोग

(Diseases)

5.17.1. कुष्ठ रोग

(Leprosy)

कुष्ठ रोग क्या है?

- कुष्ठ रोग को हैनसेन बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। यह *मायकोबैक्टेरियम लेप्रा (Mycobacterium leprae)* के कारण होने वाला एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है।
- यह रोग मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय नसों, ऊपरी श्वसन तंत्र की श्लेष्मिक सतहों और आँखों को प्रभावित करता है।
- कुष्ठ रोग आरंभिक शिशु अवस्था से लेकर अति वृद्ध अवस्था तक किसी भी उम्र में हो सकता है। इसे ठीक किया जा सकता है और आरंभ में ही इलाज करने से अधिकांश विकलांगताओं को रोका जा सकता है।
- कुष्ठ रोग के प्रसार या संक्रमण का सटीक तरीका या क्रियाविधि ज्ञात नहीं है। कम से कम अभी हाल तक, काफी हद तक यही माना जाता था कि यह रोग, कुष्ठ रोग के रोगियों और स्वस्थ लोगों के बीच संपर्क के द्वारा प्रसारित या संचारित होता है।

NLEP में स्थापित किए गए कीर्तिमान

- 1955 - राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Leprosy Control Programme) आरंभ किया गया।
- 1983 - राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (National Leprosy Eradication Programme) शुरू किया गया
- 1983 – चरणबद्ध रूप से बहु-औषधि चिकित्सा (Multidrug therapy) आरंभ
- 2005 - राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग की समाप्ति

हाल ही में उठाए गए कदम

- **कुष्ठ रोग के मामलों की पहचान संबंधी अभियान -**

✓ राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत 19 राज्यों के 149 जिलों को कवर किया गया और लगभग 3,00,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया गया।

VISION IAS

- ✓ घर-घर जाकर कुष्ठ रोग का पता लगाने के अभियान में लगभग 320 मिलियन भारतीयों की जांच की गई जिससे हजारों "छिपे" मामलों पर से पर्दा उठा।
- ✓ इसमें मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा) परियोजना के स्वयंसेवक शामिल हुए।

- **भारत-में-निर्मित कुष्ठ रोग के टीके का शुभारंभ -**

- ✓ भारत में विकसित, एक नया टीका बिहार और गुजरात के पांच जिलों में प्रायोगिक आधार पर आरंभ किया जाएगा।
- ✓ यदि इससे सकारात्मक परिणाम मिलता है तो कुष्ठ रोग टीका कार्यक्रम को अन्य अति प्रभावित जिलों में भी चलाया जाएगा।

कुष्ठ रोग को समाप्त करने हेतु WHO की वैश्विक रणनीति -

- इस रणनीति का लक्ष्य, 2020 तक कुष्ठ रोग और संबंधित शारीरिक विकृतियों से ग्रसित बच्चों की संख्या को घटाकर शून्य करना है; दृष्टि सम्बन्धी विकृतियों वाले नए कुष्ठ रोग के रोगियों की दर को कम करके एक प्रति मिलियन से भी कम दर पर लाना है; और यह सुनिश्चित करना है कि कुष्ठ रोग के आधार पर भेदभाव करने वाले सभी क़ानून समाप्त हो जाएँ।
- नई वैश्विक रणनीति, कार्रवाई आरंभ करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और समावेशन को बढ़ावा देने के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हैं।

5.17.2. पोलियो की पुनरावृति

(Recurrence of Polio)

- सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के निकट मल के एक नमूने से पोलियो के लक्षण सामने आने के बाद तेलंगाना राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा।
- इस नमूने में टाइप-2 वैक्सीन द्वारा उत्पन्न पोलियो विषाणु (vaccine derived polio virus: VDVP) की उपस्थिति मिली है, जिसमें 10 न्यूक्लोटाइड परिवर्तित हुए हैं।
- यदि 'ओरल पोलियो वैक्सीन' (OPV) में प्रयुक्त क्षीण टाईप-2 विषाणु को लगातार गुणित होने दिया जाए तो उत्परिवर्तन लक्षित हो सकते हैं।
- यदि न्यूक्लोटाइड में छः या उससे अधिक परिवर्तन घटित हों तब इसे VDVP कहा जाता है।
- VDVP अत्यंत दुर्लभ है तथा यह रोग प्रतिरक्षा की कमी वाले बच्चों तथा प्रतिरोधकता के कम स्तर वाली आबादी में पाया जाता है।

टीकाकरण के लिए व्यापक अभियान

- हालाँकि राज्य में अभी एक भी पोलियो से संबंधित मामला प्रकाश में नहीं आया है, फिर भी एहतियात के तौर पर जल्द ही राज्य भर में टीकाकरण के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इस टीकाकरण अभियान के तहत IPV (Inactivated Polio Vaccine) का प्रयोग किया जाएगा।
- भारत में अभी तक प्रयुक्त हो रहे त्रिसंयोजी (Trivalent) OPV (मुख द्वारा पिलाई जाने वाली पोलियो दवा) में जीवित लेकिन असक्रिय टाइप-1, 2 और 3 प्रकार के विषाणु मौजूद रहते हैं।
- अंततोगत्वा भारत में द्विसंयोजी पोलियो दवा का प्रयोग किया जाने लगा है, इसमें टाइप -2 के विषाणु को हटा दिया गया है क्योंकि इससे पोलियो की खुराक से जनित पोलियो के मामले सामने आने की सम्भावना रहती थी।
- इसके साथ ही इंजेक्शन के माध्यम से भी पोलियो का टीका लगाया जा रहा है, जिसमें तीनों प्रकार के विषाणु निर्जीव अवस्था में मौजूद रहते हैं।
- IPV ऊष्मा से मारे गए विषाणु (heat-killed virus) से बनाया जाता है। यह किसी भी परिस्थिति में रोग उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि इसमें पैथोजन जीवित नहीं रहता है।

5.17.3 स्क्रब टाइफस

(Scrub Typhus)

- हिमाचल प्रदेश में स्क्रब ट्राइफस और इसके कारण मृत्यु के विभिन्न मामले देखे जा रहे हैं।
- स्क्रब टाइफस एक जीवाणु Orintia Tsutsugamushi के कारण होता है, जो झाड़ियों वाली वनस्पति (scrub vegetation) युक्त मिट्टी में मौजूद संक्रमित माइट लार्वा के काटने से फैलता है।
- रोग के लक्षणों में बुखार, प्राथमिक घाव (primary lesion), धब्बेदार लाल चकत्ते, और लिम्फाडेनोपैथी (lymphadenopathy) शामिल हैं।
- हिमाचल प्रदेश बड़ी मात्रा में झाड़ियों वाली वनस्पति (scrub vegetation) के लिए एक स्थानिक क्षेत्र है।

5.17.4. ब्रेन डेड के लिए मानदंड

VISION IAS

(Norms for Brain Death)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (The National Organ and Tissue Transplant Organization: NOTTO) ने पूरे देश में ब्रेन डेड प्रमाणन पर एकसमान दिशा-निर्देश तैयार करना आरंभ कर दिया है।

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन

- NOTTO एक **नोडल एजेंसी** है। यह अंग दान और **प्रत्यारोपण से जुड़े नीतिगत दिशा-निर्देश और प्रोटोकॉल तैयार करती है।**
- स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन इसकी स्थापना की गई है।
- इसमें निम्नलिखित दो प्रभाग हैं:
- राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक निष्कासन और भंडारण नेटवर्क (National Human Organ and Tissue Removal and Storage Network)
- राष्ट्रीय जैवसामग्री केंद्र (National Biomaterial Centre)

5.17.5. युवतियों में हिस्टरेक्टमी के बढ़ते मामले: सर्वेक्षण

(Hysterectomy among Young Women: Survey)

- हैदराबाद स्थित एक NGO ने मेडक जिले के कोवाडीपल्ली मंडल में घर-घर जाकर एक सर्वेक्षण किया, इस सर्वेक्षण में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कोवाडीपल्ली मंडल के गांवों में हिस्टरेक्टमी के कुल 728 मामले सामने आए।
- युवा महिलाओं के सम्बन्ध में भी हिस्टरेक्टमी के कई मामले प्रकाश में आये।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 ने पहली बार हिस्टरेक्टमी को अपने सर्वेक्षण में शामिल किया है। जिसके आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं किए गए हैं।

हिस्टरेक्टमी क्या है?

हिस्टरेक्टमी एक महिला के गर्भाशय को हटाने के लिए किया जाने वाला ऑपरेशन है जो अलग-अलग कारणों से किया जाता है, जिनमें आम तौर पर शामिल हैं:

- गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, या अंडाशय का कैंसर
- गर्भकला-अस्थानता (एन्डोमीट्रीओसिस)
- योनि से असामान्य रक्तस्राव
- पेल्विक में स्थायी दर्द
- ग्रंथिपेश्यर्बुदता (adenomyosis) या गर्भाशय का अधिक मोटा होना

गैर-कैंसर कारणों की वजह से हिस्टरेक्टमी केवल तभी किया जाता है जबकि आमतौर पर इलाज के अन्य सभी तरीके असफल हो गए हों।

5.17.6. खुर-पका और मुंह-पका रोग (FMD)

(Foot & Mouth Disease: FMD)

कृषि मंत्रालय ने अगले कुछ वर्षों में 'खुरपका-मुंहपका रोग मुक्त भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 'खुरपका-मुंहपका रोग' नियंत्रण के लिए 100.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

पृष्ठभूमि

- खुरपका-मुंहपका रोग (फूट एंड मौत डिजीज: FMD) सभी अतिसंवेदनशील खुर वाले जानवरों को प्रभावित करने वाले आर्थिक रूप से विनाशकारी तथा सर्वाधिक संक्रामक वायरल पशु रोगों में से एक है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अनुमान के अनुसार, इससे दूध और मांस उद्योग को प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष नुकसान होता है।
- खुरपका-मुंहपका रोग के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए, **10 वीं पंचवर्षीय** योजना से 'खुरपका-मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (FMD-CP)' का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

VISION IAS

5.18. सरकारी योजनाएं/पहल

(Governemnt Schemes/initiatives)

5.18.1. 'मेरा अस्पताल' पहल

(My Hospital/Mera Aspatal Initiative)

- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में हुए अनुभव की गुणवत्ता पर रोगियों की राय मांग कर रोगियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा **"मेरा अस्पताल/माइ हॉस्पिटल"** पहल शुरू की गई है।
- ICT आधारित मरीजों की संतुष्टि स्तर को दर्शाने वाली प्रणाली (PSS- Patient Satisfaction System) "मेरा अस्पताल" को सार्वजनिक और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में लागू किया जाएगा।
- वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन, SMS और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (IVRS) के माध्यम से मरीजों की प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए एक मल्टी-चैनल पद्धति इस्तेमाल की जायेगी।
- स्वच्छता अभियान के हिस्से के रूप में 'मेरा अस्पताल' तथा कायाकल्प पुरस्कार राज्यों में अपनी सुविधाओं के लिए सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त करने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धी भावना का विकास करेंगे।

5.18.2. राष्ट्रीय ई-स्वास्थ्य प्राधिकरण (NEHA)

(National E-Health Authority)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ई-स्वास्थ्य मानकों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय **ई-स्वास्थ्य (e-Health)** प्राधिकरण के स्थापना की घोषणा की है।

NeHA के विषय में

- यह एक **नोडल प्राधिकरण** होगा जो भारत में एक एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली के विकास के लिए जिम्मेदार होगा। टेली मेडिसिन और mHEALTH भी इस सूचना प्रणाली में सम्मिलित होंगे।
- यह रोगियों के स्वास्थ्य की जानकारी और अभिलेखों की सुरक्षा तथा गोपनीयता से संबंधित **कानूनों और विनियमों को लागू करने के लिए उत्तरदायी** होगा।
- NeHA एक उपयुक्त कानून (संसद के अधिनियम) के माध्यम से स्थापित होगा।
- चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य या न्यायपालिका के क्षेत्र का एक प्रख्यात व्यक्ति इस प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा।

NeHA के कार्य

- विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में **ई-स्वास्थ्य समाधानों को अपनाने के संदर्भ में मार्गदर्शन** करना, ताकि विभिन्न स्तरों पर हेल्थ एंड गवर्नेंस डाटा का अर्थपूर्ण समेकन तथा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्डों (EHR) का भंडारण/आदान-प्रदान लागत-प्रभावी ढंग से किया जा सके।
- स्वास्थ्य सूचना के आदान-प्रदान के ज़रिये विभिन्न स्वास्थ्य आईटी प्रणालियों के एकीकरण को सुगम बनाने हेतु।
- राज्य व्यापी और राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकार्ड स्टोर/विनिमय प्रणाली के क्रमबद्ध विकास की देखरेख करना, जो मरीजों के डाटा की सुरक्षा, गोपनीयता एवं निजता के साथ-साथ उनकी स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करे।
- विभिन्न साधनों के माध्यम से हितधारकों के साथ संलग्न होना ताकि ई-स्वास्थ्य योजनाओं को अपनाया जाए और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के हितधारकों द्वारा अन्य नीतिगत, विनियामक और कानूनी प्रावधान क्रियान्वित किये जाएं।
- स्टेट हेल्थ रिकॉर्ड रिपॉजिटरी और स्वास्थ्य सूचना विनिमय केन्द्रों की स्थापना को बढ़ावा देना।
- कानून में मरीजों के EHR की गोपनीयता से संबंधित मुद्दों का समाधान करने हेतु।

5.18.3. मिशन परिवार विकास

(Mission Parivar Vikas)

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने परिवार नियोजन सेवाओं में सुधार के लिए 'मिशन परिवार विकास' की शुरूआत की है।
- इसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम के उच्च प्राथमिकता वाले 145 जिलों में शुरू किया गया है।

VISION IAS

- **लक्ष्य:** अधिकार-आधारित ढांचे के भीतर आपूर्ति, विश्वसनीय सेवाओं और जानकारी पर आधारित उच्च गुणवत्ता वाले परिवार नियोजन विकल्पों के प्रयोग में तेजी लाना।

इन जिलों को क्यों चुना गया?

इन 145 जिलों की निम्न आधार पर पहचान की गई है:

- कुल प्रजनन दर
- 2025 तक 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर के प्रजनन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्काल, विशिष्ट और त्वरित प्रयासों के संबंध में सेवाओं का वितरण

5.18.4 जीवन रेखा: ई-स्वास्थ्य परियोजना

(Jeevan Rekha: E-Health Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **हाल ही में केरल सरकार ने विश्व बैंक** से सहायता प्राप्त **ई-स्वास्थ्य परियोजना**, **जीवन रेखा** आरम्भ की।

परियोजना के संबंध में

- **यह देश में अपने प्रकार की प्रथम पहल है। इसके दो अवयव हैं– सार्वजनिक स्वास्थ्य और हॉस्पिटल ऑटोमेशन मॉड्यूल।**
- **परियोजना का मुख्य उद्देश्य इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर क्लाउड** का निर्माण करना है। इस हेल्थकेयर-क्लाउड में इस राज्य के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप में विद्यमान होंगे।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य घटक, जनसंख्या के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स (EHR) में सुधार की परिकल्पना करता है, जबकि हॉस्पिटल ऑटोमेशन मॉड्यूल सभी सरकारी अस्पतालों के डिजिटलीकरण की परिकल्पना करता है।
- यह प्रणाली हेल्थकेयर सिस्टम में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वत: एक **विशिष्ट पहचान संख्या** प्रदान करेगी एवं उसके हेल्थ रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप में (EHR) सेंट्रल-सर्वर में संग्रहीत करेगी।
- सार्वजनिक रूप से रोगी के हेल्थ रिकॉर्ड्स का प्रकटीकरण न हो, यह सुनिश्चित करने हेतु इसमें गोपनीयता के उपबंध को समाविष्ट किया गया है।

5.18.5. सभी के लिए आरोग्य रक्षा

(Arogya Raksha for All)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आन्ध्र प्रदेश सरकार ने "आरोग्य रक्षा योजना" नामक नई योजना का शुभारम्भ किया है।
- यह उन लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी जो राज्य सरकार की किसी भी वर्तमान स्वास्थ्य योजना में समाविष्ट नहीं हैं।
- अब आन्ध्र प्रदेश, WHO के 'हेल्थ फॉर ऑल' विज़न को सही अर्थों में पूरा करने वाला देश का प्रथम राज्य होने का दावा कर सकता है।

योजना की विशेषतायें

- यह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना है जो निर्धनता रेखा से ऊपर जीवन-यापन (APL) करने वाले परिवारों को प्रदान की जाएगी।
- प्रतिवर्ष 1200 रु. प्रीमियम पर परिवार का प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्राप्त करने में सक्षम होगा। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रस्तावित है।
- विभिन्न सरकारी एवं निजी अस्पतालों को आरंभ से लेकर अंत तक कैशलेस प्रणाली का नियोजन कर द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के अंतर्गत 1044 रोगों के लिए उपचार प्रदान करने हेतु सूत्रबद्ध किया जा रहा है।
- चिकित्सा, मनोविज्ञान, नर्सिंग और गृह-विज्ञान के छात्रों को स्वास्थ्य विद्या वाहिनी योजना के अंतर्गत गांवों का दौरा करने एवं प्रत्येक व्यक्ति की रोग संबंधी प्रोफ़ाइल तैयार करने की आवश्यकता होगी, जिससे अस्पताल उनका बेहतर उपचार कर सकें।

VISION IAS

5.18.6 सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम

(Universal Immunisation Programme:UIP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत सरकार सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के अंतर्गत दो नए वैक्सीन : **खसरा-रूबेला (Measles-Rubella: MR) वैक्सीन एवं न्यूमोकोकल कान्जगेट वैक्सीन (Pneumococcal Conjugate Vaccine: PCV)** की शुरुआत करने जा रही है।
- इसके अतिरिक्त पांच राज्यों में रोटावायरस वैक्सीन को भी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) में सम्मिलित किया जा रहा है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP)

- सर्वप्रथम, वर्ष 1985 में चरणबद्ध तरीके से लांच किया गया था।
- UIP में ऐसी निवारक औषधियों (preventive medications) को सम्मिलित किया जाता है, जिसको प्राप्त करने का अधिकार भारत में जन्मे प्रत्येक शिशु को है।
- अभी तक, UIP बॉस्केट में 10 वैक्सीन शामिल हैं, जो निम्न हैं: तपेदिक, डिफ्थीरिया, पर्टुसिस (कुक्कुर खांसी: whooping cough), टिटनेस, पोलियोमायलाइटिस (poliomyelitis), खसरा, हेपेटाइटिस बी, डायरिया, जापानी एन्सेफलाइटिस और न्यूमोनिया।

खसरा-रूबेला वैक्सीन (Measles-Rubella Vaccine)

- खसरा एक विषाणुजनित संक्रमण है, जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है और विश्व भर में बच्चों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। खसरा वैक्सीन, इसके प्रसार को रोकने में अत्यधिक सफल मानी जाती है।
- दूसरी ओर रूबेला एक विषाणुजनित संक्रमण है, जिसमें त्वचा पर लाल चकत्ते उभर आते हैं।
- रूबेला को जर्मन खसरा के रूप में जाना जाता है, जो प्रतिवर्ष भारत में जन्मे लगभग 25000 बच्चों को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है।
- इसके लक्षणों में मोतियाबिन्द एवं बहरापन शामिल हैं। यह हृदय एवं मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है।
- खसरा-रूबेला वैक्सीन की फरवरी में पांच राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और तमिलनाडु में शुरुआत की जाएगी।
- खसरा-रूबेला वैक्सीन के शुरू हो जाने के पश्चात् मोनोवैलन्ट खसरा वैक्सीन (वर्तमान में UIP का भाग) को बन्द कर दिया जाएगा।

न्यूमोकोकल कान्जगेट वैक्सीन (Pneumococcal Conjugate Vaccine:PCV)

- PCV, न्यूमोकोकल कुल (family) के अनेक जीवाणुओं का मिश्रण है।
- न्यूमोकोकल जीवाणु जनित निमोनिया आम तौर पर सबसे अधिक देखे जाने वाले प्रकारों में से एक है।
- अनुमान के अनुसार निमोनिया, भारत में 5 वर्ष की आयु के अन्दर होने वाली शिशु मृत्यु के 20 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है।
- मार्च 2017 से, PCV की हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों एवं बिहार में शुरुआत की गई थी।
- डेढ़ महीने, साढ़े तीन महीने एवं नौ महीने की अवधि पर तीन खुराक दी जाएंगी।

रोटावायरस वैक्सीन

- रोटावायरस वैक्सीन, सर्वप्रथम अप्रैल 2006 में UIP में सम्मिलित की गई थी।
- डायरिया का सबसे सामान्य कारण रोटावायरस संक्रमण है।
- यह वैक्सीन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और आन्ध्र प्रदेश में दी जाती है। फरवरी से, यह असम, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य-प्रदेश और तमिलनाडु में UIP का भाग होगी।

5.18.7. स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम

(Swasthya Raksha Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आयुष मंत्रालय ने कुछ ही समय पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम आरम्भ किया था।

VISION IAS

कार्यक्रम के विषय में

- इसे स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर ही आरम्भ किया गया है, परन्तु इस का मुख्य केन्द्र बिंदु (फोकस) परम्परागत स्वास्थ्य सेवाएं ही है।
- केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (Central Council for Research in Ayurvedic Sciences: CCRAS), केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद (Central Council for Research in Unani Medicine: CCRUM) केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद (Central Council for Research in Homoeopathy: CCRH) तथा केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (Central Council for Research in Siddha: CCRS) इसकी कार्यान्वयन संस्थाएं हैं।
- इसका कार्यान्वयन विभिन्न जिलों के कुछ अभिलक्षित गाँवों में ही किया जायेगा।

कार्यक्रम के उद्देश्य:

- स्वास्थ्य रक्षण OPDs, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और स्वास्थ्य/स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
- घरेलू परिवेश और पर्यावरण की स्वच्छता से सम्बन्धित जागरूकता का प्रसार।
- गोद ली गयी (adopted) कालोनियों/गाँवों में चिकित्सा/आकस्मिक सहायता प्रदान करना।
- जनसांख्यिकी, भोजन की आदतें, स्वच्छता स्थितियाँ, ऋतुओं, जीवनशैली इत्यादि से जुड़ी जानकारी, रोगों की व्यापकता/प्रसार और रोगों से जुड़ी घटनाओं से उनके सम्बन्ध का प्रलेखन।
- स्वास्थ्य स्थिति का आकलन और स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद के पथ्यापथ्य सिद्धांत का प्रसार।

पथ्य अपथ्य:

वह आहार-विहार, जो शरीर के लिए लाभकारी एवं पौष्टिक भी है, और मन को भी प्रसन्नता प्रदान करता है, उसे पथ्य कहा जाता है और जो इसके विपरीत कार्य करता है उसे अपथ्य कहा जाता है।
आयुर्वेद मे यह एक उपचारात्मक कारक है।

5.18.8. आयुर्वेद के माध्यम से मिशन मधुमेह

(Mission Madhumeha through Ayurveda)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस (28 अक्टूबर) के अवसर पर, "आयुर्वेद के माध्यम से मिशन मधुमेह" का शुभारंभ किया है।
- आयुर्वेद के माध्यम से मधुमेह के प्रभावी प्रबंधन के लिए, विशेष रूप से निर्मित राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल के माध्यम से मिशन को देश भर में कार्यान्वित किया जायेगा ।

मुख्य बिंदु

- प्रोटोकॉल में निहित दिशा-निर्देशों को विभिन्न राज्य सरकारों को भेजा जाएगा, जिसे आगे विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में प्रसारित किया जाएगा।
- आयुर्वेदिक दर्शन के आधार पर निर्मित मधुमेह एसेसमेंट टूल (MAT) को व्यक्तियों में मधुमेह की संभावनाओं के आत्म-मूल्यांकन हेतु विकसित किया गया है।
- सरकार मधुमेह रोगियों के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का सुझाव देने हेतु एक मोबाइल एप शुरू करने जा रही है।
  - ✓ एप्लीकेशन आयुर्वेद के चिकित्सकों के साथ-साथ रोगियों दोनों के इस्तेमाल के लिए होगी।
  - ✓ यह एक मधुमेह पीड़ित रोगी में मधुमेह के प्रकार की पहचान करने में मदद करने के साथ ही रोगी को कौन सी आयुर्वेदिक दवाएं लेनी हैं ये सलाह दे सकती है।
  - ✓ यह एप्लीकेशन आयुष द्वारा जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

भारत में मधुमेह

- भारत मधुमेह पीड़ितों की संख्या के मामले में शीर्ष 3 देशों (चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमरीका) में शुमार है।
- WHO का अनुमान है कि मधुमेह से होने वाली मौतों में से 80% मौतें कम और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं और सम्भावना जताई कि 2016 से 2030 के बीच इस प्रकार की मृत्यु की संख्या दोगुनी हो जाएगी।

VISION IAS

5.18.9. बंध्यीकरण पहल

(Sterilisation Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने 21 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2016 के बीच 'पुरुष नसबंदी पखवाड़े' का आयोजन किया।

पुरुष नसबंदी क्या है?

पुरुष नसबंदी पुरुषों के लिए संतति नियंत्रण का एक माध्यम है। इस प्रक्रिया में स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता शुक्राणु वाहिका को बन्द या अवरुद्ध कर देता है। वाहिकाएँ बन्द हो जाने से शुक्राणु पुरुष के शरीर से बाहर नहीं निकल पाते जिसके परिणामस्वरुप गर्भधारण नहीं होता है। इसका प्रभाव स्थायी होता है।

इस पहल के लक्ष्य

- "पुरुष नसबंदी पखवाड़े" का लक्ष्य **पुरुष बंध्यीकरण के संबंध में जागरूकता बढ़ाना** एवं **बंध्यीकरण के इच्छुक व्यक्तियों तक** अभियानों के माध्यम से **जिला प्रशासन की पहुँच स्थापित करने** की प्रकिया को सुविधाजनक बनाना था।
- सरकार का लक्ष्य इस प्रकार की पहलों के माध्यम से **प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन (replacement level fertility) को** वर्तमान के 2.3 से कम करके 2.1 तक लाना है साथ ही यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में भी एक कदम होगा।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य

- इसका **तात्कालिक उद्देश्य** गर्भनिरोध, स्वास्थ्य अवसंरचना एवं जनशक्ति, तथा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी मूल देखभाल के लिए समेकित सेवा वितरण की अपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करना था।
- **मध्यकालिक उद्देश्य** 2010 तक कुल प्रजनन दर (TFR) को 'प्रतिस्थापन स्तर' तक लाना था।
- **दीर्घावधि** में इसमें 2045 तक निम्न लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रावधान है: संधारणीय आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, एवं पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं से सुसंगत स्तर पर स्थिर जनसंख्या। बाद में इस लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा को 2070 तक बढ़ा दिया गया।

5.18.10. 'सोलर फॉर हेल्थ केयर' पहल

('Solar for Healthcare' Initiative)

- *इंडियन कौंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च* (ICMR) और *कौंसिल ऑन एनर्जी ,एनवायरनमेंट एंड वाटर* (CEEW) ने 'सोलर फॉर हेल्थ केयर' पहल को आरम्भ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इसका लक्ष्य बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना में अनिश्चितता को कम करके अंतिम बिंदु तक प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रदान करना है।
- यह राष्ट्रीय सौर मिशन के स्वच्छ ऊर्जा अधिदेश और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य 'टाइम टू केयर' में समाभिरूपता लाएगा।
- इस सहकार्यता (collaboration) के तहत पायलट बेसिस पर तीन राज्यों-तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान में चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सौर प्रणाली स्थापित की जाएगी।

5.18.11. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)

(Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY))

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- बजट भाषण 2017-18 में, छठे चरण की घोषणा की गई थी जिसके तहत गुजरात और झारखंड में एक-एक और कुल मिलाकर 2 नए AIIMS स्थापित किए जाएंगे।

PMSSY के बारे में

- इसकी घोषणा 2003 में की गई थी।

- इसका लक्ष्य सस्ती / विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना तथा देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाना है।
- PMSSY के दो घटक हैं:

✓ AIIMS जैसे संस्थानों की स्थापना

✓ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन (अपग्रेडेशन)।

- प्रत्येक मेडिकल कॉलेजों के अपग्रेडेशन के लिए परियोजना लागत केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा साझा की जाएगी।

5.18.12. माँ (MAA) कार्यक्रम

(MAA Programme)

- MAA – *मदर्स ऐबसोल्यूट अफेक्शन* (Mothers Absolute Affection) एक देशव्यापी स्तनपान को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम है, जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है।
- यह स्तनपान को प्रोत्साहन प्रदान करता है तथा स्तनपान का समर्थन करने के लिए परामर्श सेवाओं (counselling services) के प्रदान किये जाने को बढ़ावा देता है।
- इस कार्यक्रम के मुख्य घटक सामुदायिक जागरूकता, आशा (ASHA) के माध्यम से संचार को मजबूत बनाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसव केन्द्रों में स्तनपान के लिए प्रशिक्षित सहायता, निगरानी (मॉनिटरिंग), पुरस्कारों द्वारा प्रोत्साहन आदि हैं।
- स्तनपान से मां और बच्चे के बीच एक खास रिश्ता बन जाता है और स्तनपान के दौरान हुई पारस्परिक क्रिया का जीवन में व्यवहार, बातचीत, सबके कल्याण का बोध, सुरक्षा और कैसे बच्चा अन्य लोगों से सम्बद्ध होता है आदि मामलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- बच्चे के जन्म के एक घंटे के भीतर और उसके बाद विशेष रूप से पहले छह महीनों के लिए स्तनपान, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
- स्तनपान के शीघ्र आरम्भ से लगभग 20% नवजात शिशुओं और पांच वर्ष से कम आयु के 13% बच्चों की मृत्यु को रोका जा सकता है।

5.18.13. देश भर में इंटेंसिफ़ाइड डायरिया कण्ट्रोल फोर्टनाईट की शुरुआत की गई

(Nationwide Intensified Diarrhoea Control Fortnight (IDCF))

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में "इंटेंसिफ़ाइड डायरिया कण्ट्रोल फोर्टनाईट (IDCF)" लांच किया था।
- देश भर में 11 से 23 जुलाई, 2016 तक इसका आयोजन किया गया।
- इसका उद्देश्य मानसून के आरम्भ के दौरान पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों तक पहुंचने और चाइल्ड डायरिया की रोकथाम करना है।
- इसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों में शामिल हैं -
- आशा ORS की प्री-पोज़ीशनिंग और इसके लाभ की व्याख्या के लिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाले सभी परिवारों का दौरा करेगी।
- सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर ORS कॉर्नर्स होंगे जो निरंतर ORS मिश्रण बनाने की विधि के प्रदर्शन के साथ बच्चो को ORS और जिंक की खुराक भी देंगे।
- स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान तथा ORS और जिंक दवाइयों को प्रोत्साहन देना।

5.18.14 राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान

(National Institute of Sowa Rigpa)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- लेह (जम्मू और कश्मीर) में राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान की स्थापना की जा रही है।

सोवा रिग्पा के बारे में

- यह एक तिब्बती चिकित्सा प्रणाली है, जिसे आमची (Amchi) भी कहा जाता है।
- यह भारत के कई हिस्सों में विशेषकर हिमालय के क्षेत्रों में प्रचलित पद्धति है, जिसमें लद्दाख (जम्मू और कश्मीर); सिक्किम; दार्जिलिंग, कलीम्पोंग (पश्चिम बंगाल); अरुणाचल प्रदेश के मोन तवांग और पश्चिम कामेंग क्षेत्र; हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति, कांगड़ा और किन्नौर क्षेत्र शामिल हैं।
- "सोवा-रिग्पा" के सिद्धांत और व्यवहार में आयुर्वेद और कुछ पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धतियों के समान हैं।
- यह माना जाता है कि इसे स्वयं बुद्ध द्वारा सिखाया गया है तथा यह बौद्ध दर्शन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।

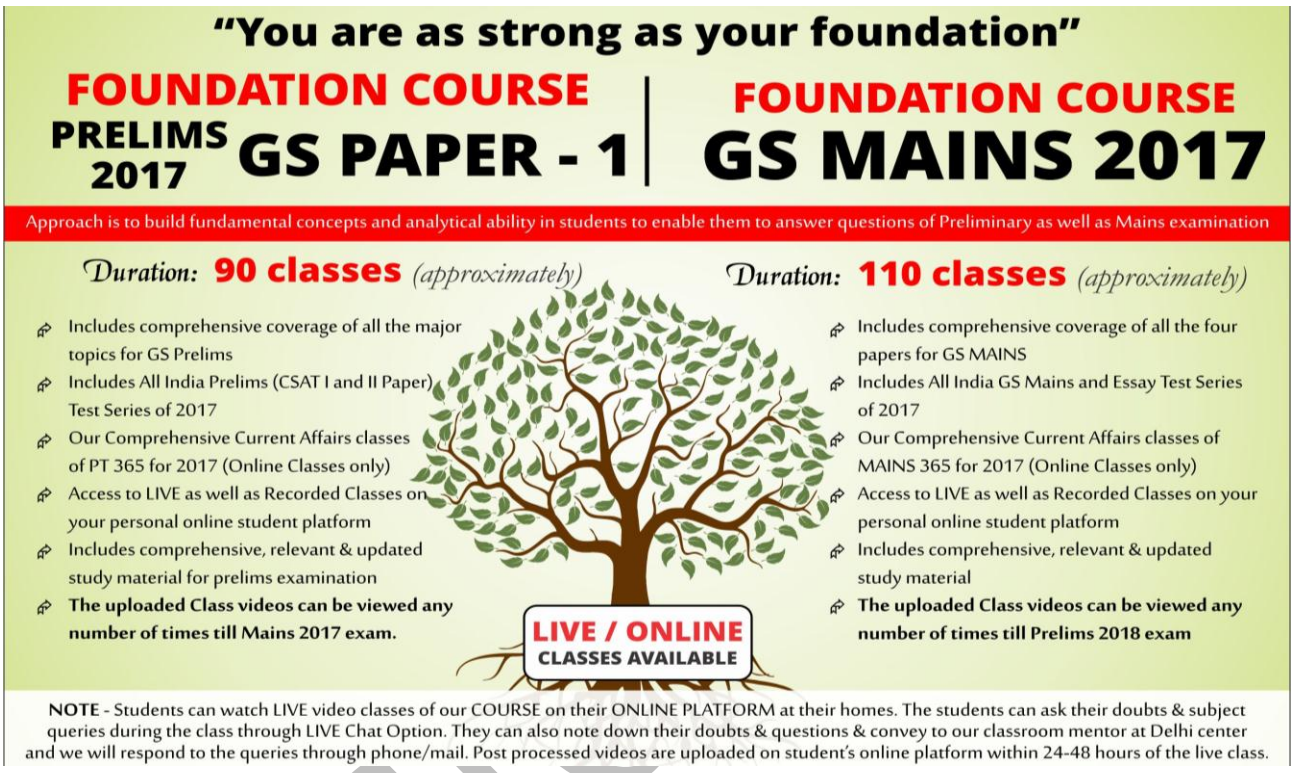

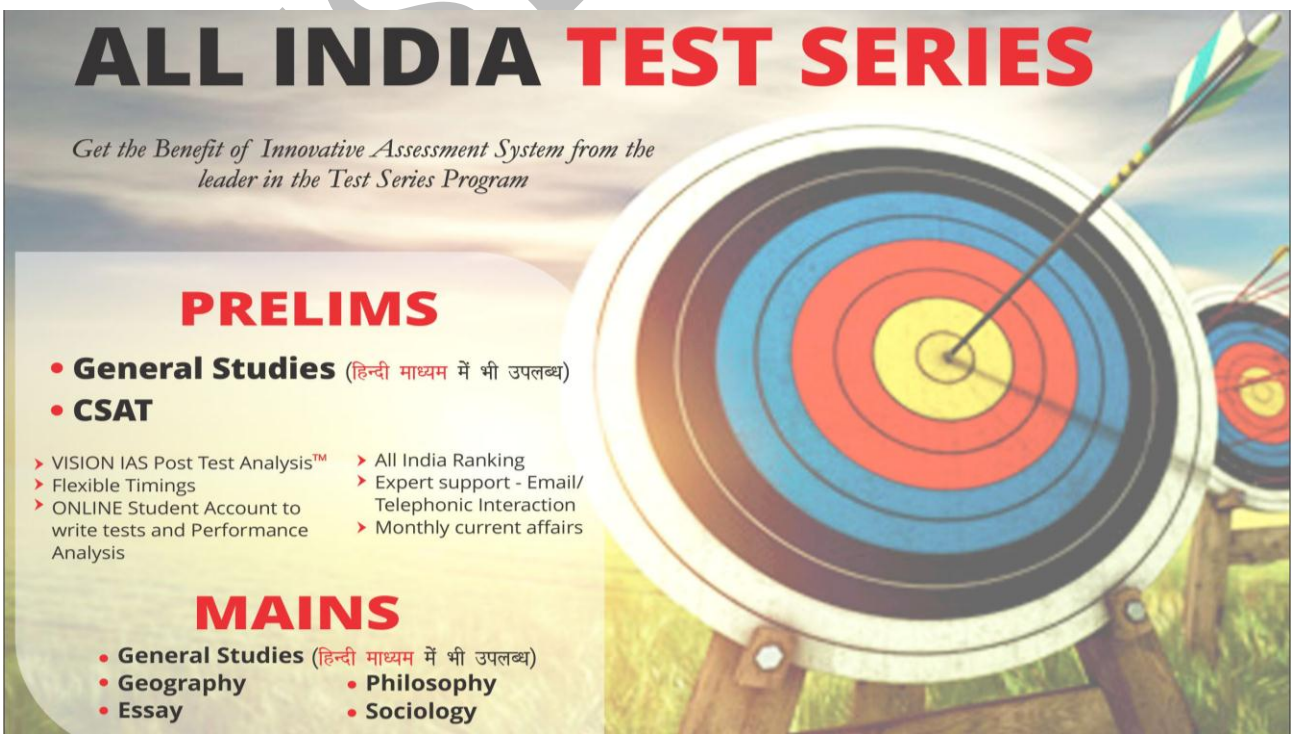

6. विविध

(MISCELLANEOUS)

6.1 वेतन असमानता पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

(SC Ruling on Wage Disparity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया है कि दैनिक वेतनभोगियों, अस्थायी, आकस्मिक/अनिश्चित और संविदात्मक कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान ही भुगतान किया जाना चाहिए, यदि वे एक ही काम कर रहे हों। याचिकाकर्ता, पंजाब सरकार के लिए काम कर रहे दिहाड़ी मजदूर थे।
- उच्चतम न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि भारत, पिछले 37 वर्षों से *इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकॉनोमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स*, 1966 (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966) के *आर्टिकल* 7 का हस्ताक्षरकर्ता है।
- विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों और संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत न्यायालय द्वारा घोषित कानून के अनुसार, 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत' वस्तुतः "एक साफ और स्पष्ट अधिकार है और प्रत्येक कर्मचारी में निहित है, चाहे वह नियमित रूप से कार्यरत हो या अस्थायी तौर पर"।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (d) में यह उल्लेख है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो।

इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकॉनोमिक,सोशल एंड कल्चरल राइट्स: ICESCR)

- यह 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत एक बहुपक्षीय संधि है।
- इसके सदस्य गैर-स्वशासी, संयुक्त राष्ट्र के तहत आने वाले ट्रस्ट प्रदेशों (Trust Territories) और व्यक्तियों के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार(ESCR) सुनिश्चित करने की प्रतिज्ञा करते हैं। इन अधिकारों में श्रम अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा पर्याप्त सुविधाओं युक्त जीवन का अधिकार शामिल है।

ICESCR वस्तुतः *यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स:* UDHR और *इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स*: ICCPR के साथ-साथ, *इंटरनेशनल बिल ऑफ़ ह्यूमन राइट्स* का एक हिस्सा है।

6.2. स्वच्छ भारत मिशन: द्वितीय वर्षगांठ

(Swachh Bharat Mission: 2nd Anniversary)

- **गुजरात और आंध्र प्रदेश** शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त (ODF) वाले पहले राज्य बन गए हैं।
- **हिमाचल प्रदेश** को खुले में शौच मुक्त (ODF) राज्य घोषित किया गया है, **ग्रामीण क्षेत्रों** में यह उपलब्धि हासिल करने वाला **सिक्किम** के बाद यह देश का दूसरा राज्य बन गया है।

स्वच्छ भारत मिशन के बारे में

- यह 2019 में महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती तक स्वतंत्र भारत को स्वच्छ बनाने और खुले में शौच से मुक्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था।
- कार्यक्रम को दो श्रेणियों में बाँटा गया है- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)।
- **पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय** योजना के ग्रामीण भाग को लागू कर रहा है।
- **शहरी विकास मंत्रालय** शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम को लागू कर रहा है।

2015 की स्वच्छता स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण आबादी के आधे से अधिक लोग (52.1 प्रतिशत) अभी भी खुले में शौच करते हैं।

VISION IAS

खुले में शौच के साथ जुड़ी समस्याएँ :

- **कुपोषण - भारत में लगभग 43 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं।**
- अतिसार (Diarrhoea) और कृमि संक्रमण (worm infection) दो प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएँ हैं जो स्कूली-आयु वर्ग के बच्चों को प्रभावित करती हैं। इससे बच्चे की सीखने की क्षमता प्रभावित होती है।

स्वच्छता दूत

ये स्वच्छता संदेशवाहक हैं- जो ग्राम स्तर के प्रेरक हैं। ये सहभागिता युक्त सामाजिक गतिशीलता के साथ ग्रामीण स्तर पर संचार तंत्र को मजबूत करने का कार्य करते हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों द्वारा ग्राम स्तर के प्रेरकों की नियुक्ति की जा सकती है।

केरल को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण/शहरी) के तहत केरल, खुले में शौच से मुक्त (Open Defecation Free: ODF) घोषित होने वाला तीसरा राज्य बन गया है। यह दर्जा प्राप्त करने वाला सिक्किम पहला राज्य था, जबकि हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य था।
- लगभग 3.5 करोड़ की ग्रामीण जनसंख्या के साथ केरल ODF दर्जा हासिल करने वाला अब तक का सबसे बड़ा राज्य है। सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख और हिमाचल प्रदेश की 70 लाख है।
- इससे पहले, गुजरात और आंध्र प्रदेश शहरी इलाकों में ODF घोषित होने वाले पहले राज्य बन गए थे।

6.3. स्मार्ट ग्राम पहल

(Smart Gram Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में एक स्मार्ट मॉडल ग्राम पायलट परियोजना का उद्घाटन किया।
- इस पायलट परियोजना के अंतर्गत पांच गांवों को स्मार्ट ग्राम में विकसित किया जाएगा। ये गाँव हरियाणा के मेवात जिले से रोजकामेव और गुड़गांव जिले से दौला, अलीपुर, हरचंदपुर और ताज नगर हैं।
- हाल ही में इन गांवों में हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा इस पहल का शुभारम्भ किया गया।

स्मार्ट ग्राम के बारे में

- एक स्मार्ट ग्राम में स्मार्ट सूचना और संचार तकनीक के साथ-साथ आवश्यक भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा होगा जो प्रशासन में सुधार, सेवाओं की डिलीवरी, आजीविका और आर्थिक अवसरों के वितरण में सुधार लाएगा।
- राष्ट्रपति भवन का ध्यान एक टिकाऊ और समावेशी विकास के मॉडल के निर्माण पर केन्द्रित है जिसे आसानी से प्रतिकृत (replicate) किया जा सके।
- यह मॉडल संसाधनों के अभिसरण और केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पंचायती राज संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और प्रबुद्ध ग्रामीणों के प्रयास पर आधारित है।

6.4. गिफ़्ट मिल्क स्कीम

(Gift Milk Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्र सरकार द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पादों के माध्यम से पोषण (विशेष रूप से बच्चों के लिए) को बढ़ावा देने के लिए NDDB के अंतर्गत स्थापित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के उपयोग द्वारा एक संस्था की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
- दूध और दुग्ध उत्पादों के प्रयोग द्वारा बच्चे के पोषण में सुधार करने की सोच के साथ **मुफ्त** दूध उपलब्ध कराने की इस पहल को 'गिफ्ट मिल्क' के नाम से जाएगा।
- दूध/दुग्ध उत्पाद की आपूर्ति केवल डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से होगी।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)

- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भारतीय द्वारा संसद अधिनियमित (NDDB अधिनियम 1987) राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। इसका मुख्य कार्यालय गुजरात के आनंद जिले में है, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय देश भर में स्थित हैं।
- NDDB का उद्देश्य शोषण के स्थान पर सशक्तिकरण, परंपरा के स्थान पर आधुनिकता, ठहराव के स्थान पर विकास को लाना तथा डेयरी उद्योग को भारत के ग्रामीण लोगों के विकास हेतु एक साधन के रूप में परिवर्तित करना है।

6.5. निधि आपके निकट कार्यक्रम

(Nidhi Apke Nikat Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इस कार्यक्रम की समीक्षा एक सकारात्मक प्रवृत्ति (positive trend) दिखा रही है- कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 17000 शिकायत आवेदन दायर किये गए थे, जिनमें से केवल 268 शिकायतों का निपटारा अभी लंबित हैं।

इस कार्यक्रम एक बारे में

- **निधि आपके निकट, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)** का एक सार्वजनिक *आउटरीच* (पहुँच) कार्यक्रम है।
- EPFO ने भविष्य निधि अदालत को निधि आपके निकट नाम दिया है।
- इस कार्यक्रम को जुलाई 2015 में शुरू किया गया था।
- इस कार्यक्रम को EPFO के सभी 122 क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रत्येक माह की 10 तारीख को आयोजित किया जाता है।
- इस कार्यक्रम का लक्ष्य विभिन्न हितधारकों (नियोक्ताओं /कर्मचारियों) को एक ही मंच पर लाना है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत संगठन द्वारा संरक्षित कर्मचारियों/नियोक्ताओं के हित में विभिन्न नई पहलों को समझाया जाता है।
- शिकायतों से निपटने के अलावा, संगठन इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित करता है।

6.6. खेलो इंडिया योजना

(Khelo India Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत *खेलो इंडिया*** राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन जनवरी में किया गया था।
- युवा कार्यक्रम और खेल मन्त्रालय, *खेलो इण्डिया* योजना के अंतर्गत ग्रामीण खेलों को **"ग्रामीण खेल महाकुम्भ"** के नाम से आयोजित करने की तैयारी में है।

खेलो इंडिया योजना

- **यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान कर के तृणमूल स्तर की प्रतिभा का विकास करना है।**
- ***खेलो इंडिया* योजना गुजरात के "खेल महाकुम्भ" प्रारूप पर आधारित है, जिसमें देश भर के विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र 27 विभिन्न खेलों में भाग लेते हैं।**
- **वर्ष 2016 में भारत सरकार ने राजीव गाँधी खेल अभियान** का **खेलो इण्डिया योजना** में विलय कर दिया है।
- खेलो इण्डिया अम्ब्रेला में लाई गई दो अन्य योजनाएं हैं: **शहरी खेल आधारभूत ढांचा योजना (Urban Sports Infrastructure Scheme: USIS) और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना (National Sports Talent Search Scheme: NSTSS)।**

6.7. अगले 3 ओलंपिक खेलों के लिए कार्यबल

(Task Force for Next 3 Olympics)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- भारत को रियो ओलंपिक में दो पदक के साथ संतोष करना पड़ा। हालांकि पिछले ओलम्पिक की तुलना में 2016 के खेलों में ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया।
- पदको की संख्या 2012 के लंदन ओलंपिक के छह से नीचे आकर सिर्फ दो रह गयी।
- इस सबने प्रधानमंत्री को "कार्यबल" के गठन की घोषणा करने के लिए बाध्य किया जिससे वर्ष 2020, 2024 और 2028 में आयोजित होने वाले अगले तीन ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की "प्रभावी भागीदारी" के लिए योजना बनाने में मदद मिलेगी।

इस कार्यबल के कार्य और उद्देश्य

- यह सुविधाओं, प्रशिक्षण, चयन प्रक्रिया और अन्य संबंधित मामलों के लिए एक समग्र रणनीति तैयार करेगा।
- टास्क फोर्स, खेल प्रशासन के भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों से मिलकर बना होगा।
- यह अगले तीन ओलंपिक के लिए दीर्घकालिक योजना के निर्माण के लिए गठित किया जायेगा।

6.8. शराब पर रोक

(Liquor Ban)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने दिसम्बर 2015 में केरल सरकार के शराब प्रतिबंधित करने के फैसले को सही ठहराया। हालांकि, अक्टूबर 2016 में केरल सरकार (LDF) ने शराब पर प्रतिबंध लगाने की अपनी नीति में परिवर्तन करने का प्रयास किया है।
- 2 अक्टूबर, 2016 से लागू किया गया बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 शराब पर पूर्ण रोक और सख्त नियमों का प्रावधान करता है।
- संविधान में निहित नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 47 के अनुसार सभी राज्य सरकारों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे मादक पदार्थों के उपभोग को प्रतिबंधित या कम से कम नियंत्रित करें।
- **स्वास्थ्य संबंधी निहितार्थ:** शराब, विशेष रूप से अधिक मात्रा में प्रयोग करने से, लोगों के गुर्दे और यकृत को नुकसान पहुंचा सकती है, और अंततः मृत्यु का कारण बन सकती है।

जिन राज्यों में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है

- 1960 में बम्बई राज्य से अलग होकर, एक पृथक राज्य के रूप में गठित होने के बाद से गुजरात में शराब पर पूर्ण प्रतिबन्ध लागू है। हालाँकि राज्य में अवैध शराब एक वृहद् उद्योग के रूप में विद्यमान है।
- नागालैंड में 1989 से शराब पर पूर्ण प्रतिबन्ध लागू है। हालाँकि इसके बाद भी राज्य में कई अवैध बार और शराब की दुकानें चोरी छिपे संचालित हो रही हैं। पड़ोसी राज्य असम से शराब की तस्करी की घटनाएँ भी देखी गयी हैं।

6.9. *वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स* में भारत की रैंक में सुधार

(India moves up in the World Giving Index)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

ब्रिटेन स्थित चैरिटी एड फाउंडेशन (Charities Aid Foundation -CAF) ने 7वाँ *वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स* जारी किया।

रिपोर्ट के बारे में

- *चैरिटी एड फाउंडेशन* (CAF), एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो प्रभावकारी दानशीलता और मानवप्रेम को बढ़ावा देती है।
- भारत को वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 29% समग्र स्कोर प्राप्त हुआ।

भारत के बारे में निष्कर्ष

- अनजान लोगों की मदद करने में भारतीयों की भागीदारी 6 प्रतिशत अंक की वृद्धि के साथ 43% हो गयी है जबकि जिन्होंने दान किया उनकी संख्या 2014 के 20% से बढ़कर 2015 में 22% हो गई है।
- यद्यपि 203 मिलियन लोगों ने धन दान में दिया, 401 मिलियन लोगों ने अनजान लोगों की मदद की, 200 मिलियन ने स्वयं सेवा के लिए समय दिया इन सबके बावजूद भारत सूचकांक में 91 रैंक पर स्थित है।
- इसी कारण से संख्या के मामले में भारत शीर्ष के देशों में है,परन्तु जब कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में आंकलन किया जाता है तो भारत पीछे रह जाता है।

6.10. भारतीय सामाजिक विकास रिपोर्ट 2016

(India Social Development Report 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सामाजिक विकास परिषद (Council of Social Development) ने हाल ही में भारतीय सामाजिक विकास रिपोर्ट 2016 जारी की।

रिपोर्ट के संबंध में

- **इस रिपोर्ट की विषयवस्तु "*डिसेबिलिटी राइट्स पर्सपेक्टिव्स* (Disability Rights Pers-pectives)"** है। यह विकलांग व्यक्तियों से गैर अपमानजनक व्यवहार के उनके अधिकारों के मूल तत्वों को संबोधित करती है।
- यह रिपोर्ट जनगणना, NSS, भारत मानव विकास सर्वेक्षण, एवं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से प्राप्त डेटा के आधार पर तैयार की गयी।

- यह विकलांग जनसंख्या का डेटाबैंक तैयार करने एवं पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएँ तैयार करने हेतु सरकार को पर्याप्त आँकड़ें उपलब्ध कराती है। यह *कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी* संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए भी सहायता प्रदान करेगी, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।

सामाजिक विकास परिषद

- यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है।
- यह एक शोध और पक्षसमर्थन (advocacy) संस्था (थिंक टैंक की भाँति) है, जिसका उद्देश्य समानता और न्याय के साथ सामाजिक विकास है।
- इसको 1962 में दुर्गाभाई देशमुख द्वारा स्थापित किया गया था।

6.11 हैदराबाद में तेलंगाना का प्रथम बाल न्यायालय

(Telangana first Children's Court in Hyderabad)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- तेलंगाना ने हाल ही में दक्षिण भारत के प्रथम बाल न्यायालय का उद्घाटन किया है जिससे बच्चों से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जा सके।

हैदराबाद न्यायालय के बारे में

- गोवा और दिल्ली के बाद तेलंगाना तीसरा राज्य बन गया है, जहां बाल-अनुकूल न्यायालय है और यह न्यायालय देश का छठवां न्यायालय है जो बच्चों के अनुकूल हैं।

6.12. देवदासी प्रथा

(Devdasi System)

सुर्खियों में क्यों?

- दलित लड़कियों को कर्नाटक के दावणगेरे जिले के उत्तंगी माला दुर्गा मंदिर में देवदासियों के रूप में समर्पित किया जा रहा है- उच्चतम न्यायलय को इस विषय से अवगत कराया गया जिसके बाद इसने सुनवाई आरम्भ की।
- उच्चतम न्यायलय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, विशेष रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश को देवदासी प्रथा रोकने के लिए केन्द्रीय कानून को लागू करने का निर्देश दिया है। इस "अवांछित और अस्वस्थ" प्रथा में युवा लड़कियों को देवदासियों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

देवदासी कौन होती है?

- 'देवदासी' वे महिलाएँ होती है जिन्हें अपना सम्पूर्ण जीवन मंदिर की सेवा में व्यतीत करना होता है; ये महिलाएँ अक्सर यौन शोषण का शिकार होती हैं।

संबद्ध मुद्दे:

- देवदासी प्रथा महिला सशक्तिकरण और संविधान के तहत महिलाओं को दी गई समानता के विरुद्ध है।
- देवदासियों को यौन शोषण झेलना पड़ता है और उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है।
- देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून होने के बावजूद यह अभी भी प्रचलन में है क्योंकि:
- कानून को लागू करने में राज्य पुलिस का असंवेदनशील दृष्टिकोण
- देवदासी प्रथा में धकेली गयी लड़कियों के पुनर्वास के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग।

देवदासी प्रथा को रोकने के लिए प्रासंगिक कानून:

- कर्नाटक देवदासी (भेंट निषेध) अधिनियम 1982 और महाराष्ट्र देवदासी उन्मूलन अधिनियम 2006 जैसे राज्य स्तरीय कानूनों ने देवदासी प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 372 वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए नाबालिगों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाती है।
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 सार्वजनिक स्थानों के आसपास या सार्वजनिक स्थानों में वेश्यावृत्ति को अपराध का दर्जा देता है।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.